Page No.1

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २ ] तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का ८ वां दिवस [ संख्या ७



बुधवार, दिनांक १७ अक्टूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[ श्रम, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, स्वायत्त शासन, विद्युत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ]

### प्रश्न संख्या १९७

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहनलाल सारस्वत।

( अनुपस्थित )

**श्री अब्दुलजब्बार।**

### निम्बाहेड़ा की कॉटन फैक्ट्रीज के मजदूर

१९८. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) निम्बाहेड़ा की कॉटन फैक्ट्रीज में कितने मजदूर काम करते हैं ?

(२) क्या मिनिमम वेजेज एक्ट का पालन इन फैक्ट्रीज द्वारा किया जाता है ?

(३) क्या कभी किसी फैक्ट्री में कपास में आग लगी थी और उससे चरखों पर काम करने वाले मजदूर जले थे ?

(४) यदि हां, तो लेबर वैलफेयर ऑफिसर ने क्या एक्शन लिया था ?

(५) क्या कभी लेबर वैलफेयर ऑफिसर ने निम्बाहेड़ा स्थित कॉटन फैक्ट्रीज का मुआयना कर अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है ? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उप-मंत्री श्रम** (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का

# Page No.2



( श्री भवानीशंकर नन्दवाना )

उत्तर नहीं आ सका, इसलिए अगली टर्न पर इसका उत्तर दिया जायगा।

श्री अब्दुलजब्बार : कब तक मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह।

प्रश्न संख्या १९९

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

सूअरों के विकास की योजना

२००. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सूअरों के विकास की योजना कहां कहां पर प्रारम्भ की गई है ? इसके विकास के लिये कितनी धन-राशि तीसरी योजना में रखी गई है ?

(२) इस योजना में जो धन-राशि दूसरी योजना में रखी गई उससे कितनी सफलता मिली ?

उप-मंत्री कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : ( ) केवल बस्सी में।

(२) तीन सूअर विकास इकाइयें एवं एक ब्लॉक खोलने के हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३.४५ लाख रुपये की धन-राशि रखी गई थी, परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।

(२) दूसरी योजना के अन्तर्गत ३२५ बच्चे पैदा हुए तथा २४२ बच्चे वितरित किये गये।

श्री दलपतसिंह (आबू) : बच्चे किस जगह वितरित किये गये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ब्लॉक्स के अन्दर।

श्री दलपतसिंह : किस किस ब्लॉक के अन्दर ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : बस्सी ब्लॉक में।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) केवल बस्सी ब्लॉक में ही किये गये हैं या दूसरे ब्लॉक में किये गये ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) In other Blocks.

श्री मुरलीधर व्यास: किन-किन ब्लॉक्स को दिये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका अलग से नोटिस चाहिए एग्जेक्ट एलोकेशन कि कितने दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपको चाहिए तो मंगवा लें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह देखना चाहता था कि कौन कौन से ब्लॉक्स में बच्चे वितरण करने के बाद में कितना लाभ उठाया गया या गवर्नमेंट की मन्शा का ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उसके लिए अलग से प्रश्न पूछ लें। कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें मेरे ख्याल से ये सूअर बांटे गये हैं उनमें एक नर और एक मादा देते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : सिविल लाइन में कितने गये हैं ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसमें पहले धन-राशि रखी गई थी वह क्योंकि कम थी या आर्थिक कठिनाई से काम नहीं हो सका तो उस राशि का क्या हुआ ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : थर्ड प्लान में रखा गया था। उसके बाद में कहा है कि उसको स्थगित कर दिया है। सैकण्ड प्लान में शुरू में पहले १० मादा और दो नर का इतना सा प्रावधान रखा था, फिर उसको दूसरी श्रेणियों में से बचाकर ३० मादा और १० नर इस हिसाब से थोड़ा बाद में विकसित किया गया था जिनके बच्चे थे हुए ३०० जो यूनिट हर्ड है वह बस्सी में हैं, और उसके बाद में जितने बच्चे हैं ६ महीने की उम्र के उनको १ नर और एक मादा के हिसाब से कुछ ब्लॉक्स के अन्दर इस योजना के साथ दिये गये हैं कि इस ब्रीड को बढ़ाओ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : कितने सूअर पैदा करने के लिए ३ लाख रुपये खर्च किये गये थे ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : तीन लाख नहीं। यह तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया था उसको स्थगित कर दिया गया है। यह जो बताया वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत ६४,०००) के भीतर है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिहनगर): किस नस्ल के सूअर है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यॉर्कशायर।

प्रश्न संख्या २०१

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरवलाल काला बादल।

(अनुपस्थित)

## पुराने मुस्तकिल आबियाने की और नई पिलाई की दरों की वसूली

२०२. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीम के भोपालसागर तालाब के निर्माण के पहले अन्य पांच तालाबों से ही नजदीक के रकबे की सिंचाई होती थी ?

(२) क्या यह सही है कि वे पांचों तालाब पुराने तालाब होने के कारण लगान के साथ मुस्तकिल आबियाना वसूल होता था और अलग से सिंचाई की कोई राशि वसूल नहीं की जाती थी ?

(३) क्या यह सही है कि भोपालसागर बनने के बाद भोपालसागर से ये पांचों तालाब भरे जाते हैं और जहां तक पुराना सिंचाई के रकबे का ताल्लुक है उसकी पिलाई इन्हीं तालाबों से होती है ?

(४) क्या यह सही है कि इन तालाबों से सिंचित क्षेत्र से पुराना मुस्तकिल आबियाना और नई पिलाई की दरें दोनों वसूल की जा रही हैं ?

(५) यदि हां, तो उक्त वसूली रोकने और पुरानी सिंचाई की जमीन का पुराना मुस्तकिल आबियाना ही वसूल किया जाय, इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

# Page No.4



उप-मंत्री, सिंचाई ( श्री दिनेशराय डांगी ) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां, पुराने तालाब व भोपालसागर के कमान्ड दोनों से ही होती थी।

(४) इस विषय पर जांच की जा रही है और दो दरों में से एक को माफ करने की शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : क्या यह ठीक है कि जब मुस्तकिल आबियाना वसूल हो रहा है, पुराने तालाब से सिंचाई होती है तो पुरानी दरें ही रखी जायं। नई दर क्यों लगाई जायं ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में बताया है कि जांच की जा रही है। अगर दो दरें लागू होंगी तो एक माफ कर दी जायगी।

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** : इसके लिए कई हुक्म पहले भी निकल चुके हैं कि जहां ऐसे केसेज़ हैं वहां पर पुरानी दरें रखी जायं तो यहां पर यह क्यों नहीं किया जाता है ? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऑर्डर्स मंत्री महोदय के हाथों निकल चुके है।

**श्री दिनेशराय डांगी** : जो दरें सेटिलमेंट के द्वारा लगाई गई हैं उनका उल्लंघन हम नहीं करेंगे और वही ठीक रहेगा।

**प्रश्न संख्या २०३**

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

## रावतसर-नोहर सड़क

२०४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) रावतसर से नोहर की सड़क का काम कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

(२) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण के लिये सामान लाकर डाल दिया गया है ?

(३) यदि हां, तो काम प्रारम्भ करने में देरी क्यों की जा रही है ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक-निर्माण** (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) कार्य चालू है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

**प्रश्न संख्या २०५**

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकिशन।

( अनुपस्थित )

## दिल्ली-जयपुर बस सर्विस का किराया

२०६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि डी० टी० यू० ( Delhi Transport undertaking ) दिल्ली से जयपुर तक बस सर्विस चलायेगी ?

(२) क्या यह सही है कि डी०टी०यू० और पंजाब रोडवेज के किराये से राजस्थान रोडवेज का किराया अधिक है ?

Page No.5



उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) १७ जुलाई सन् १९६२ से बस चालू हो गई है।

(२) जी हां, किन्तु इन तीनों में हुए समझौते के फलस्वरूप अब कोई अन्तर नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

**अनियमितताओं सम्बन्धी जांच**

२०७. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका श्री गंगानगर के सदस्यों की अनियमितताओं सम्बन्धी जांच सन् १९५९ में तत्कालीन जिलाधीश श्री इन्द्रसिंह मेहता द्वारा की गई थी ?

(२) अगर हां तो उस जांच पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल बैद): (१) जी हां।

(२) नगरपालिका, गंगानगर को भंग करके वहां प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। जो भूमि बेची गई या लीज पर दे दी गई उसे वापिस लेने के लिए कलेक्टर, गंगानगर को आज्ञा दे दी गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आज्ञा कब दी गई है ? किस तारीख को दी गई है ?

श्री चन्दनमल बैद : आज्ञा यह दी गई है कि जो अनियमितरूप से जमीनें बेची गई हैं उनकी लिस्ट दी गई है उनको वापिस ले लिया जाय।

श्री मानिकचंद सुराणा : किस तारीख को आज्ञा दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

**कोट-लश्कर सड़क निर्माण**

२०८. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान सरकार ने कोटा से लश्कर तक सीधी सड़क निकालने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या सरकार की जानकारी में है कि कोटे से खातौली जाने वाली सड़क को यदि राजस्थान की सीमा तक बढ़ा दिया जाय तो सीधा सम्बन्ध आगरा दिल्ली से जुड़ जाता है ?

(३) इस मार्ग को यदि बनाया जाये तो खातौली (कोटा) से मध्य प्रदेश की सीमा तक कितने मील का फासला है और इसके बनाने में क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नंदवाना) : (१) राजस्थान सीमा तक सड़क बनादी है।

(२) जी हां।

(३) १ मील। इस मार्ग के मध्य पार्वती नदी पड़ती है जिसके पुल निर्माण की आर्थिक कठिनाई होने के कारण।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कितने मील का फासला है चलने के लिये ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : १ मील, मैंने पहले बतलाया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : १ मील सड़क बनवाने में क्या दिक्कत है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: पार्वती नदी बीच में पड़ती है और उस पर पुल बनवाने में १२ लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आगरा, दिल्ली वगैरा से आने जाने वाले काफी चक्कर काट कर आते हैं, यह सड़क बन जाय तो बहुत पास में हो जाते हैं ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ये दूसरी ओर से भी जुड़े हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द ।

**२०६. अकबरपुर के पास स्थान बारां पर बांध के लिये सर्वेक्षण**

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) [श्री हरिराम (थानागजी) द्वारा पूछा गया]: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार को मालूम है कि अकबरपुर के पास स्थान बारां पर बांध बनाने से काफी बड़ी मात्रा में जमीन सिंचाई योग्य बन जावेगी ?

(२) क्या सरकार इस योजना का सर्वेक्षण कभी करा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्या अब सरकार इस योजना का सर्वेक्षण कराने के लिये कदम उठायेगी ?

(३) क्या सरकार इस योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) रूपा रेल नदी में सामान्य वर्षा में आने वाला पानी पूरी तरह काम में ले लिया जाता है इस कारण इस पर नया बाँध नहीं बनाया जा सकता है ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचंद्र अग्रवाल ।

प्रश्न संख्या २०१

श्री हरिराम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं अलवर में एक ऐसा स्थान है जिसकी वजह से काफी मात्रा में सिंचाई हो सकती है उसके लिये अब तक सरकार ने क्या कदम बढ़ाया और मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इस हिस्से की सिंचाई आदि होने का कई बार आश्वासन मिल चुका है इसके बाद भी क्यों नहीं इस ओर कोई कदम उठाया गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने जवाब दिया कि इस नदी में जितना पानी केचमेंट एरिया में इकट्ठा होता है वह सारा का सारा काम में लिया जाता है आधा भरतपुर में और आधा अलवर की तरफ । इसलिये पानी बचने का सवाल नहीं आता । फिर किस तरह बांध बनाया जाय ।

श्री हरिराम : बड़ा बांध बनाया जाय तो काफी-हजारों, लाखों एकड़-भूमि की सिंचाई हो सकती है और कितने ही आसपास के गांवों को पानी मिल सकता है । रूपा रेल का पानी भरतपुर में चला जाता है इसलिये उससे इस जिले को फायदा नहीं होता है । आसपास के जितने गांव हैं उनकी तरफ से मुद्दत से मांग चली आ रही है । क्या सरकार ने इसका सर्वे कराया है जिससे पता चल सके कि बांध बनाने से काफी फायदा हो सकता है ?

# Page No.7



श्री दिनेशराय डांगी : मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि पानी बचता ही नहीं है तो बांध बनाने से क्या फायदा हो सकता है ? इसमें जितना पानी आता है वह भरतपुर-अलवर स्टेट्स ने आपस में बांट लिया है इसको अलग नहीं कर सकते, पानी पूरा काम में आता है।

**श्री हरिराम :** आपने कभी सर्वे करवाया या नहीं ?

**श्री दिनेशराय डांगी :** सर्वे करवाने का प्रश्न नहीं है।

**श्री हरिराम :** आप टेक्निकल नॉलेज ज्यादा रखते हैं क्या ?

**श्री अध्यक्ष :** जी हां।

**श्री दिनेशराय डांगी :** टेक्निकल नॉलेज तो सब की सम्मिलित है।

**कुमारी उमा माथुर ( रामगढ़ ) :** अध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने बताया कि इस पर बांध बन सकता है। अलवर भरतपुर के आपसी झगड़ा है जिसका निपटारा होने से अलवर को फायदा हो। क्या सरकार इस झगड़े को नहीं निपटा सकती ?

**श्री अध्यक्ष :** झगड़ा तो बंटवारे से निपट चुका है, यह तो वापिस शुरू करने की बात है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल

## विद्युत् मंडल द्वारा भरे जाने वाले आय-कर विवरण

२१८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ( जौहरी बाजार, जयपुर ) :** Will the Minister for Power be pleased to state:—

1. Whether Income Tax Returns have been filed by the Electricity Board for the year, 1957-58 (first year of the Board's inception)? If not, why?

2. Whether the same can be filed now?

3. Whether there was loss in that year?

4. Whether the same cannot be adjusted against profits of the Board in future?

5. Who is responsible for this omission and what action the Government would take against him for causing this loss?

6. What was the figure of loss for 1957-58?

7. How much loss has been shown for these years in the Returns for each year so filed?

**उप – मंत्री, विद्युत् ( श्री परसराम मदेरणा )** 1. Yes.

2. Question does not arise.

3. Yes, There was a loss.

4. Yes, as provided under the Income Tax Act.

5. Question does not arise.

6. There was a loss of Rs. 24,868,08.74 during the year 1957-58.

7. Rs. 24,868,08.74.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** ये इन्कम टैक्स रिटर्न्स कब फायल किये गये ?

**श्री परसराम मदेरणा :** Pardon ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** ये रिटर्न्स कब फायल किये गये ?

**श्री परसराम मदेरणा :** The returns for the year 1957-58 were filed on 15th February, 1962.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** ये ५७-५८ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटर्न्स उसी समय पेश होने चाहिये थे जब कि आपने फरवरी, १९६२ में क्यों फायल किये ?

**श्री परसराम मदेरणा :** इसके कई कारण थे । हालांकि बोर्ड की स्थापना फर्स्ट जुलाई, ५७ को हुई थी लेकिन बोर्ड पर कंट्रोल अकाउन्टेन्ट जनरल का था। उनसे टेक ओवर १ ओक्टोबर, १९५८ में किया था। एक तो यह कारण था। दूसरा सेग्रिगेट करने में समय लगा। पहले इलेक्ट्रिकल एस्टाब्लिशमेंट को गवर्नमेंट डील विद करती थी उसको अलग करने में समय लगा। तीसरा कारण यह था कि पहले अकाउन्ट्स गवर्नमेंट के मैथड से रखे जाते थे अब कमर्शियल अकाउन्ट्स तैयार करने में, वेरियस अकाउन्ट्स का एडजस्टमेन्ट करने में देरी हुई इसलिये रिटर्न्स बाद में फायल किये गये।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इन्कम टैक्स की धारा ३४ के अंतर्गत चार साल के अंदर रिटर्न्स पेश होने चाहिये। यदि समय के अंदर फायल नहीं किये हैं और टाइम बार्ड हो गये हैं तो उन अधिकारियों के प्रति सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

**श्री परसराम मदेरणा :** अधिकारियों के प्रति कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि टाइम बार्ड नहीं है तथा जो रिटर्न्स पेश किये उनसे पहले इन्कम टैक्स ओथोरिटीज ने एसेसमेन्ट नहीं किया। उनके एसेसमेन्ट के पूर्व ४ साल तक रिटर्न्स पेश कर सकते हैं और इस से पूर्व रिटर्न पेश कर चुके हैं, पीरियड एक्सपायर होने से पहले पेश कर चुके हैं। अब तक जो मामला पेन्डिंग है उसके लिये हम कंटेस्ट कर रहे हैं ओथोरिटीज के सामने।

**श्री संपतिलाल (मावली) :** क्या ५७-५८ का एसेसमेन्ट हो चुका है ? चार साल में एसेसमेन्ट नहीं होता है तो टाइम बार्ड हो जाता है।

**श्री परसराम मदेरणा :** मैंने बिगनिंग में ही कहा है कि एसेसमेन्ट नहीं हुआ।

**श्री संपत्तिलाल :** क्या आपने जानकारी करने की कोशिश की कि आपके रिटर्न कहीं उन्होंने फायल तो नहीं कर दिये हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा :** इसका सवाल नहीं है क्योंकि टाइम बार्ड नहीं है।

**श्री मानिकचंद सुराना (कोलायत) :** प्रश्न को शायद मंत्री महोदय समझ ही नहीं पा रहे हैं इसलिये पहले समझ लें और बाद में जवाब दें तो अच्छा होगा।

**श्री परसराम मदेरणा :** I have gone through the Income-tax Law and they are not time-barred.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** मैं सरकार से पूछना चाहता हूं यदि सरकार ने जैसा कि आप कहते हैं, रिटर्न्स पेश कर दिये हैं, आपने भरे हैं लेकिन वे टाइम बार्ड है इसलिए इन्कम टैक्स ऑफिसर ने उनको रिजेक्ट कर दिया है तो ऐसी सूरत में क्या सरकार उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार है जिन्होंने समय पर नहीं भरे ?

**श्री परसराम मदेरणा :** यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर उनको रिजेक्ट करता है तो हम अपील में जायेंगे। यहां कंसर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि टाइम बार्ड नहीं है। यह तब होता जब कि सक्सीडिंग ईयर में प्रोफिट होता और here we are under going loss......

**श्री मानिकचंद सुराणा :** इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितने साल और घाटे में चलाने की आपकी योजना है ?

**श्री अध्यक्ष :** जब तक इन्कम टैक्स से फायदा होता रहेगा।

**श्री संपत्तिलाल :** एक साल तक लोस हो, दो साल या तीन साल तक लोस हो तो आगे भी आमदनी हो सकती है, ६ साल तक सेट अप हो सकता है। क्या सरकार की मर्जी है कि ६ साल तक प्रोफिट नहीं करेगी ?

**श्री परसराम मदेरणा :** कितना भी लोस हो लेकिन एक सक्सीडिंग एसेसमेन्ट ईयर में लोस सेट अप करने का प्रश्न नहीं आता। सेक्शन ७२ में टाइम दिया है कंटिन्युअसली ८ ईयर्स तक लोस हो तो एडजेस्ट करने का प्रश्न नहीं है। ४ साल बाद प्रोफिट हो जाता है तो सेट अप होगा। टाइम लिमिट का ख्याल नहीं है इसलिये कंटेस्ट किया है। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूं कि हमने ही नहीं बल्कि चार-पांच स्टेट्स ने रिटर्न्स पेश नहीं किये हैं। वे कंटेस्ट कर रहे हैं रेवेन्यू बोर्ड और इन्कम टैक्स ऑथोरिटीज के पास कि इसको टेक्सेस से इम्यून किया जाय। फिर भी मैं सेक्शन १३९ के सब-सेक्शन (४) की तरफ ध्यान खींचना पसन्द करूंगा।

"Any person who has not furnished the return within the time limit allowed to him under Sub-section ( 1 ) or sub section ( 2 ), may, before the assessment is made, furnish the return for any previous year at any time before the end of four assessment years from the end of the assessment year to which the return relates......"

And the return belong to the year 1958-59.

## गन्ने की बुवाई

२११. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, भदेसर, डूंगला, वल्लभनगर, कपासन, राश्मी, गंगरार, हमेरगढ़, चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा तहसीलों में इस वर्ष कितना बीघा गन्ना बोया गया है ?

# Page No.10



उप मन्त्री, कृषि ( श्रीमती कमला बेनीवाल ) : इन तहसीलों में इस वर्ष गन्ने की फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल है वह निम्न-प्रकार है :-

| | तहसील | क्षेत्रफल (बीघा में) |
|---|---|---|
| १. | बड़ी सादड़ी | ७१३ |
| २. | भदेसर | ६०० |
| ३. | डूंगला | १००० |
| ४. | वल्लभनगर | २२०० |
| ५. | राश्मी | २१६ |
| ६. | गंगरार | ८११ (एकड़) |
| ७. | निम्बाहेडा | १३७५ |
| ८. | चित्तौड़गढ़ | २६०० |

कपासन व छोटी सादड़ी तहसीलों में गिरदावरी पूर्ण न होने से इस वर्ष का क्षेत्र-फल अभी तक प्राप्त नहीं हो सका ।

हमेरगढ़ अलग तहसील न होने के कारण से इसका क्षेत्रफल गंगरार तहसील में शामिल कर दिया गया है ।

श्री अब्दुलजब्बार : सरकार के पास योजना है कि गन्ने की खेती को प्रोत्साहन मिले ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह गन्ना कहां बेचा जाता है काश्तकारों द्वारा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : गन्ना काश्तकार लोग किसी भी प्राइवेट आपरेशन को दे सकते हैं । इसके अलावा कोई शुगर मिल पास हो तो वहां ले जा सकते हैं, मार्केट में ले जा सकते हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या सरकार ने नियम बना रखा है कि शुगर मिल को गन्ना दिया जाय ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं । लोग खुद गन्ने का गुड़ बना सकते हैं दूसरों को दे सकते हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार : राजस्थान की टेरीटरी के बाहर किसी मिल को दे सकते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : एरिया बनाया है गन्ने का, उस एरिया में गंगरार और चित्तौड़गढ़ के बीच का एरिया है, उसका गन्ना मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल-सागर को दिया जाता है और उसके लिए सरकार ने प्रबन्ध कर रखा है ?

श्री अध्यक्ष : That is a different question.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): जहां मिल है वहां शुगर का प्रोडक्शन बढ़े इसके लिए क्या गन्ने के एक्सपोर्ट पर रुकावट की गई है ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर साफ आया है कि गन्ना बाहर भेजा जा सकता है। This is very clear.

(विराम)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय ।

## गंगानगर अस्पताल

२१२. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) गंगापुर में अस्पताल कौनसी श्रेणी का है ?

# Page No.11



( वैद्य श्री गोविन्दसहाय )

(ख) उक्त अस्पताल के लिये कितने डाक्टर स्वीकृत हैं ?

उप मन्त्री, शिक्षा ( श्री निरंजननाथ आचार्य ) :

(क) गंगापुर में किसी भी श्रेणी का अस्पताल नहीं है। वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है।

(ख) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए दो डॉक्टर स्वीकृत हैं जिनमें क्रमशः डॉ: एच. के. खन्ना एवं डॉ. ए. सी. कमलेश कार्य कर रहे हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : क्या वहां लेडी डॉक्टर स्वीकृत नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मिड वाइफ वहां चार हैं, वे स्वीकृति में हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : अब से पांच साल पहले लेडी डॉक्टर थी, एक वर्ष से वहां आज तक नहीं पहुंची है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दो डॉक्टर दे रखे हैं, चार मिड वाइफ हैं, दोनों में समानता है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : पहले भी मिड वाइफ थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब डॉक्टर ज्यादा हैं। लेडी डाक्टर कम हैं इसलिए व्यवस्था इस तरह जमाई है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : दो डॉक्टर्स वहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए हैं, गंगापुर अस्पताल के लिए स्वीकृत नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसके लिए दो हैं। वैसे वहां स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं, अस्पताल खोले हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : गंगापुर सब-डिवीजन में नहीं खोले हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि लेडी डॉक्टर नहीं हैं वहां, उसको कम्पेन्सेट चार मिड वाइफ और दो डॉक्टर करते हैं। दूसरी जगह स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं, अस्पताल खोले हैं, उनकी व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी है, इसलिए वहां नहीं है। वैसे ऐसी शिकायत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि वहां लेडी डॉक्टर की पोस्ट सेंक्शन्ड है और बजट में प्रावधान रखा हुआ है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी सूचना, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नहीं है। दो डॉक्टर्स सेंक्शन्ड हैं। 'Doctor' includes Lady Doctor also.

श्री भैरोंसिंह : Doctor includes the Lady Doctor also यह तो सही है लेकिन बजट में डॉक्टर, लेडी डॉक्टर अलग अलग लिखे हुए हैं। आप अपने बजट ऑफिसर को कहें कि लेडी डॉक्टर और डॉक्टर में डिफरेंशियेट न करें।

# Page No.12



**श्री निरंजननाथ आचार्य** : बजट मेरे भी पास है और मुझे मालूम है कि क्या स्वीकृति है और क्या नहीं। वहां पर दो डॉक्टर, चार मिड वाइफ, दो कम्पाउन्डर, तीन एल. एस. डब्ल्यू। यह बजट में है, इसका आभास है और इसमें लेडी डॉक्टर अलग रूप से स्वीकृत हों ऐसा नहीं है।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : आपने कहा कि लेडी डॉक्टर के बजाय चार मिड वाइफ भेज दी हैं तो क्या ऐसा करने का प्रोवीजन है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैंने यह नहीं कहा कि लेडी डॉक्टर की जगह चार मिड वाइफ भेज दी हैं।

दो डॉक्टर्स हैं, चार मिड वाइफ हैं; उससे कम्पेंसेट होता है।

**श्री विजयसिंह झाला** : आपने कहा कि चार मिड वाइफ भेज कर कम्पेंसेट कर दिया है। क्या आपके यहां ऐसा नियम है कि आप लेडी डॉक्टर की बजाय चार मिड वाइफ भेज कर कम्पेंसेट कर सकते हैं ?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : माननीय सदस्य ने जब लेडी डॉक्टर के ऊपर जोर दिया तब मैंने कुछ इम्प्रेशन दिया है, उससे उन्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल।

**ओवरसियर तथा डिमॉन्स्ट्रेटर व इन्सपेक्टर के वेतन ग्रेड में अन्तर**

२१३. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर तथा इन्जीनियरिंग कॉलेज के डिमोन्स्ट्रेटर्स व इन्सपेक्टर्स समान योग्यता वाले होते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ओवरसियरों का वेतन ग्रेड ९०) रु० से ३००) रु० तक का है जबकि इन डिमान्सट्रेटर्स और इन्सपेक्टर्स का वेतन ग्रेड १७५) रु० से ३५०) रु० तक है ?

(३) क्या यह भी सही है कि डिमान्सट्रेटर्स को ए. एम. आई. ई. का सेक्शन 'ए' पास करने पर ३५) रु० मासिक स्पेशल वेतन अतिरिक्त मिलता है परन्तु ओवरसियरों को इस प्रकार का विशेष वेतन यही परीक्षा पास करने के बाद भी नहीं मिलता ?

(४) समान योग्यता वाले कर्मचारियों के वेतन ग्रेडों में इतने अन्तर के क्या आधार हैं ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना)** : (१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) रिवाइज्ड ग्रेड के अनुसार ओवरसियर्स की वेतन-श्रृंखला निम्न है ......

**श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : जोर से पढ़ें।

**श्री विजयसिंह झाला** : माइक सामने रखें।

# Page No.13



**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : ११५-५-१५५ ईबी-१०-२९५-१२-३२०-३३५ है।

(३) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री विजयसिंह भाला** : सुनाई नहीं दिया। पढ़ते इधर मुंह करके हैं और माइक उधर रह जाता है।

**श्री अध्यक्ष** : वापिस पढ़ दीजिये।

**श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : जरावे माइक के आगे मुंह रखें।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना**: (१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) रिवाइज्ड ग्रेड के अनुसार ओवरसियर्स की वेतन श्रृंखला निम्न है :- ११५-५-१५५ ईबी-१०-२९५-१२-३२०-३३५ है।

(३) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री अध्यक्ष** : श्री उमरावसिंह।

## नहरों पर पुलिया निर्माण

**२१४. श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा)। क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सदेरी व मेजा बांध की जो नहरें बनेड़ा तहसील के गांवों में आई हैं उन पर आम रास्तों पर भी पुलिया नहीं बनाई गई है जिससे जनता को कई मील का चक्कर लगाना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बनेड़ा ने भी सम्बन्धित एस. डी. ओ. को कई बार इन पुलियों को बनाने के लिये कहा है पर वे अब तक नहीं बनी हैं ?

(३) अब राज्य सरकार कब तक इन नहरों पर रास्तों के पुलियों का निर्माण कराने का इरादा रखती है ?

**उप-मंत्री, सिंचाई** (श्री दिनेशराय डांगी): (१) मेजा व सदेरी बांध की जो नहरें बनेड़ा तहसील में निकली हैं उसमें जहां जहां पुलियाओं की आवश्यकता समझी गई थी वहां पर पुलियां बना दी गई थीं।

(२) सहायक अभियन्ता, सिंचाई गुलाबपुरा ने जहां जहां पंचायत समिति बनेड़ा ने और पुलियाएं बनाने की मांग की थी उनके तखमीने बनाकर भेजे थे वो मन्जूर कर दिये गये हैं।

(३) कार्य ठेकेदारों को अलॉट कर दिये गये हैं। शीघ्र ही शुरू करा दिये जावेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

## नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

**२१५. श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सीकर नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध कई

Page No.14



( श्री भैरोंसिंह )

प्रकार के आरोप लगा कर श्री किशनदेव सदस्य, नगरपालिका, सीकर ने धारा ६३(डी) के अन्तर्गत अध्यक्ष को निलम्बित किये जाने के लिये तारीख १५-४-६१ को एक प्रार्थना-पत्र डाइरेक्टोरेट लोकल बॉडीज में दिया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना पत्र को दि० २८-४-६२ को नगरपालिका, सीकर में जानकारी हेतु भेजा गया था ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना पत्र, दिनांक १६-६-६१ को नगरपालिका की मीटिंग में रखा गया और नगरपालिका ने एक मत होकर प्रार्थना पत्र में लिखित आरोपों को सही मान कर डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज के वर्तमान अध्यक्ष को निलम्बित करने की सिफारिश की ?

(४) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

**उप मंत्री, स्वायत्त शासन ( श्री चन्दनमल वैद )**: (१) यह सही है।

(२) यह सही है कि २८-४-६२ के बजाय २८-४-६१ को भेजा गया।

(३) इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(४) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

**श्री भैरोंसिंह** : डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज ने जो लेटर भेजा है उसमें है कि आपका प्रस्ताव हमारे पास पहुंचा है उस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

**श्री चन्दनमल वैद** : मुझे सूचना मिली है कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज को जिस पत्र को भेजने का हवाला दिया गया है, वह प्राप्त नहीं हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह** : जो कम्प्लेंट थी, उसको नगरपालिका को भेजा कि वह अपने कमेन्ट्स भेजे। उन्होंने कोई कमेन्ट्स भेजे हैं प्रस्ताव के रूप में, वह आपको मिले हैं या नहीं मिले ? उसका एकनोलेजमेंट .......

**श्री चन्दनमल वैद** : कमेन्ट्स नहीं मिले हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी के इस जवाब को बिल्कुल सही नहीं मानता और यह चुनौती देता हूं कि माननीय मंत्रीजी जान बूझकर सही बात नहीं कह रहे हैं या उन्हें इन्फारमेशन गलत दी गई है। यह प्रस्ताव पास करके डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज को भेज दिया गया और उसमें उत्तर भेज दिया है कि प्रस्ताव आ गया है, इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं।

**श्री चन्दनमल वैद** : मेरी सूचना यह है कि वह प्रस्ताव या कमेन्ट्स, जो कुछ भी आप कहते हैं, डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज को प्राप्त नहीं हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह समझा जाय कि नगरपालिका अपने कमेन्ट्स कम्प्लेन्ट के लिये भेजे, इसके लिये आपने रिमाइन्डर नहीं भेजे ?

**श्री चन्दनमल वैद** : हम रिमाइन्डर कर रहे हैं और प्रश्न आने के बाद हमने फोन से सम्बन्ध स्थापित किया है तो उनका कहना है कि हमने भेज दिये हैं। इसलिए अब जांच करने के लिए ऑफिसर को भेजने का इरादा है।

**श्री अध्यक्ष** : कॉपी मंगवा लीजिये और।

# Page No.15



**श्री चन्दनमल वैद** : यही बात है। वे कहते हैं कि हमने भेज दिये और हमारे यहां नहीं मिले तो उसकी ऑफिसर भेजकर जांच करवा ली जाय।

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): फोन पर आपको क्या बतलाया है, कुछ कमेन्ट्स बतलाये होंगे ?

**श्री चन्दनमल वैद** : फोन पर हुई बात को सही नहीं माना जा सकता।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि यह नगरपालिका के सामने नहीं आया है क्योंकि यह चेयरमैन के खिलाफ है। जो जवाब आना है वह नहीं आया है इसलिए, तो क्या एक्शन लेंगे ?

**श्री चन्दनमल वैद** : उसके बाद बोर्ड बदल गया है, दूसरा बोर्ड आ गया है।

**श्री भैरोंसिंह** : चेयरमैन वही है। उसके खिलाफ सीरिअस इर्रेगुलेरिटीज के चार्जेज हैं और गवर्नमेंट मौन रहती है। वही चेयरमैन हैं इसलिए उसका जवाब नहीं देगा तो गवर्नमेंट क्यों चुप है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : इसी की जांच के लिए ऑफिसर को भेजा जा रहा है।

**श्री भैरोंसिंह** : १९६१ की कम्प्लेंट हैं, अब तक इसको क्यों दबा कर रखा है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : यह सवाल नहीं है। उनके कमेन्ट्स नहीं आये, सरकार देख रही थी कि आ जायेंगे। जब आपका प्रश्न आया तो मालूम हुआ कि शायद इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए ऑफिसर को जांच के लिए भेज रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भीमसेन।

## जल प्रदाय योजना हेतु सर्वे

२१६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) कस्बा कालू, जिला बीकानेर की जल प्रदाय योजना हेतु सर्वे एवं बोरिंग कब किया गया ?

(२) क्या उक्त योजना हेतु एस्टीमेट्स तैयार कर लिये गये हैं ? अगर हां, तो इस योजना की स्वीकृति कब मिल जायेगी ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) हां, बोरिंग लूणकरणसर व कालू के जल प्रदाय योजना के लिए १९६० में किया गया था।

(२) नहीं।

**श्री भीमसेन** : लूणकरणसर और कालू के लिये आप अलग अलग योजनाएं बना सकते हैं।

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : ऐसा है कि कालू में पानी कम निकला। इसके लिये भारत सरकार की एक कमेटी इस संबन्ध में बिठाई है वह इस बात पर विचार कर रही है कि इसको केनाल से पानी दिया जाय या बोरिंग कराया जाय।

**श्री भीमसेन** : आपने उक्त योजना हेतु एस्टीमेट तैयार कर लिया है क्या ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

**एक माननीय सदस्य :** क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि केनाल से पानी कब तक दे दिया जावेगा ।

**श्री भवानीशंकर नंदवाना :** लिफ्ट से पानी दिया जावेगा ।

**श्री हरिराम चौहान ( तिजारा ) :** यह ५-६ साल से आजायेगा ? क्या लिफ्ट्स के लिये ऑर्डर दिया गया है ?

**श्री भवानीशंकर नंदवाना :** मैंने कहा कि यह सरकार के विचाराधीन है ।

**श्री अब्दुलजब्बार ।** आपने इसका कोई एस्टीमेट कराया है ?

**श्री भवानीशंकर नंदवाना :** मैंने कहा कि नहीं ।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट ।

## चम्बल योजना के केन्द्रीय स्टोर द्वारा सामान का अनधिकृत विक्रय

**२१७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर ) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६० में ६००० पौंड Gilletine चम्बल योजना के केन्द्रीय स्टोर से जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर को दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि Gilletine रखने व बेचने के लिये कोई लाइसेन्स Indian Explosives Act के तहत लेना जरूरी है ? क्या यह भी सही है कि चम्बल योजना अधिकारियों के पास Gilletine बेचने का कोई लाइसेन्स नहीं लिया हुआ था जब उक्त Gilletine जयपुर उद्योग को दिया गया था ?

(३) क्या यह भी सही है कि स्टोर से इस प्रकार के सामान किसी प्राइवेट कम्पनी व व्यक्ति को उधार भी नहीं दिये जा सकते ? यदि हां, तो फिर मामला हाज़ा में नियम विरुद्ध कार्य क्यों किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी को २००० पौंड Gilletine बेचा गया था और उसकी रकम भी वसूल कर ली गई है परन्तु बाद में आपत्ति उठाने पर यह २००० पौंड वापिस जमा करा ली गई ? इस वस्तु की प्रति पौंड कीमत क्या है ?

(५) क्या Indian Explosives Act के तहत Gilletine, जो लाइसेन्स लिया हुआ है उसके अनुसार Gilletine न बची जा सकती थी और न उधार दी जा सकती थी ? यदि हां, तो फिर कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या यह सही है कि इसी कम्पनी को Ferodo-Brake-Lining Spare Part केवल डिविजनल अकाउन्टेन्ट, श्री के० जी० खण्डेलवाल के हस्ताक्षर से ही बेचा गया था ? यदि हां, तो क्यों और कब ?

(७) क्या यह सही है कि स्टोर से डिविजनल अकाउन्टेन्ट के आदेश से कोई चीज इश्यू भी नहीं हो सकती ? यदि हां, तो फिर अनधिकृत बिक्री किस प्रकार की गई ? डिविजनल अकान्टेन्ट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

Page No.17



( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

(८) क्या यह सही है कि यह Ferodo-Brake-Lining Spare Part विदेश से हवाई जहाज द्वारा इम्पोर्ट लाइसेन्स के जरिये मंगाया गया था ? यदि हां, तो कब और क्यों बेच दिया गया ? इसकी कीमत खरीद क्या थी ?

(९) जयपुर उद्योग को कुल कितना सामान चम्बल योजना से कब २ और कितनी कितनी कीमत का दिया गया ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यह माल किस की इजाजत से और क्यों दिया गया ? Indian Explosives Act के तहत बिना लाइसेन्स माल उधार देने का क्या आधार है ?

(१०) यह माल वापिस क्यों लौटाया गया ?

कृषि-मंत्री ( श्री नाथूराम मिर्धा ) :

(१) नहीं।

(२) हां, चम्बल योजना के पास पिछले वर्ष जिलेटीन बेचने का कोई लाइसेन्स नहीं था।

(३) (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी नहीं।

(५) कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।

६. व ७. } हां। सहायक अभियन्ता कोष्ठाकार जिस दिन Ferodo-Brake-lining बेचा गया स्टोर में नहीं थे। यह अधिषाशी अभियन्ता यान्त्रिक विभाग की स्वीकृति आने पर बेचा गया। मूलतः डिविजनल एकाउन्टेन्ट के आदेश से कोई चीज इश्यू नहीं की जाती है। इस त्रुटि के लिये एकाउन्टेन्ट जनरल को उनके प्रति यथा उचित कार्यवाही के लिये लिख दिया गया है।

(८) जी नहीं।

(९) ७५०० पौंड जिलेटीन सन् १९६० में उधार दिया गया जिसकी ढुलाई, गोदाम खर्चा व निगरानी खर्चा करीब २,२००) वसूल किया गया। यह माल लौटा दिया गया है।

(क) १००० पौन्ड जिलेटीन सन् १९६१ में उधार दिया गया जिसके खर्च पेटे करीब २,६००) रु० वसूल किया गया। यह भी लौटा दिया गया है।

(ख) १० फुट ब्रेक लाइनिंग सन् १९५९ में बेची गई जिसको ३६०) रु० से अधिक वसूल किया गया।

(१०) चूंकि माल उधार लिया गया था इसलिये लौटा दिया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** जब माल उधार दिया गया था तो फिर रुपया जमा क्यों कराया गया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** माल उधार दिया तो रुपये जमा कराना ठीक ही था।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** यह तो माल आपने वापिस ओब्जेक्शन्स हुए तब वापिस कराया है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : राज का माल था। वे माल को कब लौटावें इसलिये सेफ्टी के लिये रुपया जमा कराना तो अच्छा ही था और रुपया जमा कराया तो अच्छा हीं किया इससे सेफ्टी ही रही। पैसे गारन्टी के रूप में जमा करा दिये तो इससे कोई नुक्सान तो नहीं हुआ। जब माल वापिस दिया तो लौटा दिये। इसके अलावा चम्बल फैक्ट्री का सीमेन्ट से काफी संबन्ध है।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इन्डियन एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत जिलीटीन नहीं दिया जा सकता ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उनके पास लाइसेन्स है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह जिलीटीन एक्ट की तहत उधार नहीं दिया जा सकता किसी दूसरों को ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उनके पास खुद के पास इसका लाइसेन्स है। इसलिये उधार दिया जा सकता है। चम्बल वालों के पास पहले नहीं था। बाद में ले लिया गया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उस दिन नहीं था जब उधार लिया था ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : फैक्ट्री के पास खुद के पास लाइसेन्स है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जिस रोज लाइसेन्स नहीं था जब आपने उनको यह उधार दिया था ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : नहीं था। यह मैंने कहा है। वे रात दिन काम में लेते हैं इसलिये बाद में लाइसेन्स ले लिया था।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : बिना लाइसेन्स के जिलीटीन को किसी भी रूप में किसी भी सूरत में उधार नहीं दिया जा सकता ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री छत्रसिंह।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, यह सीरियस बात है। राज का माल है। उन्होंने मंगाया। उनका काम रुक गया इसलिये उनको काम चलाने के लिये दिया कहा जाता है। आप कानून के अनुसार इन्डियन एक्सप्लोजिव एक्ट के अनुसार माल दे नहीं सकते। जब दे दिया और ऑब्जेक्शन उठाया गया तो आप कहते हैं कि उनको उधार दिया था और जब आपने उनको माल उधार के रूप में दिया तो फिर लम्पसम रुपया जमा क्यों कराया। गुड विल पर माल उधार दिया जा सकता है। आपने दो हजार के माल के दो हजार रुपये लेकर उनको दिया।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप दोनों को दूर दूर क्यों समझते हैं। दोनों को आपस में मिलजुल कर काम करने से अच्छा काम चलता है। वहीं सीमेन्ट का कारखाना है। उसको मदद करनी चाहिये और प्रोजेक्ट वालों की उनको मदद करनी चाहिये। आपने कहा है कि पैसा जमा करा लिया तो क्यों कराया। मैं यह कहूंगा कि अगर पैसा जमा करा लिया तो क्या बुराई हो गई। यह तो सेफ्टी के लिये अच्छा हो रहा।

इसके अलावा जितनी इर्रेगुलेरिटीज थी वे मैंने आपको बता दीं। उनके पास लाइसेन्स नहीं था, वह उन्होंने बाद में ले लिया।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

एकाउन्टेन्ट को इश्यू करने और माल देने का अधिकार नहीं था, यह असिस्टेन्ट इंजीनियर को था। इसके बाद में यह कहूंगा कि दोनों मिलजुल कर काम करने से ज्यादा बहतरी से काम चल सकता है।

एक की जरूरत को दूसरा पूरा कर सकता है और दूसरे को किसी चीज की जरूरत हो वह पूरी कर सकता है। इस तरह से मिलजुल कर काम अच्छी तरह से हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

### बिजली देने की योजना

२१८. श्री छत्रसिंह (आहोर) [श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई) द्वारा पूछा गया] : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जालोर से आहोर तक जो बिजली की लाइन दी गई है उस मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों को बिजली देने की कोई योजना है? यदि हां, तो वह कब तक कार्य रूप में परिणित हो जायेगी और बिजली किस-किस ग्राम में दी जावेगी?

उप मंत्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा) : जी हां। एक ११ के. वी. सब ट्रांसमीशन लाइन खींच दी गई है। इस लाइन से निम्नलिखित गांवों को बिजली देने की योजना है:

(१) गोदान

(२) भैंसवाड़ा

(३) आहोर

भैंसवाड़ा और आहोर का विद्युतिकरण हो चुका है। गोदान का विद्युतिकरण अभी तक किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

### गंगानगर पालिका क्षेत्र में रिहायशी जमीन

२१९. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गंगाशहर, बीकानेर नगरपालिका क्षेत्र में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो नगरपालिका की किराये की जमीन पर वर्षों से रह रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक रिहायशी जमीन फरोख्त नहीं की गई है?

(२) क्या सरकार इन पुराने किरायेदारों को निश्चित दर पर जमीन फरोख्त करके इस समस्या का समाधान करना चाहती है? अगर हां, तो कब तक?

उप-मंत्री, वित्त श्री चन्दनमल वैद

(१) १३७,

(२) यह विषय जमीनें फरोख्त करने की कमेटी के विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : यह कब से विचाराधीन है? कमेटी का फोरमेशन कब हुआ?

श्री चंदनमल वैद : कमेटी का फोरमेशन ८ मार्च, ६१ को हुआ। इसमें कलेक्टर, चीफ इंजीनियर, फाइनेन्स डिपार्टमेंट के अधिकारी आदि हैं।

Page No.20



**श्री भीमसेन** : इस कमेटी की कोई मीटिंग भी हुई है क्या ?

**श्री चन्दनमल वैद** : मैंने बताया कि यह कमेटी के विचाराधीन है ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): जिन लोगों के मकान वहां पर स्थित हैं और जो सरकार को किराया दे रहे हैं, क्या उनको यह जानकारी है कि उनको रियायती दरों से जमीन दी जायेगी ?

**श्री चन्दनमल वैद** : जानकारी नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ): क्या उन लोगों को जो पुरानी जमीन पर किराये पर रहते हैं उनको जमीन कन्सेशन रेट से दी जायेगी ?

**श्री चन्दनमल वैद** : मैंने कहा कि यह मामला कमेटी के विचाराधीन है ।

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : इस कमेटी को किस प्रकार से इन मामलों को निपटाने के लिए डाइरेक्शन दिये गये हैं कि कितने दिनों से जो किराये पर रहते हैं उनको यह रियायत दी जावेगी ?

**श्री चन्दनमल वैद** : यह मेरे सामने सूचना मौजूद नहीं हैं ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : वह तो जनरल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जैसी दूसरी जगह पर है । वहाँ पर लोगों के मकान १५ वर्षों से या २० वर्षों से बने हुए हैं उनको नीलाम किये जाने की कार्यवाही होगी । इसलिये उन्होंने सरकार से एप्रोच किया कि उनको किसी फिक्स्ड प्राइसेस पर दे दें । सैकड़ों लोगों की इस संबन्ध में एप्लीकेशन्स आई हुई हैं । आपने सिर्फ तीन ही एप्लीकेशन्स का तसफिया किया है बाकी के लिये क्या आपने कोई सिद्धान्त रखा है जिसको लागू करेंगे जिससे उन लोगों को संतोष हो ?

**श्री चन्दनमल वैद** : मैंने आपको बताया कि १३७ केसेज ऐसे हैं । कमेटी बनी है । कमेटी ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है । अगर कोई ऐसी बात आपके ध्यान में आई हो तो आप हमारे ध्यान में लावेंगे तो निश्चितरूप से कार्यवाही की जावेगी ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या कमेटी ने सिफारिश की है कि जमीन नीलाम न की जाय, फिक्स्ड कीमत पर जमीन दी जाय ?

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : कमेटी की मीटिंगें कितनी हुई, यह भी आपको मालूम नहीं है फिर उसने सिफारिश क्या की है यह तो कैसे मालूम होगा ?

**श्री चन्दनमल वैद** : मेरे पास इस समय सूचना नहीं है कि कितनी मीटिंग हुई तो ऑफ हैंड कह दूं कि तीन, चार मीटिंगें हुई थीं तो यह ठीक नहीं होगा ।

**श्री भैरोंसिंह** : कमेटी ने क्या सिफारिश की है ? फिक्स्ड कीमत पर दी जाय या नीलाम की जाय ?

**श्री चन्दनमल वैद** : कमेटी यदि यह सिफारिश करेगी कि फिक्स्ड कीमत पर दी जाय तो सरकार इस पर विचार करेगी ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या सरकार इस प्रकार के प्रश्न पर प्रान्तीय लेवल पर विचार करेगी ? क्योंकि आमतौर पर सारे राजस्थान में ऐसे लोग आबाद हैं उनको फिक्स्ड कीमत पर जमीनें दे दी जांय ।

**श्री चन्दनमल वेद** : ऐसी कमेटी सारे राजस्थान के लिये बनी हुई हैं ।

**श्री भीमसेन** : गंगाशहर के लिये कमेटी बनी है, उसको एक साल से ज्यादा हो गया है । क्या सरकार इसको जल्दी ही निबटाने की कोशिश करेगी ? आखिर, पांच साल, १० साल या बीस साल में कब तक इसकी रिपोर्ट आना जरूरी है ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री केसरीसिंह ।

### कॉज़ वे का निर्माण

२२०. **श्री केसरीसिंह** (पाली) : Will the Minister for Public Works Department be pleased to state :—

(1) Whether Government realises that it is extremely necessary to construct a vented causeway on the road from Pali to Bhadrajun where it crosses the river Bandi some two miles from Pali Twon, and that without this causeway the benefits of the road are virtually nullified particularly during the Monsoons ?

(2) Whether construction of this causeway will be taken up soon enough to have it completed before the commencement of the Monsoons next year ?

**उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना)** : It would be examined if a vented causeway on Bandi river could be taken up against Savings.

**श्री केसरीसिंह** : जो सड़क बनाई गई है, उसका कॉजवे नहीं बनाते हैं तो बनाना न बनाना बराबर है । जो सड़क बनाई गई है और इसके लिये जितनी रकम की सक्शन थी उसमें से बचत भी बहुत है । इसको ठीक करा दिया जाय तो ठीक है नहीं तो इस सड़क का बनाना न बनाना बेकार है । ·

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : सेविंग्ज देखा जा रहा है कि इससे यह बनाया जा सकता है या नहीं । थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो भी बनाया जायगा ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

### दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों का निरीक्षण एवं नियन्त्रण कार्य

२२१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण एवं नियंत्रण आदि का कार्य उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को सौंप दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(२) क्या सरकार यह नहीं समझती थी कि व्यापारी कर्मचारियों के हित उन हाथों में सुरक्षित नहीं रह सकते जिनका संबंध व्यापारी वर्ग से अधिक रहता है ?

(३) क्या सरकार इस कार्य को पुनः श्रम विभाग के अधीन लेने का विचार रखती है ?

Page No.22



उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। दिनांक १ जुलाई, १९६१ से दो विभागों के इन्स्पेक्टर एक ही दुकान पर दो अलग २ अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण के लिये न जाकर एक ही विभाग का इन्स्पेक्टर दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण कर लें, इस विचार से सरकार ने दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम का कार्य बाट व माप निरीक्षक को सौंप दिया।

(२) जी नहीं।

(३) विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि लेबर एडवाइजरी बोर्ड में सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून का इम्प्लीमेन्टेशन इस विभाग से हटा कर श्रम विभाग को दे दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष : कहा न कि विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कमिटेड है गवर्नमेंट इस बात के लिये। इस प्रकार का गवर्नमेंट ने कमिटमैण्ट किया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरी जानकारी में नहीं है, मैं जानकारी कर के बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

## भवनों की खरीद

२२२. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर नगर में सन् १९६० से लेकर अब तक पी० डब्ल्यू० डी० के माध्यम से किस २ विभाग द्वारा किस २ की बिल्डिंग किस २ कार्य के लिये कब २ कितनी २ कीमत में खरीदी गई?

(२) इन बिल्डिंग्स का प्रत्येक का बिल्ट-अप एरिया कितना २ है तथा खाली कितना २ है?

(३) पी० डब्ल्यू० डी० के किस २ अधिकारी द्वारा इनका कब २ क्या २ वेल्यूएशन किया गया था?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आ सका है अतः नक्स्ट टर्न पर इसका उत्तर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

## वाटर वर्क्स विभाग के बिलों के भुगतान हेतु निर्धारित समय

२२३. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Will the Minister for, Water works Department be pleased to answer ;—

(1) How much time is given to a consumer for making payment after delivery of the bill by the State Water Works Department?

(2) Will the Government take steps so as to give clear 15 days period excluding the day of actual delivery of the bill to the consumer and the day of making payment of the Bill?

**उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : 1. An average of 15 days time is generally given except where very large number of bills have to be distributed.

2, The question does not arise.

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

### मकानों और दुकानों के किराये और बेदखली पर नियन्त्रण

**२२४. श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार को मालूम है कि अलवर जिले के गोविन्दगढ़, लक्ष्मणगढ़, खेड़ली, रामगढ़, मालाखेड़ा, किशनगढ़, तिजारा, बहादुरपुर व खैरथल कस्बों में मकानों और दुकानों की किराये की दरें काफी बढ़ती जा रही हैं ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि इन कस्बों की जनता ने किरायों को कन्ट्रोल करने और बेदखली को रोकने की मांग की है ?

(३) क्या सरकार इन कस्बों पर राजस्थान प्रीमिसेज कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन एक्ट को लागू करने का विचार रखती है । अगर हां, तो कब से ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

**उपमन्त्री, गृह** ( श्री भीमसिंह ) :- (१) मकानों की कमी व जनसंख्या वृद्धि के कारण मकानों की आवश्यकता बढ़ती जारही है, यह सर्व विदित है जिससे किरायों में वृद्धि होना आवश्यक है । मकानों के किरायों में वृद्धि हर कस्बे में हुई है ।

(२) इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के पास नहीं प्राप्त हुआ है ।

(३) चूंकि इस जिले में सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ. ६ (४७) जी. ए. ए. ५८, दिनांक १०-८-५६ द्वारा राजस्थान प्रिमिसेज ( रिक्विजिशन एन्ड एविक्शन ) अधिनियम, १९४६ लागू हो चुका है अतः प्रश्न ही नहीं उठता है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या सारे जिलों पर लागू हो चुका है ?

**श्री भीमसिंह** : जी हां ।

प्रश्न संख्या २२५ ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

### जयपुर नगर में ट्रक स्टेन्ड

**२२५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या जयपुर नगर, विकास ट्रस्ट को ५० हजार रुपया जयपुर नगर में ट्रक स्टेन्ड बनाने हेतु दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और उनसे कहां, किस किस स्थान पर ट्रक स्टेन्ड बनाये गये हैं ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ?

**यातायात मन्त्री** ( श्री हरिश्चन्द्र ) : This has been transferred to the Minister for Local Self Government.

लोकल सैल्फ मंत्रीजी को भेज दिया है ।

**श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : वे भी बैठे हैं ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : ट्रान्सफर हो गया है, अगले टर्न पर जवाब देंगे ।

# Page No.24



**श्री भैरोंसिंह :** ट्रान्सफर मंत्रीजी का हो गया है या डिपार्टमेंट का ?

**श्री हरिश्चन्द्र :** क्वश्चन का ।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, आजकल यह परम्परा बन गई है कि क्वश्चन का जवाब न देकर मंत्री महोदय कह देते हैं कि ट्रान्सफर हो गया है । यह परम्परा चल पड़ी है । कोई प्रश्न एड्मिट हो जाता है तो वह यदि ट्रान्सफर किया जाय तो अध्यक्ष महोदय को सूचना देनी चाहिये और क्वश्चन को जब फिक्स अप किया जा चुका है उत्तर के लिये तो उसका उत्तर फिक्स्ड टाइम पर दिया जाना चाहिये । लेकिन ऐसा न कर के असेम्बली में पेश होकर आता है उस वक्त ऐसा उत्तर देते हैं कि ट्रान्सफर हो गया है, यह परम्परा अच्छी नहीं है ।

**श्री हरिश्चन्द्र :** इसके लिये यहां इन्फार्मेशन भेजी गई है ।

**श्री अध्यक्ष :** इन्फार्मेशन आती है पर देर से आती है । एक तरीका यह हो सकता है जिन मंत्री महोदय के प्रश्न ट्रान्सफर किया जाय वे उसी तारीख को उत्तर दे दें ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो दिक्कत आ जायगी ।

**श्री अध्यक्ष :** १३ दिन इसकी इत्तला में लगे हैं । दो तारीख को आपको गया १५ तारीख को हमारे पास सूचना आई है ।

श्री भैरोंसिंह ।

## नगरपालिका द्वारा झालावाड़ में निर्माण कार्य

२२६. श्री भैरोंसिंह ( किशनपोल, जयपुर ) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ नगरपालिका को सरकार द्वारा नगर में नालियां बनाने तथा गलियों में पटाव किये जाने के लिये सन् १९६०-६१ से लेकर अब तक कितनी धन-राशि ऋण तथा सहायतार्थ दी गई और किस २ वर्ष में ?

(२) इस कार्य में सरकारी रकम तथा उसके साथ २ नगरपालिका की कितनी २ धन–राशि व्यय हुई ?

(३) क्या यह सही है कि इस धन के दुरुपयोग की शिकायतें जनता द्वारा की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) यह निर्माण का कार्य किस प्रकार से कराया गया और क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया ? यदि हां, तो कब ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त-शासन** ( श्री चन्दनमल बैद ) : (१) सन् १९६०-६१ से लेकर अब तक नगरपालिका, झालावाड़ को इस विभाग द्वारा नगर में नालियां बनाने तथा गलियों मे पटाव किये जाने के लिये कोई ऋण तथा सहायता नहीं दी गई ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता

**श्री अध्यक्ष :** श्री नाथूलाल करोल ।

## चाकसू कोट खावड़ा सड़क

२२७. **श्री नाथूलाल करोल** (चाकसू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कस्बा चाकसू, जिला जयपुर से ग्राम कोटखावड़ा तक सड़क की मंजूरी हुए करीब ८ साल का अर्सा हो गया है और कुछ सड़क का निर्माण भी करवाया जा चुका है ?

(ख) यदि हां, तो बाकी सड़क, विभाग द्वारा बनवाने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण** ( श्री भवानीशंकर नन्दवाना ): (क) यह सही है।

(ख) कार्य चालू है जो इसी वर्ष पूरा हो जायगा।

**श्री नाथूलाल करोल** : उसी ठेकेदार द्वारा कार्य चालू है या दूसरे को ठेका दिया गया है ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : दूसरा ठेका दिया है।

**श्री नाथूलाल करोल** : क्या उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की गई है ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : जी हां, की गई है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

## जयपुर नगर में जमुवा रामगढ़ बांध से पानी

२२८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जयपुर नगर में जमुवा रामगढ़ बांध से पानी लाने के लिए मोटे पाइप डालने का कार्य कब शुरू हुआ था ? क्या मोटे पाइप डालने का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा हो जावेगा ?

(२) क्या आजकल भी मोटे पाइप डालने का कार्य चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि मोटे पाइप से पानी लाने का कार्य इसलिये बन्द पड़ा है कि इन पाइप्स के आवश्यक पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं ?

**उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) यह कार्य सन् १९५५-५६ में शुरू हुआ था। मोटे पाइप डालने का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : कब पूर्ण हुआ ?

**सार्वजनिक निर्माण-मंत्री** (श्री हरिश्चंद्र): पूर्ण तो हो गया पर लाइन का टेस्टिंग हो रहा है ज्यों ही लाइन का टेस्टिंग पूरा हो जायगा, पानी की कहीं दिक्कत नहीं रहेगी।

**श्री भैरोंसिंह** : टेस्टिंग कब खत्म होगा ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : दो महीने में खत्म हो जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या टेस्टिंग के समय बीच में लीकेजेज मिले हैं ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : पाइप्स बर्स्ट होते हैं, यह तो नेचुरल फिनोंमिना है।

**श्री भैरोंसिंह** : इसका मतलब यह है कि टेस्टिंग में पाइप्स बर्स्ट होते हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र** : यह तो सब जगह होता है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या दो महीने बाद इस लाइन से पानी सप्लाई किया जा सकेगा ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : टेस्टिंग चालू है और टेस्टिंग खत्म होते ही कोशिश की जायगी कि जल्दी से जल्दी पानी सप्लाई किया जाय। हमारा तो कोई इन्टरेस्ट है नहीं कि पानी को रोकें।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि टेस्टिंग करने में पानी एवरेज तक नहीं पहुंचा है ?

**हरिश्चन्द्र** : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि पानी कहां तक पहुंचा है।

**श्री भैरोंसिंह** : टेस्टिंग एक दो या चार बार होता है, अब दो महीने का क्या काम है, जब कि ४ महीने से हो रहा है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : रामगढ़ की काफी लम्बी लाइन है, जल्दी से जल्दी टेस्टिंग का काम किया जा रहा है।

## राजस्थान विनियल एन्ड केमिकल इन्डस्ट्री, कोटा

२२६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि कोटा नगर में राजस्थान विनियल एन्ड केमिकल इन्डस्ट्री जो कास्टिक सोडा आदि बनावेगी उससे जो एफ्लुएन्ट डिस्चार्ज होगा, उसमें प्रचुर मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा ?

(२) उक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पास के नालों में बहेगा उसके हानि पहुंचाने वाले प्रभावों से जन व पशु व वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है अथवा क्या प्रिवेन्टिव मेजर्स अपनाए जावेंगे ?

**उप-मंत्री शिक्षा** (श्री निरंजननाथ आचार्य) : इस समय कहना असंभव है कि विनियल.....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Let one seak at a time.

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : I think, there is misconception in the mind of the friend.

**श्री अध्यक्ष** : That applies to the hon'ble friend also.

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (१) इस समय यह कहना असम्भव है कि विनियल एन्ड केमीकल इन्डस्ट्रीज़ सोडा इत्यादि बनावेगी और जिससे एफ्लुएन्ट डिस्चार्ज होगा उसमें प्रचुर मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा।

( श्री निरंजननाथ आचार्य )

(२) पार्टी को नाले में एफ्लुएन्ट डिस्चार्ज करने की सम्मति केवल ऐसी शर्त पर दी गई है कि वे एफ्लुएन्ट पहले न्यूट्रेलाइज करेंगे अथवा नाले में डिस्चार्ज करने से पहले हल्का (एलक्लाइन) कर देंगे।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : हल्का करने का प्रोसेस क्या होगा ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह बड़ा टेक्निकल प्रश्न है कि इसका क्या प्रोसिजर होगा। इसके सम्बन्ध में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। यह मैं कह सकता हूं कि इसको पहले न्यूट्रेलाइज किया जावेगा।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : हेड्रोगेस निकलेगी वह लोगों को नुकसानदायक होगी या नहीं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : एफ्लुयन्ट डिस्चार्ज का जो प्रोसिजर है वह अपनाया जावेगा और सफल होगा।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : मंत्री महोदय किस आधार पर कह रहे हैं, क्या उनके पास एक्स्पर्ट की ओपिनियन है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैं आधार पर ही अर्ज कर रहा हूं। हैल्थ डिपार्टमेंट और साइन्स दोनों का हूं। हैल्थ और साइन्स दोनों में समझने वाले विशेषज्ञ हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले इस पर पूरी तरह से जानकारी कर लें क्योंकि इन्डस्ट्री जहां है आस पास में काश्तकारी होती है, वहां के लोग इससे घबरा रहे हैं और जैसी कि उनको सूचना मिली है कि वहां पर एफ्लुएंट डिस्चार्ज होगा उससे वहां सारी बदबू इसकी हो जावेगी और लोगों के स्वास्थ्य और वनस्पति पर इसका गम्भीर प्रभाव पड़ेगा इसलिए अन्तिम जानकारी दें उससे पहले वे इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी कर लें।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : प्रश्न का उत्तर देने के पहले हम कितने सजग हैं। सेन्टरल वाटर बोर्ड की स्थापना की जाय उसके लिए प्रयत्नशील हैं। यह सारे राजस्थान का प्रश्न है और इसके लिए पूर्ण रूप से सजग हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : आप क्या यह मानते हैं कि एफ्लुएंट डिस्चार्ज होगा तो वह नुकसानदायक होगा।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मानने का प्रश्न ही नहीं है। जो जहरीला पदार्थ होता है उससे सजग होने का प्रश्न है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या वह नुकसान दायक होगा या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय ने कहा कि उसको डिस्चार्ज करने से पहले न्यूट्रेलाइज किया जावेगा।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : मैं यह कह रहा हूं कि किस प्रकार न्यूट्रेलाइज किया जावेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : यह टेक्निकल मामला है। सदन को इससे संतोष कर लेना चाहिये कि नदी में कोई खतरनाक चीज न जाय।

**श्री भैरोंसिंह** : ( किशनपोल, जयपुर ) मंत्री महोदय से मीठी चीज तो कोई निकलती नहीं है, खतरनाक ही निकलेगी।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री पोहूमल।

( १२.४ म. प. )

## ऑफिशियल रिसीवर इनसोल्वेन्सी कोर्ट, अजमेर सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन

**डा० पोहूमल ईसरदास** (अजमेर सिटी, पश्चिम) : I beg to present a petition signed by Shri R. B. Goel, petitioner, regarding the rate of commission given to the Official Receiver, Insolvency Court, Ajmer.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर) : On a Point of order, Sir, I would like to know whether under the rules, a petition can be presented with regard to the amount paid to an Official Receiver under legal proceedings or insolvency proceedings.

**श्री अध्यक्ष** : यह पिटीशन कमेटी के सोचने की बात है।

## विधायी कार्य

**श्री मथुरादास माथुर** ( गृह-मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय, मैं ....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : On a point of order, Sir......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : मैंने जो पोइन्ट उठाया था उसके लिए क्या हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : वह तो कमेटी के देखने की बात है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: The matter relates to the court and the fixation of amount by a court. How can this House interfere in these matters, which are administered by the court.

**श्री अध्यक्ष**: कमेटी यह रिपोर्ट कर सकती है। This is just a prima facie reference without any commitment on either side.

## राजस्थान विधि निरसन तथा संशोधन विधेयक, १६६२

( पुरःस्थापन आस्थगित )

**श्री रामानन्द अग्रवाल**(अलवर): On a point of order, Sir. The Bill, which the Hon'ble Minister, proposes to introduce, concerns amendments in several other Acts. According to the Rules of Procedure and Conduct of Business, any motion or any resolution must refer only to one definite purpose and because the present Bill seeks to amend so many other Acts, it is not in order. Separate amending Acts should be brought for separate Acts and, therefore, I think, this is not in order.

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : The clause is very clear for 'definite purpose'. The purpose is very clear to amend certain laws. They are not defective.

**श्री अध्यक्ष** : इसकी व्यवस्था कल दी जावेगी और इसको कल लिया जावेगा।

( विराम )

श्री श्योपतसिंह।

## राजस्थान के भाकड़ा क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को दी गई भूमि के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना

**श्री श्योपतसिंह** ( हनुमानगढ़ ): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत राजस्थान के भाखड़ा क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को एलॉट की गई भूमि से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षिक करता हूं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उपमंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने....

**श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलिये।

**श्री अध्यक्ष** : अभी शुरू ही कर रहे हैं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राज्य सरकार का ध्यान अपने नोटिस के जरिये आकर्षित किया है कि गंगानगर जिले में भाखड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र में जिन भूमिहीन किसानों को जमीन एलॉट की गई थी और उनके द्वारा उस जमीन की कीमत की किश्तें समय पर न देने की वजह से कुछ लोगों के एलॉटमेन्ट्स को खारिज किया गया। उस खारिज की बजह से आपके कथनानुसार एक विषम परिस्थिति हुई जिसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया। यद्यपि उस नियम के अनुसार उस नियम का पालन न करने पर कोई एलॉटमेन्ट खारिज किया गया हो उससे विषम स्थिति और सार्वजनिक प्रश्न नहीं बन जाता है फिर भी सदन की जानकारी के लिए इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

जिस प्रकार जमीन के एलॉटमेन्ट करने के नियम बने हुए हैं, उनमें भूमिहीन किसानों को जो जमीन दी जाती है वह १५ सालाना किश्तों से जमीन दी जाती है और वे किश्तें भी इसी प्रकार की होती हैं कि धीरे धीरे उनकी रकम बढ़े, शुरू में साधारण सी रकम हो। फिर जनरल कन्डीशन्स और कालोनी कन्डीशन्स के रूल्स हैं उसके अन्तर्गत यदि कोई किसान जमीन की किश्त समय पर नहीं देता है तो कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों को अधिकार है कि जमीन रिज्यूम कर ले किश्त समय पर अदा न करने के कारण। इस नियम के अनुसार कुछ ऐसे केसेज हुए हैं कि एक किश्त की अदायगी न हो, दो किश्त की अदायगी न हो बल्कि कुछ अधिक किश्तों की अदायगी न होने से एलॉटमेन्ट खारिज किये गये। नियमानुसार कार्यवाही हुई है उसमें विशेष रियायत का सवाल नहीं रहता है। फिर भी वहां पर जब मुख्य मंत्री महोदय का दौरा हुआ तो यह बात सामने लायी गई, यह कठिनाई पैदा हुई। कुछ किश्तों के अदा न होने के कारण अलॉटमेंट खारिज कर दिया गया उनको किस प्रकार रिओपन करके फिर से बहाल किया जाय। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक प्रस्ताव बनाया है और वह विचाराधीन है। उस प्रस्ताव के अन्तर्गत

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

किश्त के पेमेंट की जो अवधि है उसको बढ़ा कर उनके केसेज को रिओपन करने का मसला है और उस निर्णय के बाद इस प्रकार जिन लोगों के एलॉटमेंट कैन्सिल हुए हैं वे अपने करेन्ट ड्यूज के अलावा दो चढ़ी हुई किश्तें जमा करा दें और बाकी की किश्तों की अवधि निश्चित की हुई है, जो काफी वर्षों की है, लगभग पांच वर्ष तक स्प्रेड होती है, वे जमा करा दें तो एलॉटमेंट कैन्सिल किये हैं वे रीओपन हो जावेंगे। इस प्रस्ताव के बाद इस समस्या को जो सार्वजनिक महत्व की बतायी है वह हल हो जावेगी, यही मेरा निवेदन है।

**श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : उप-मन्त्री महोदय से मेरी अर्ज है कि ऐसे भी कई केसेज हुए हैं जिनकी जमीन नीलाम हो चुकी है और दूसरे किसानों को एलॉट की जा चुकी है इसके बारे में सरकार क्या सोचती है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इस प्रकार के केसेज हैं जिसमें लोगों को जमीन मिली थी उनका एलॉटमेंट कैन्सिल हो गया जिनका एलॉटमेण्ट कैन्सिल हो गया वह भूमि मेरी सूचना के आधार पर अभी तक नीलाम नहीं की गई है इसलिये जो प्रश्न उठाया गया है वह सवाल पैदा नहीं होता।

**श्री श्योपतसिंह** : इस तरह के उदाहरण भी हैं जो लोग किश्तें भर चुके, तीन तीन किश्तें भर चुके हैं उनके कहने के बावजूद उनकी जमीन नीलाम की गई।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जिस रोज मई-जून महीने में जो प्रस्ताव बनाया जिसकी मन्जूरी नहीं हुई उस अर्से के अन्दर एलॉटमेंट कोई भी इस आधार पर खारिज नहीं किया गया।

**श्री श्योपतसिंह** : इस तरह के भूमिहीन किसान जो तीन तीन किश्तें भर चुके हैं बाकी की किश्तें देने के लिये तैयार हैं उन पर गौर नहीं किया गया और उनकी जमीन नीलाम कर दी गई। उप-मन्त्री महोदय से मैं यह भी पूछना चाहूंगा भाखरा क्षेत्र में पिछले दो साल से ऐसे कितने भूमिहीन किसान हैं जो एक या दो २ किश्तें भर चुके हैं १००) रु० और १५०) रु० के हिसाब से मगर उनको आज तक न कोई भूमि भाखरा क्षेत्र में दी गई और न दूसरी जगह ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इतनी डिटेल्स की जानकारी मैं दे नहीं सकता इसकी जानकारी प्राप्त करके ही बता सकता हूं ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। हर केस की जानकारी रखना मुश्किल है। जब तक इनडिविज्युयल केसेज की जानकारी डिटेल्स में मैं न करलूं कुछ निवेदन नहीं कर सकता।

**श्री अध्यक्ष** : आप गवर्नमेंट की नीति के सम्बन्ध में जानकारी ले सकते हैं किसी नीति का पालन नहीं किया जा रहा है तो ध्यान आकर्षित करें।

**श्री श्योपतसिंह** : सवाल यह है कि हमारी सरकार छःवीं किश्त वसूल कर रही है। इन्होंने पहली पांच किश्तें १५) २०) १२।) रु० प्रति बीघा के हिसाब से ली। मगर छठी किश्त वसूल की जा रही है २०) ३०), १५) रु० पर बीघा के हिसाब से। इससे इस इलाके में बड़ा भारी असन्तोष

(श्री श्योपतसिंह)

फैला है । सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि रियायत बरती जा रही है, लेकिन रियायत तो दूर रही उन पर ज्यादती की जा रही है । जहां १२।।) और १५) २०) रु० बीघा के हिसाब से कीमत मान कर ली गई। पहले ही इन पांच सालों में वहां पानी नहीं लगा । ऐसी हालत में वे काश्त करने में असमर्थ हैं फिर भी आपने नहरी किश्त वसूल की है । कुछ एरिया है जहां नाली की बाढ़ आई है वहां की जमीन खारिज करने का नोटिस दिया जा चुका है और कई आदमियों की जमीन खारिज भी कर दी गई है । उप-मन्त्री महोदय को बताना चाहिये । वहां के लोगों को बड़ी भारी मुसीबत है वह नहीं बताई गई है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने किश्तों के बारे में कहा था उसका आशय यह था कि जहां १५ वर्षों की किश्तों में जमीन एलॉट की गई है उनकी किश्तों की रकम धीरे २ हर साल बढ़ती है । जिन दरों से जमीन बेची है उसमें कमी कर दी है ।

जिन जगहों पर पानी नहीं पहुंचा वहां रेट वसूल करने का प्रश्न उठाया । डायरेक्टली इस समस्या से सम्बन्ध नहीं रखता• फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं जो प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है उस प्रस्ताव की सेंक्शन हो जाने पर जो समस्या उठाई गई है वह भी हल हो जायेगी । इस समस्या के हल के सम्बन्ध में और कन्सेशन करने के सम्बन्ध में भी उसमें प्रावधान है ।

श्री श्योपतसिंह : जिन लोगों ने नहरी इलाके में जमीन ली है वहां पानी ही नहीं पहुंच रहा है तो किस आधार पर रेट ले रहे हैं ? आप कह रहे हैं हम तो रियायत बरत रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि इसका प्रावधान नये प्रोपोजल में रखा है कि इस प्रकार के केसेज में किस प्रकार से डीलविद किया जाय । चाहे वे केसेज निकल चुके हों या जारी हों, रीओपन करने का यह प्रश्न है । करेन्ट केसेज हैं उनका प्रावधान के अन्तर्गत विचार करके फैसला करेंगे दोनों प्रकार के मामले इसमें कवर अप हो जायेंगे ।

श्री श्योपतसिंह : जिन लोगों की जमीन खारिज हो चुकी और दूसरे लोगों को अलॉट हो चुकी उसके बारे क्या निर्णय है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो जमीन खारिज की गई नीलाम नहीं की गई । नीलाम नहीं करने का आदेश है ।

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस तरह की नीलाम नहीं की गई है तो हार्ड केसेज अगर आपके ध्यान में लाये जायेंगे तो उन केसेज में आप क्या रियायत देंगे ? क्या आल्टरनेटिव जमीन देने का विचार रखते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : दो गम्भीर केसेज मैं आपके सामने उपस्थित करूं । जब सूरतगढ़ फार्म इरेक्ट हुआ था वहां के लोगों को करणीसर में जमीन मिली पूरे छः वर्ष बाद मिली । उनसे छः साल की किश्त मय व्याज के वसूल कर रहे हैं जो सौ गुणा ज्यादा है ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

घमंडिया में १ हजार बीघा जमीन हरिजनों को एलॉट हुई थी उसमें एक मामराज है जिनसे पांच साल की किश्त एक साथ वसूल कर रहे हैं। डाइरेक्टर आॅफ कॉलोनाइजेशन को इस बारे में जिक्र किया। मोड नहर के ऊपर हरिजनों को धरती एलॉट हुई। उनसे पांच साल की किश्त मय सूद ब्याज के वसूल कर रहे हैं। यह गंभीर स्थिति है। क्या वे हरिजन एक साथ इतनी रकम दे सकेंगे? इसके साथ यह भी निवेदन कर दूं जिस स्थान पर धरती एलॉट हुई वहां अब भी पानी नहीं पहुंच रहा है।

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा :** जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, जिन लोगों को जमीन एलॉट हुई है और कब्जा नहीं मिला, किश्तें मांगी जा रही हैं। उन किश्तों की अदायगी किस प्रकार शुरू हो उसका भी प्रावधान उस प्रस्ताव में है।

**श्री श्योपतसिंह :** किश्तों की जो कुर्कियां जारी हो गई हैं और बहुतों का तो माल डंगर आदि सरकार ले भी गई है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार की वसूली को रोकने के लिये आदेश जारी करेंगे?

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा :** ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

**श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) :** अभी जैसा कि उप-मन्त्री महोदय ने फरमाया एलॉटमेन्ट आॅफ लैंड के सम्बन्ध में सेल होने से पहले इन्स्टालमेंट नहीं दिया और दुबारा ले लेता है तो उसमें लीगल फोर्स नहीं रहता। Contract or transaction in instalments without legal force is illegal. ऐसा कोई प्रावधान है जिसके जरिये हम रिकवरी कर सकते हैं जब तक कान्ट्रेक्ट में इस प्रकार का प्रावधान न हो।

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा :** मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन ने जो एक्ट और रूल्स पारित किये हैं उनमें जनरल प्लान कन्डीशन की धारा २२ है उसमें स्पष्ट यह अधिकार दिया हुआ है कि जो सम्स पेएबल हैं और निश्चित अवधि में पेएबल हैं, उस अवधि में वे पे नहीं हों तो राज्य सरकार को अधिकार है कि वह वापिस उसको रिज्यूम कर लें। सेल की बात कही गई, पर सेल कम्प्लीट होती है When the consideration of the sale is paid आप एक किश्त दें और बाकी के लिये दावा करने के जाने की बात कहें तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें नहीं है। इतने अर्से में रकम जमा कराने का अधिकार है और इसलिये ये रूल्स वेलिड हैं कि अगर उस अवधि में सम्स नहीं चुकाये जावे तो रिज्यूम की जा सकती है।

**श्री श्योपतसिंह :** मैं इस पर नहीं कह रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि जो किश्तें भर चुके हैं, पहली किश्त दे चुके हैं उनको अभी तक जमीन एलॉट नहीं की गई तो उनको कब तक करेंगे, यह बता दें?

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा :** यह जो प्रश्न विचाराधीन है वह तो केवल इस बात का है कि लोगों को जमीन एलॉट की गई और एलॉटमेन्ट को पेमेन्ट नहीं होने के कारण कैंसिल किया गया। आपका प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

**श्री श्योपतसिंह :** नहीं नहीं, जिनसे आपने किश्तें ले लीं और फिर भी जमीन एलॉट नहीं की तो बगैर एलॉटमेन्ट के किश्तें कैसे लें लीं ?

**श्री अध्यक्ष :** पजेसन नहीं मिला होगा।

**श्री श्योपतसिंह :** जी हां।

**श्री अध्यक्ष :** इसका जिक्र श्री हांडा कर चुके हैं और उत्तर भी दिया जा चुका है। इसका प्रावधान है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा :** ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर हो चुका हो, पर कब्जा नहीं दे पाये हों किन्हीं कारणों से या वह दूसरे के कब्जे में हो या और कोई बात हो तो इसके इन्स्टालमेन्ट के पेमेन्ट की बात को हल करने के लिये तो पहले ही मैं निवेदन कर चुका हूं कि इस प्रस्ताव में इसके लिये प्रावधान किया जावेगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** आपके इस प्रावधान के होने तक तो वे स्वर्गलोक पहुंच जावेंगे। बकाया निकाल दी है पांच पांच साल की। पांच साल के बाद किसी को पजेशन मिला है, किसी को अब भी नहीं मिला है। तो उनको इमीजिएट रिलीफ की जरूरत है। क्या आप इसके लिये कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को आदेश देकर ऐसे लोगों के प्रति जो सख्तियां हो रही हैं वे बन्द करेंगे ? इसके सम्बन्ध में आपसे स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा :** स्पष्ट उत्तर का सवाल पैदा नहीं होता। उन्होंने एक नोटिस के जरिये सदन का अटेन्शन ड्रॉ किया है कि किश्तों की अदायगी समय पर नहीं करने के कारण जिनकी भूमि का एलॉटमेन्ट कैन्सिल कर दिया गया है उसके सम्बन्ध में आपने अटेन्शन ड्रॉ किया है अब जो आप प्रश्न उठाते हैं वह उससे सम्बन्ध नहीं रखता है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रामानन्द अग्रवाल।

**श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :** अध्यक्ष महोदय,……

**श्री अध्यक्ष :** Order please !

**श्री विजयसिंह झाला :** एक जानकारी चाहूंगा इस बारे में कि……

**श्री अध्यक्ष :** पहले पूछना चाहिये था। पचास प्रश्न पूछे जा चुके हैं पर आपने उस वक्त एक भी नहीं पूछा।

**श्री विजयसिंह झाला :** उनको नोटिस भी दिया या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष :** यह तो छोटी सी बात है। यहां तो नीति की बात हो रही है।

### गांधी सागर बांध के बिजलीघर की बिजली का उपयोग करने संबन्धी तारांकित प्रश्न संख्या २८ (५१ पी०डब्लू०एम०) पर आधे घंटे की चर्चा

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** अभी दस तारीख को प्रश्न संख्या २८ का

# Page No.34



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उत्तर देते हुए माननीय निर्माण मंत्री ने यह बतलाया था कि चम्बल प्रोजेक्ट से जो बिजली का हिस्सा हमें मिलना चाहिये वह करीब बीस हज़ार किलोवाट है। पर इस समय हम केवल १३।। हजार किलोवाट का उपभोग कर रहे हैं। हमने बकाया बिजली का उपभोग किया नहीं, तो क्यों नहीं ? इसका उत्तर देते हुए बताया था माननीय मंत्री महोदय ने कि दिल्ली क्लोथ मिल्स के लिये यह करीब आठ हजार किलोवाट रिजर्व की हुई है और चूंकि इसने अभी काम चालू नहीं किया है इसलिये बिजली का उस हिस्से का उपयोग नहीं हो रहा है।

•अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर स्थिति की ओर संकेत करता है जिससे कि अपने राजस्थान के न केवल एक विद्युत शक्ति का जो कि हमारा कायदे के अनुसार हिस्सा है जिसके लिये हमें इतनी भारी जरूरत है उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं बल्कि साथ ही वह जो आर्थिक हानि उसके प्रोडक्शन की वजह से जो जनरेटिंग कॉस्ट है उसका पंचास प्रतिशत हम अभी भी लगातार पेमेन्ट कर रहे हैं, इसलिये इस प्रश्न से कई सवाल उठते हैं और वे इस प्रकार हैं कि:

(१) हमारे राजस्थान का हिस्सा जो टेम्परेरिली मध्यप्रदेश सरकार इस्तैमाल कर रही है तो फिर उसी तरह से टेम्परेरिली हमारी राजस्थान सरकार इस्तैमाल क्यों नहीं कर सकती ?

(२) यह भी सवाल है हमारी सरकार ने जब मध्यप्रदेश सरकार को मौका दिया है इतनी बिजली वसूल करने का तो हमारी सरकार को मध्यप्रदेश सरकार से ऐसा एग्रीमेन्ट करना चाहिये था कि आगे हमें कभी जरूरत पड़ी बिजली की तो जितने अर्से तक जितनी किलोवाट बिजली मध्यप्रदेश सरकार हमारे हिस्से की इस्तैमाल करती रही है उतने ही अर्से तक उतनी ही बिजली का कन्जम्प्शन एक्स्ट्रा हमें मध्यप्रदेश सरकार अपने हिस्से में से देकर हमें कम्पेन्सेट करे। इस प्रकार का एग्रीमेन्ट म्यूचुअल बेनीफिट के लिये कहा जा सकता है। otherwise this agreement is not in our interest. यह कहा जावेगा कि यह हमारे हितों के विरुद्ध है और हमारी अकर्मण्यता के कारण मध्यप्रदेश सरकार उसका उपभोग कर रही है।

(३) तीसरा प्रश्न यह है कि जिस दिल्ली क्लॉथ मिल के लिये यह इनर्जी रिजर्व की गई है क्या उससे एग्रीमेन्ट किया गया है कोई ? अगर किया गया है तो कितने वर्ष तक इन्तजार करेंगे आप और इन्तजार करेंगे तो उस अर्से में क्या दिल्ली क्लॉथ मिल को इस बात के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता कि जो इनर्जी हम उनके लिये रिजर्व रख रहे हैं उसकी कीमत वह हमें पे करे।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि अभी तक तो केवल २० हजार किलोवाट बिजली का हम उपभोग नहीं कर पा रहे हैं इसमें से तीसरा हिस्सा लगभग दूसरी स्टेट इस्तैमाल कर रही है।

बहुत ही जल्दी शायद इस साल के अन्त में चौथा टरबाइन भी काम करने लगेगा,

# Page No.35



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ऐसी आशा है और चौथा टरबाइन काम करने लगेगा तो आगे तीसरा टरबाइन चालू रहकर अगर चौथे को स्टेन्ड भी माने तो ७३ हजार में से हमारे हिस्से में ३४॥ हजार किलोवाट बिजली आवेगी। तो ऐसी हालत में राजस्थान सरकार की क्या प्लान्स हैं उस तमाम बिजली को सही तरीके से इस्तेमाल करने की। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं जान पाया हूं सदन इस प्रश्न की गम्भीरता को अभी तक महसूस नहीं कर रहा है और केवल एक मिल, दिल्ली क्लॉथ मिल, को देने वाली बिजली का उपयोग दूसरे कन्जूमर्स के लिये आ सकता है वह भी नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो आगे आने वाली बिजली है उसको अभी से ट्रान्समिशन लाइन डालकर ठीक वक्त पर उपभोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं? इस विषय में भी सरकार ने जानकारी नहीं दी है।

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार की मुझे जानकारी मिली है, अभी जो सवाई मधोपुर में सीमेन्ट फैक्टरी है, उसका अपना अलग बिजलीघर है हमारी सरकार ने उसको अपना अलग बिजलीघर बनाने के लिये ६० लाख लोन तो दिया ही है इसके अतिरिक्त ७५ लाख के डिबेन्चर शेयर भी हैं और अब यही सीमन्ट फैक्टरी उस बिजलीघर से अपने लिये बिजली का उपभोग न कर के थर्मल पावर का उपयोग नहीं करके, हाइडल का उपभोग करना चाहती है। इस बारे में मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार आश्वासन दे कि इस सीमेन्ट फैक्टरी को हाइडल पावर का इस्तेमाल नहीं करने दिया जावेगा बल्कि अब जो नई इन्डस्ट्रीज प्रतिष्ठित हो रही है या होने वाली है उनको उपभोग के लिये देने के लिये रखा जायगा।

तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से उस क्वेश्चन के कुछ मुद्दे रह गये थे उस रोज पूरी तरह से उत्तर देने से। अब मैं चाहूंगा कि इन प्रश्नों पर माननीय मन्त्री सरकार की तरफ से स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

**श्री हरिश्चन्द्र** (विद्युत् मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने जो बहस उठाई है उसके विषय में मैं आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वैसे बजट के दौरान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की चर्चा जिस समय सदन के सामने की गयी थी और उस पर काफी सुझाव और जो प्लैन्स हैं उसके ऊपर यहां विवाद भी हुआ था। अभी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा है उसके विषय में मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। गांधीसागर पर इस वक्त ३ टरबाइन लगे हैं। २३ हजार किलोवाट में से एक स्टेण्डबाई रखा जाता है और दो की बिजली ली जाती है। राजस्थान का जो शेयर इस समय करीब २० हजार किलोवाट के आसपास का है, मैंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि राजस्थान १३॥ हजार किलोवाट बिजली ले रहा है। यह बिजली जो बची उसके लिए माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। इस वक्त हमारे पास जो बिजली है इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोड डवलपमेन्ट जो राजस्थान में हुआ है और जिस स्थिति में हमारा विद्युत मण्डल पास हो रहा है उसमें यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे जो भी प्लान्स

(श्री हरिश्चंद्र)

हैं उनको बिल्कुल निर्धारित समय के ऊपर एग्जीक्यूट कर लें। मेरा खयाल है कि कई ऐसी चीजें हैं जो बाहर से आती है। उनका सम्बन्ध सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और राजस्थान सरकार तक ही सीमित नहीं है लेकिन सी० पी० डब्ल्यू० सी० से सम्बन्ध है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है और दूसरे देशों से हैं। यह मैं नहीं कहता कि हम लोग या राजस्थान सरकार इस बात का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कि ये डिलेज़ क्यों होती हैं लेकिन लोड डवलपमेन्ट एक ऐसी चीज है कि वह कोई निर्धारित समय में हम सारा का सारा लोड डवलपमेंट कर लें ऐसी बात नहीं है। आपको शायद बताया गया था कि पहले कोटा में हमने यह अनुमान किया था कि वहां का ग्रीड सब-स्टेशन जो है वह करीब ६।। हजार किलोवाट का होना चाहिए लेकिन जिस तरह से राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ लग रही हैं उसको देखते हुए वह फिगर्स जो ६ हजार की थी करीब ६०-६५ हजार के आसपास पहुंच गयी लेकिन लोड डवलपमेंट इतना जबरदस्त तेजी से चल रहा है कि कभी-कभी हमें यह फिक्र होने लगी है कि क्या हमारा जो बिजली का उत्पादन है यह भी उसी तरह चल रहा है या नहीं। अब आपके सामने यह सवाल आ सकता है कि हमारे पास कहीं कहीं सरप्लस बिजली नजर आ रही है लेकिन लॉंग रन में यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो लोड सर्वे की गयी है उसका आंकड़ा अगर आप लोग देखें तो यह महसूस होगा कि हमारी जो जनरेटिंग केपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा हमारा लोड डिमाण्ड है।

अब यह एक प्रश्न आ जाता है कि आप उसको यूटीलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा मैंने आपके सामने निवेदन किया कि यूटीलाइज़ेशन के लिए जो सबसे बड़ा बॉटलनैक आया है, वह स्टील का है। आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर स्टील के बॉटलनैक से जो प्राग्रेस हमारी होनी चाहिए वह नहीं हो पाई है और कोटा में जो ग्रीड सब-स्टेशन की डिले हुई उसका भी कारण स्टील का ही है। आज बोर्ड के लगातार प्रयत्न करने के बाद सी० पी० डब्ल्यू० सी० को लिखने के बाद और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखने के बाद, मैं भी वहां गया था, चीफ मिनिस्टर साहब भी गये थे और उनके कहने के बाद हमको स्टील मिली और स्टील मिलने के बाद आपने देखा कि और मैंने बजट डिस्कशन के समय भी कहा था कि हमारा लोड २।। हजार किलोवाट ले रहे हैं और इस तीन-चार महीने के बाद ही हमारा लोड १३।। हजार किलोवाट आज हम गांधीसागर से ले रहे हैं। तो यह कहना उचित नहीं कि हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। यह जरूरी है कि इस समय हमारे सामने यह कमी महसूस हो रही है लेकिन यह पावर भी मैं समझता हूं कि करीब ३-४ महीने में पूरी तरह से यूटीलाइज़ कर लेंगे और यह देखना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। तो इसमें जो फिगर्स हमारे सामने हैं उनको देखते हुए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि यूटीलाइज़ेशन जल्दी से जल्दी हो।

अब सवाल रहता है डी.सी.एम. की जो फैक्टरी कोटा में लगी है उसका और दूसरा प्रश्न आपने कहा कि मध्यप्रदेश हमारी पावर यूटीलाइज कर रहा है। तो उसमें माननीय सदस्यों को कोई भय नहीं होना चाहिए कि

(श्री हरिश्चन्द्र)

एक दफा वह पावर मध्यप्रदेश में चली गयी तो राजस्थान को नहीं मिलेगी। राजस्थान जिस समय भी उसको लेने के लिए तैयार होगा जो कि उसका शेयर है, वह अपने को मिल जायेगी। अब इसके अलावा राजस्थान सरकार के बीच और मध्यप्रदेश सरकार के बीच में नेगोशियेन्स चल रही है कि जो पावर हमारी है अगर उसको वह यूटीलाइज करते हैं तो उसकी कीमत हमको मिलनी चाहिए और उसका फाइनेन्शियल बेनीफिट हमको मिलना चाहिए। यह मैटर राजस्थान सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच में नेगोशियेन्स के लेवल पर है और हम इसका पूरा प्रयत्न करेंगे कि जो भी पावर मध्यप्रदेश सरकार राजस्थान सरकार के हिस्से की यूटीलाइज कर रही है उसका जो फाइनेन्शियल बेनीफिट होता है वह हमको मिले, इसके लिए हम जागरुक हैं और उसके लिए मैंने बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी बात की है और वह भी जो मध्यप्रदेश के चेयरमैन हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि कोई ऐसा निर्णय निकल आयेगा जिसके जरिये से हमको फाइनेन्शियल लास नहीं पहुंचेगा।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारा एग्रीमेन्ट डी० सी० एम० से क्या है। जहां तक पॉवर का सवाल है हमने उनके साथ एक मेमोरेन्डम क्लॉज लगाया है और वह मेमोरेन्डम क्लॉज यह है कि जो भी पॉवर वे यूटीलाइज करेंगे उसका ६५ परसेन्ट मिनिमम चार्ज हमको देंगे ऑफ दी एक्टिव लोड। तो यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि कोई भी उनके ऊपर हमने पाबन्दी नहीं की है और वह जितना चाहे कम भी ले सकते हैं। हमने सोचा है कि अगर १०० किलोवाट मिल चुकी है तो ६५ परसेन्ट ऑफ दी मिनिमम चार्ज उनको हमको देना चाहिए और यह बात एग्रीमेन्ट में भी ले ली गयी है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने यह शंका बताई कि जब चौथा जनरेटिंग सेट लग जायेगा तो उस पॉवर का क्या होगा ? क्योंकि आजकल की स्थिति में वह पॉवर यूटीलाइज नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि आपने जैसा देखा है कि हमारी जयपुर से अजमेर की लाइन चालू है और अगर आप इस सड़क पर निकल जायें तो आपको टावर्स खाली दीख रहे हैं और वहां पर तार भी खिचें है, मुझे यह सूचना मिली है कि हम फुलेरा तक पहुंच गये हैं और जब अजमेर का लोड मिल जायेगा फिर हम उसको उदयपुर से कनेक्ट कर देंगे और लोड इतना डवलप होगा कि जो भी बिजली हमको उपलब्ध होगी चौथा प्लान्ट लगने के बाद वह सारी यूटीलाइज हो जायेगी। हमारे पास बिजली की थोड़ी सी कमी भी आ सकती है, इसका भी हमें थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

दूसरे, सवाई माधोपुर और लाखेरी के विषय में माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया। वैसे हमने यह निर्णय लिया है कि जो भी इन्डस्ट्री अपने खुद के जेनेरेटिंग सेट्स रखते हैं उनको हम हाइडल पॉवर नहीं दें लेकिन अगर हमारे पास सरप्लस पॉवर होती है तो मैं समझता हूँ कि कोई उसमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास

# Page No.38



(श्री हरिश्चन्द्र)

सरप्लस पॉवर है और हम किसी इन्डस्ट्री को पॉवर सप्लाई करके अगर उनकी प्रोड्-क्शन बढ़ा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें एक लेटीट्यूड मिलना चाहिए कि हम चाहें तो उनको सप्लाई कर सकें। लेकिन आज भी कोई इस तरीके की बात है वह टेम्पोरेरी बेसिस पर हो सकता है, यानी अगर उनके पास जेनेरेटिंग सेट हैं उनके अलावा वे चाहते हैं टेम्पोरेरी एग्रीमेंट इस बात का करने के लिए तो टेम्पोरेरी बेसिस पर वे पॉवर ले सकते हैं। यह कोई परमानेंट बेसिस पर हम नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मैंने जो भी बातें यहां कही हैं उनसे माननीय सदस्यों को संतोष होगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इसमें यह है कि दिल्ली क्लॉथ मिल से जो कान्ट्रेक्ट किया था व इतनी बिजली देने की गारन्टी का था तो क्या सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि उनसे यह कान्ट्रेक्ट करती कि इस समय तक वे बिजली को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो इतनी रेट चार्ज करेंगे The electricity power is at your disposal. Utilise it or not; We are prepared to supply you; say, in the case of Madhya Pradesh Government. It is not for the Madhya Pradesh Government to make payment for that. It is for the Rajasthan Government to make utilisation of it and if the Rajasthan Government does not utilise that power, why should Madhya Pradesh pay for it ? Similarly you must entertain and you must have entered into an agreement. If you did not do so, it was a faulty agreement with the Delhi Cloth Mills that if you did not utilise the power, then you are bound......

**श्री हरिश्चन्द्र** : मैंने जैसा निवेदन किया कि मिनिमम क्लॉज इसमें लगाई जाय कि ६५ पर्सेंट जो भी उनका टोटल क्वान्टम ऑफ पॉवर यूटिलाइज़ होगा उसमें ६५ पर्सेंट की इसमें गारन्टी उन्होंने ली है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : From which date?

**श्री हरिश्चन्द्र** : जब से वे यूटिलाइज़ करने लगेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यही तो मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत है। उन्होंने बिजली रिजर्व आपसे करा ली उसके आधार पर दिल्ली क्लॉथ मिल को वह मिलेगी। अगर वे बिजली नहीं लेते हैं और आपने उसके लिये वह रिजर्व कर दी तो उसके लिए कौन सफर करेगा।

**श्री हरिश्चन्द्र** : मैंने अर्ज किया कि यह वास्तव में एक बहुत बड़ी इन्डस्ट्री है। यह कोटा में लग रही है.......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वह मैं मानता हूं।

**श्री हरिश्चन्द्र** : उसका इन्वेस्टमेंट भी करीब ६–७ करोड़ के आसपास का है और इस इन्डस्ट्री से सबसीडियरी इन्डस्ट्रीज और भी कोटा में लगेंगी, जैसे रेयन फैक्ट्री जो ५–७ करोड़ की इन्डस्ट्री लगेगी तो यह मान

(श्री हरिश्चन्द्र)

कर नहीं चलना चाहिए कि जो ५–७ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी जगह करें वे बीच में यह कह दें कि पॉवर यूटीलाइज नहीं करेंगे। लेकिन हमारे सामने एक दिक्कत है और वह दिक्कत यह थी कि ये चीजें जो आप फर्मा रहे हैं कि सरकार पहले अच्छी तरह से सोचे कि इस तरह से एक एग्रीमेंट किया जाय, लेकिन जो पोजीशन इस वक्त स्टील और कई इक्विपमेंट्स की हम महसूस करते हैं उससे हम भी खुद बिजली निर्धारित समय पर पहुंचा नहीं पाते हैं। जब हम किसी को बिजली निर्धारित समय पर पहुंचा नहीं पाते हैं तो हम दूसरे आदमी को बाइन्ड करदें किसी चीज के लिए, यह भी उचित बात नहीं होगी क्योंकि अगर हम यह कहते हैं कि जून में पॉवर दे सकते हैं लेकिन there are certain difficulties वे ऐसे बाटलनेक्स हैं कि उन बाटलनेक्स में न राजस्थान सरकार, न इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और न सेन्ट्रल वाटर पॉवर कमीशन उसमें कुछ कर सकता है। वे ऐसे हैं कि किसी किस्म का स्टील आता है, ट्रान्सफॉर्मर्स आते हैं और भी कई चीजें हैं जिनके लिए हम बाहर पर निर्भर हैं तो २–४ महिने की डिले भी हो सकती है। अगर इस तरह से बाइंडिग कर देते हैं तो यह दोनों तरफ लागू होता है, हम पर भी लागू होता है और उन पर भी लागू होता है। हमको यह सोचना चाहिए कि जब इतनी बड़ी इन्डस्ट्री आ रही है जिसमें कि ५–७ करोड़ के अन्दर का इन्वेस्टमेंट होना है तो निश्चित है कि वे पॉवर लेंगे। तो जिस दिन से वे लेंगे तो उस दिन से यह मिनिमम क्लॉज़ लागू होगी।

**श्री अध्यक्ष** : लेकिन आप एक पीरियड दे सकते हैं जो कि साल भर या कुछ महीनों तक का हो सकता है। नॉर्मली कॉमर्शियल फर्म्स या बैंक्स में जब कमिटमेंट होता है तो ३-४ पर्सेन्ट वे चार्ज करते हैं; चाहे उसको आप काम में ले या न लें। वे ड्रा नहीं करते हैं तो भी कमिटमेंट के लिए कुछ चार्ज करते हैं तो इससे एक ऐसी बंदिश रहती है। वह पीरियड साल दो साल का हो सकता है; We do not mind, but there must be some definite limit from which the commitment may start.

**श्री हरिश्चन्द्र** : उस में ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि भीलवाड़े की मिल है, किशनगढ़ की मिल है, हमारे सामने प्रश्न यह है कि इन मिलों की प्रोग्रेस आज तेजी से चल रही है। बनिस्पत इसके कि हम यह चाहते हैं कि आज वहां जल्दी से पावर ले जाय और हमारा और इन्डस्ट्री का ऐसा सिन्क्रोनाइजेशन हो कि वह तैयार हों और हम बिजली दे दें क्योंकि राजस्थान में हाइडल सिस्टम की व्यवस्था नहीं थी और बिजली नई चीज है। इस वास्ते हमने इस बात को थोड़ा वेग रखा है कि अगर हम किसी बात को कमिट करते हैं तो राजस्थान सरकार कमिट हो जाती है और अगर ३–४ महिने की डिले हो जाती है तो लीगल कम्प्लीकेशन फंस जाते हैं। इस वास्ते हमने यह रखा है कि जल्दी से जल्दी ले लें और जहां तक मैंने बातचीत की तो I think within 4-5 months, they will be ready.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : कितने पर्सेन्टेज लोड पर वे बिजली लेंगे ?

**श्री हरिश्चन्द्र :** यह फीगर अभी तलाश करके बताता हूं ।

**श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :** मेन लाइन के पास जो रूरल एरिया आया हुआ है वहां पर अगर साढ़े तीन पर्सेन्ट का रिटर्न होता है तो आप बिजली देते हैं । उसके बाद में लाइन लगाने का भी खर्चा आप मांगते हैं क्या ?

**श्री हरिश्चन्द्र :** ९० पर्सेन्ट लोड फैक्टर पर ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** इसीलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ९० पर्सेन्ट लोड पर बिजली लेने वाले बहुत थोड़े होते हैं । सरकार को यह आकर्षण हो सकता है कि डी० सी० एम० कम्पनी जिस लोड पर बिजली ले रही है कम से कम बिजली को डी० सी० एम० के लोग यूटिलाइज करेंगे । उसके सम्बन्ध में जो फैक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल क्लीअर हो जाता है कि उसका यूटिलाइजेशन हो । वह बैसिस स्पष्ट रूप से साफ हो जाता है कि इन्डस्ट्री में बिजली का यूटिलाइजेशन किया जाना बहुत आवश्यक है ।

**श्री हरिश्चन्द्र :** डी० सी० एम० का ऊंचा लोड फैक्टर है । वह इन्डस्ट्री का एक बेसिक फैक्टर है इसलिए उसका यूटिलाइजेशन तो होगा ही ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** इसीलिए मैं कहता हूं कि इस सम्बन्ध में स्पेसिफिक टाइम की जो कन्डीशन है वह बहुत क्लीयर हो जानी चाहिए ।

**श्री हरिश्चन्द्र :** वह क्लीअर है ।

**श्री विजयसिंह झाला :** जैसा कि कहीं से मेन लाइन जा रही है तो क्या रूरल एरिया में उससे बिजली सप्लाई नहीं की जा सकती है ?

**श्री हरिश्चन्द्र :** अध्यक्ष महोदय, यह सेपेरेट क्वेश्चन है । इससे कनेक्टेड नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष :** इससे इसका सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री विजयसिंह झाला :** यूटिलाइजेशन का जहां तक प्रश्न है तो रूरल एरिया में जहां लोग साढ़े तीन पर्सेन्ट का रिटर्न देने को तैयार हों उसके बाद में भी बिजली क्यों नहीं सप्लाई की जाती है जब कि वह सरप्लस है ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** आपने यह बताया था कि १३।। हजार किलोवाट बिजली इस समय आप यूटिलाइज कर रहे हैं । लेकिन साथ में यह भी फेक्ट है कि चंबल की बिजली आने के बाद जयपुर का थरमल प्लान्ट अब एक्शन में नहीं है । उसकी केपेसिटी थी वह दरअसल में बंद हो गई है । इसलिये यूटिलाजेशन एक्च्युअली १३।। हजार किलोवाट का न होकर माइनस थरमल प्लॉट की केपेसिटी है । जो जनरेशन थरमल प्लान्ट कर रहा है उसको माइनस देकर दरअसल में आप इतनी ही यूटिलाइज कर रहे हैं क्या यह सच है ?

**श्री हरिश्चन्द्र :** थरमल प्लान्ट बंद है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसीलिये तो जो थरमल प्लान्ट जयपुर को बिजली की सप्लाई करता था वह अब बंद है। उससे राइज होकर ७ हजार किलोवाट से १३।। हजार किलोवाट हुआ, एक्च्युअली १३।। हजार किलोवाट न होकर थरमल केपेसिटी को माइनस करने से जितना बचता है उतना हुआ क्योंकि वह बंद है पब्लिक यूज में आ नहीं रहा है इसलिये जिसका यूटिलाइजेशन पब्लिक यूज में नहीं है उसको इस हाइडल १३।। हजार किलोवाट में से माइनस करना पड़ेगा । दरअसल में माइनस थरमल प्लान्ट की केपेसिटी १३।। हजार किलोवाट में से देने के बाद जो बचता है, वही यूटिलाइजेशन वढ़ा है ।

श्री हरिश्चन्द्र : आपका प्रश्न गांधी सागर से यूटिलाइजेशन का था। थरमल प्लान्ट बंद है यह पहले ही कह दिया गया था । अब जब कि उदयपुर में बिजली जायगी तो वहां भी थरमल प्लान्ट बंद हो जायगा, अजमेर में भी जायगी । एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गांधी सागर के साथ थरमल प्लान्ट्स को भी चलाना पड़े ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न तो यह है कि राजस्थान में इतनी बिजली की मांग है क्योंकि आप थरमल प्लान्ट भी चला सकें और हाइडल का लोड फेक्टर भी बहुत हो, लोड फेक्टर कम न हो प्रयोग यदि ठीक होता ट्रान्सफार्मर लाइन डल हो गई होती, स्टील की दिक्कत नहीं होती तो जयपुर का थरमल प्लान्ट बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती ।

श्री हरिश्चन्द्र : यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है if every thing is correct तो सब ठीक हो जाता । हमारे सामने भी बोटल नेक्स हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक प्रश्न यह है कि जयपुर की थरमल सप्लाई को क्या आपने बंद करदी है गांधी सागर से बिजली आने के बाद ? यदि आपने बंद कर दी है या जयपुर की थरमल बिजली चालू नहीं है तो इसका मतलब यह है कि साढ़ा तेरह हजार किलोवाट गांधी सागर की जो बिजली यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें से जयपुर की थरमल को माइनस करने पर जो बचता है उतनी ही एडीशनल बिजली आप कन्ज्यूम कर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो स्पष्ट है ।.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २० हजार किलोवाट हमारा शेयर है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ऐसा विसस सर्कल है कि हम बंद नहीं करते हैं तो कहते कि दोनों चल रहे हैं और जब हमने बंद करदी है तो कहते हैं कि बंद क्यों करदी। बंद इसलिये करदी कि गांधी सागर की बिजली इकोनोमिकल है । इसलिये थरमल को बंद किया है । जब लोड डवलप होकर जरूरत बढ़ेगी तो थरमल भी चलायेंगे और गांधी-सागर भी चलता रहेगा । लेकिन प्रश्न अभी का है। आज क्यों नहीं चलता ? इसलिये मैंने निवेदन किया कि हमारे सामने बोटलनेक्स हैं उसको देखते हुए जितनी जल्दी हो सके उसके लिये कोशिश करते हैं लेकिन there are certain bottlenecks not only in Rajasthan but in India. हमारे यहां कई ऐसी चीजे प्रोड्यूज नहीं हो रही है इन्डिया में

# Page No.42



(श्री हरिश्चन्द्र)

जिनको हम यहां ले लें इसलिये हमको कई चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी और इसके लिये फोरिन एक्सचेन्ज का सवाल है। हमारे काम में कहीं ढिलाई होती हो या कमी आती हो तो यह कहा जाय लेकिन यह तो मैं स्वयं कह रहा हूं कि हमारे यहां बोटलनेक्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो।

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह स्टेटमेंट किया गया था कि हम तीन चार महीनों में ७ हजार से बढ़ाकर १३।। हजार किलोवाट का यूटिलाइजेशन करने लगेंगे, लेकिन यह इन रीयलिटी सही नहीं है। रीयलिटी यह है कि जो थरमल प्लान्ट पहले जयपुर में चल रहा था उसको बंद कर दिया इसलिये रीयल यूटिलाइजेशन ७ हजार से १३ हजार नहीं हो रहा है, १३००० में से ७००० माइनस करने से ६ हजार बाकी बचता है वही सरप्लस यूटिलाइजेशन हो रहा है। That is a surplus area. Certain necessary facts have been suppressed-

**श्री अध्यक्ष** : Suppress कुछ नहीं किया है। suppress की क्या बात है, हाइडल पॉवर यूटिलाइज हो रहा है, कितना नेट हो रहा है यह उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

**श्री हरिश्चन्द्र** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य यहां यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अलवर जिले में २९ गांवों को बिजली पहुंचाई गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन २९ गांवों में आपने क्या प्रयत्न किया यूटिलाइजेशन करने के लिये। उन २९ गांवों का यूटिलाइजेशन निल है, यही कहना और बात है लेकिन जिन विलेजेज में बिजली पहुंची है उनमें उसका क्या यूटिलाइजेशन है और इसके लिये आपने क्या प्रयत्न किया है?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपने गलत जगह बिजली पहुंचाई है। जहां मांग थी वहां न पहुंचा कर इलेक्शन के फायदे के लिये गलत जगह बिजली पहुंचा दी इसलिये यूटिलाइजेशन निल है।

**श्री हरिश्चन्द्र** : इसमें इलेक्शन का कोई सवाल नहीं था। इलेक्शन से बहुत पहले कई साल पहले डिसाइड हुआ था कि इन २९ गांवों में बिजली पहुंचाई जाय और वहां बिजली पहुंच गई। यहां क्रिटिसाइज करने के लिये तो खड़े हो जाते हैं लेकिन जहां सरकार ने बिजली पहुंचाई है उसको तरफ तवज्जह देते तो लोस नहीं होता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : गलत जगह पहुंचाते हैं उसका क्या करें। जहां के लोगों ने इसके लिये दरख्वास्तें दी हैं वहां बिजली नहीं पहुंचा रहे हैं और जहां जरूरत नहीं है वहां पहुंचा रहे हैं तो लोस होगा ही।

**श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा)** : जिन गांवों को जरूरत है वहां नहीं पहुंचाई जाती है और जहां जरूरत नहीं है वहां पहुंचाई जाती है।

(१२.५७ म० प०)

# Page No.43



## नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन (प्राइवेट) लि० न्यू देहली के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन (१९५९-६०) पर विचार

**श्री अध्यक्ष** : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार से है।

"The third annual report of the Statement of Accounts from 1-4-59 to 31-3-60 of the National Projects Construction Corporation (Private) Ltd., New Delhi, laid on the Table of the House be taken into consideration."

अध्यक्ष महोदय, यह नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिपोर्ट १९५९-६० की है उस पर विचार करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन में अभी कल और परसों इस बात पर विचार किया कि राजस्थान सरकार ने जो व्यापारिक प्रतिष्ठान व धंधे अपने हाथ में लेकर जो राज्य की लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति इन प्रतिष्ठानों में लगाई है उसमें राज्य सरकार किस प्रकार असफल रही है। इस सदन ने देखा कि राज्य सरकार एक व्यापारी की हैसियत से बहुत नाकामयाब रही है। कल जब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हो रहा था, इस सदन ने देखा कि राज्य कर्मचारियों की नियुक्तियों के संबंध में जिस प्रकार की धांधलियां बरती गई हैं उस दृष्टि से राज्य सरकार एक हाकिम के रूप में नाकामयाब सिद्ध हुई है। अध्यक्ष महोदय, धौलपुर के गांव में पड़ने वाली डकैती और राजस्थान पाकिस्तान के बोर्डर पर होने वाली सीमाओं की घटनाओं के प्रश्न पर इस सदन ने देखा कि राज्य सरकार क्षात्र धर्म की दृष्टि से राज्य सरकार का जो क्षात्र धर्म होना चाहिये उसमें भी राज्य सरकार नाकामयाब हुई है। आज सदन देखेगा, आज जब इस रिपोर्ट पर विचार करेंगे कि जो मजदूरी के काम हैं, मेहनत के काम हैं उनकी हैसियत से भी सरकार नाकामयाब सिद्ध हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने हिन्दुस्तान में जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनके कार्य, निर्माण कार्य अपने हाथ में लेने की दृष्टि से इस प्रकार इस कॉर्पोरेशन का निर्माण किया है। इस कॉर्पोरेशन में ६ स्टेट्स शामिल हैं जिनमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, केरल है, जम्मू और कश्मीर है। अध्यक्ष महोदय, इन सभी ६ रियासतों ने मिलकर, उन्होंने अपने शेयरर्स खरीदे और मिल कर इस बात की कोशिश की है कि हिन्दुस्तान में जो राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण कार्य चलते हैं उस काम को जो ठेकेदार, सहकारी समितियां व अन्य मजदूर लोग करते हैं क्या वही काम राज्य सरकारें जिन्होंने मिलकर इस कॉर्पोरेशन का निर्माण किया है वह करेगा ? और खुद मजदूर का काम करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मजदूरी करने का सवाल है, मैं समझता हूं, इससे डिगनिटी ऑफ लेबर बढ़ती है, मुझे इसमें आपत्ति नहीं। मुझे इसमें भी आपत्ति नहीं कि साल में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कभी कभी महीने या दस दिन के लिए हमारे मंत्री महोदय स्वयं उन योजनाओं में जाकर कुछ काम करें और किसी भी काम को करके लेबर कन्ट्रीब्यूट करें। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि हमने इस प्रकार इस कॉर्पोरेशन का निर्माण किया और हम मजदूरों के आधार पर आज इस प्रकार की बात करते हैं, तो जब बाकी की योजनायें बनती हैं, बाकी की योजनाओं में घोटाले होते हैं, बाकी की योजनाओं के सम्बन्ध में सदन के समक्ष जो सत्य रखे जाते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि नेशनल प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन में जो ६३ लाख की पूंजीगत धन-राशि लगी हुई है, जिसमें राजस्थान सरकार ने दस लाख के शेयर्स खरीदे हैं। अध्यक्ष महोदय, दस लाख के शेयर्स खरीदे, उसके बाद शेयर होल्डर बने और उसके बाद बहुत से प्रोजेक्ट्स का काम, कन्स्ट्रक्शन का काम इस प्रोजेक्ट ने अपने हाथ में लिया, मैं सदन के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा कि क्या इस कार्पोरेशन का बैलेन्स है, क्या प्रॉफिट एण्ड लोस है, क्या एक्चुअल वर्किंग है ? जो सिचुएशन इस कॉर्पोरेशन की है, जिस तरह इसका काम चला रहे हैं, माननीय सदस्य जो इस सदन के हैं, वे देख कर ताज्जुब करेंगे और साथ ही मैं राजस्थान सरकार को कहना चाहूंगा कि इस कॉर्पोरेशन की जो बॉडी है, यह किस प्रकार हर क्षेत्र में असफल रही है। मुझे आश्चर्य हुआ इस रिपोर्ट को पढ़ कर। इसमें यह लिखा है कि हमारा काम इसलिए पूरा नहीं हो सका, क्योंकि कोसी की योजना का काम हमने लिया, वहां घने जंगल हैं नेपाल की टेरीटरी से लगते हुए बीहड़ जंगल हैं। इस जंगल में जो काम मध्य प्रदेश के इलाके में होता है, उस काम को करना सम्भव नहीं है क्योंकि उस जंगल के अन्दर जा नहीं सकते। इस प्रकार के कारण इसमें लिखे हैं।

जिस तरह हमारे माननीय गृह मंत्री यहां सदन के समक्ष आश्वासन दिया करते हैं, मैं समझता हूं कि इसी प्रकार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी अपनी विधान सभा में आश्वासन देते होंगे कि राज्य के अन्दर चोर डाकुओं का डर नहीं है। राज्य के सब नागरिकों की सुरक्षा है, वे राज्य के अन्दर कहीं भी जंगल में जाकर काम कर सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कॉर्पोरेशन को जहां मध्य प्रदेश में कोसी का काम मिला है, दूसरी योजनाओं का काम मिला या बदायूं में बिहार में काम मिला है, क्या वहां यह सवाल पैदा नहीं हुआ ? क्या वहां के गृह मंत्री या वहां की सरकार के सामने जाकर यह सवाल नहीं रखा कि हमें चोर डाकुओं का डर है। क्या यह मान कर चलें जैसा कि कॉर्पोरेशन ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के चोर और डाकुओं से काम करने वालों की सुरक्षा नहीं है ? क्या मान कर चलें कि बिहार और कोसी बांध में चोर डाकुओं और जंगली जानवरों से काम करने वालों को बचाने का प्रबंध वहां की सरकार ने नहीं किया ? या यह मान कर चलें कि यह केवल बहाना मात्र है और कॉर्पोरेशन ने अपनी कमियों के ऊपर पर्दा डालने की दृष्टि से कहा है। जो नुकसान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुआ है, या जो कामों से फायदा हुआ है, जितनी कार्पोरेशन में पूंजी लगाई है, जितना पैसा लगाया है, उसके आधार पर जितना फायदा होना चाहिए, उतना फायदा सरकार को नहीं हुआ है, इसकी सारी रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आई। इसलिए पहली बात तो मैं यह कहूं कि सदन के सामने थर्ड रिपोर्ट एनूअल आई है, जब कि, अध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिए तो यह था कि जिस प्रकार की मांग की गई है राज्य सरकार से, उससे पहले ही अच्छा तो यह होता कि थर्ड एनूअल रिपोर्ट के साथ ही पिछले दो साल की जो रिपोर्ट है, वे प्रस्तुत करती। लेकिन इनको प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इन रिपोर्ट्स को सरकार ने सदन के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की, इन पर सदन में वाद-विवाद कराने की कोशिश नहीं की, कभी इस मुद्दे को सदन में उठाने की कोशिश नहीं की।

सरकार चाहती है कि पैसा लगाती चली जाय लेकिन उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है, इसके बारे में सरकार को चिन्ता नहीं है। सरकार को एक भूत सवार हुआ है कि वह इन्वेस्टमेंट करती जाय, पैसा लगाती जाय, जहां भी कोई योजना आये, केन्द्रीय सरकार की योजना आये, पब्लिक सेक्टर की योजना का सवाल आये, अन्डरटेकिंग का सवाल आये, सरकार आंख मूंद कर उसमें पैसा फंसाती चली जाय। लेकिन सरकार ने व्यापारिक दृष्टि से कभी विचार नहीं किया। राज्य सरकार को व्यापारिक दृष्टि से कितना प्रॉफिट होता है, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जब परसों सदन में वादविवाद हो रहा था राजकीय प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों द्वारा तथ्य रखे गये। राजस्थान में पब्लिक सेक्टर जितने प्रतिष्ठान और उद्योग धन्धे हैं, जिनमें राजस्थान सरकार की पूंजी लगी हुई है, किस प्रकार वहां उस धन का दुरुपयोग हो रहा है, किसी प्रकार राजस्थान सरकार को लाभ नहीं हो रहा है, उन सब बातों को सदन के माननीय सदस्यों ने देखा। अब उनके बाद और दूसरे काम सरकार ने हाथ में लिये, निर्माण के काम हाथ में लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने निवेदन करना चा गा कि इस कॉर्पोरेशन ने जितने काम हाथ में लिये उन्हें यह पूरा नहीं कर सका, समय पर पूरा नहीं कर सका। जबकि अगर कोई ठेकेदार समय पर पूरा नहीं कर सके तो आप उस पर पैनल्टी इम्पोज करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं कर सके तो आप उस पर पैनल्टी इम्पोज करते, कोई आदमी काम पूरा नहीं करे तो उससे काम वापिस ले लेते हैं लेकिन इस कॉर्पोरेशन, जिसमें छः प्रान्त मौजूद हैं, जिस कॉर्पोरेशन में केन्द्रीय सरकार मौजूद है, जिसमें चीफ इन्जीनियर मौजूद हैं, जिस कॉर्पोरेशन में बढ़िया से बढ़िया दिमाग मौजूद हैं, अध्यक्ष महोदय, कोई अन्दाज नहीं लगा सकता कि यह कॉर्पोरेशन जिस काम को हाथ में ले उसको पूरा नहीं करेगा। अब इसके बाद में कॉस्ट कितनी आयेगी और लाभ कितना आयेगा, इसमें लिखा है कि १९५९-६० में जो लाभ होने वाला था, उसकी सीमा १० लाख ४२ हजार कूती गई थी, लेकिन उसकी जगह जो लाभ हुआ

# Page No.46



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है वह लगभग ४ लाख ८ हजार का है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसका एक कारण बताया है कि प्लान की कॉस्ट बढ़ गई, यह अन्दाज नहीं हो सका कि कितनी कॉस्ट हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस कॉर्पोरेशन में निहायत अच्छे अच्छे दिमाग मौजूद हैं, चीफ इन्जीनियर और रिटायर्ड लोग बैठे हैं, उनको यह अन्दाज नहीं हो सका कि जो कॉस्ट की बात है, वह कितनी फ्यूचर कॉस्ट आने वाली है। सदन के माननीय सदस्यों को यह जान कर ताज्जुब होगा कि जिस कॉर्पोरेशन में हमारी सरकार ने दस लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी प्रगति का चित्रण मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा - उसके बाद १९५८-५९ में कॉर्पोरेशन ने जो डिक्लेअर किया है, वह टैक्स की कटौती के बाद में १ परसेन्ट है। १ परसेन्ट का डिवीडेन्ड डिवीजन डिक्लेअर करने के बाद मिला है। यदि राजस्थान सरकार दस लाख को धनराशि किसी बैंक में जमा कर देती, नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट्स में इन्वेस्ट करती, आप किसी बैंक में जमा करते तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को पांच परसेन्ट का ब्याज मिल सकता था, इन्कम टैक्स फ्री नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट खरीदने पर साढ़े चार परसेन्ट का ब्याज मिल सकता था। आपने साढ़े चार परसेन्ट ब्याज की जगह १ परसेन्ट डिवीडेन्ड लिया और दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय सहायता के नाम पर लोगों से पैसा मांगते हैं, जिले जिले में और तहसील तहसील में से राजस्थान सरकार ने साढ़े चार करोड़ रुपये का कर्ज प्लोट किया है और लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं और उनको साढ़े चार परसेन्ट ब्याज देते हैं और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार का रुपया है, उस पर आप १ परसेन्ट का रिटर्न लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह १ परसेन्ट का रिटर्न आपको १९५९-६० में मिला है। यह किस प्रकार की प्रगति का सूचक है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं मान लेता अगर कॉर्पोरेशन के काम का पहला साल होता तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन कॉर्पोरेशन की प्रगति का अन्दाज लगायें माननीय सदस्य कि पहली साल जो डिवीडेंड डिक्लेअर हुआ है, वह १·७ परसेन्ट था। यह बहुत बड़ी प्रगति है कि १·७ परसेन्ट डिवीडेंड से १ परसेन्ट का डिवीडेंड आ गया। उसके बाद ५ परसेन्ट डिवीडेंड आयेगा। जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लोस में चला रहे हैं, उसी प्रकार की परिस्थिति इसमें होगी। क्या इसी तरह की संस्थाओं का निर्माण करेंगे ? आपको कौनसा डाइरेक्टिव दिया गया था ? क्या आपको दस लाख का काम करने के लिए राजस्थान में जगह नहीं मिली इसलिए इसका सदस्य बनना जरूरी हो गया ? किसने कहा था ? आपको किसने आर्डर दिया था ? इस सदन ने आपसे मांग नहीं की कि नेशनल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन बनायें और उसमें दस लाख की पूंजी लगा दें। लेकिन आपने वह धनराशि लगा दी और उसका कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको प्रोफिट का अन्दाज लगाना चाहिए, कॉर्पोरेशन को ४.८ परसेन्ट का प्रोफिट हुआ १९५८-५९ में और डिवीडेंड डिक्लेअर हुआ है वह १.७ का हुआ है। मैं निवेदन करना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहूंगा कि इस प्रकार से आज इतनी पूंजी लगाई और उसके कारण लाभ मिलता नहीं है, उसके कारण आप योजनायें पूरी नहीं कर पायें हैं और आपका पैसा फंसा पड़ा है। कॉर्पोरेशन की आज जितनी कैपीटल है, उसका ८० परसेन्ट कैपीटल स्टोर्स, फर्नीचर प्लान्ट और मशीनरी में पड़ी है। जो बिहार के जंगलों में पड़ी है। हो सकता है कि एक दो साल में सदन के सामने रिपोर्ट आये और उसमें यह कहा जाय कि बहुत सारा मेटिरियल बाढ़ में बह गया है, मशीनरी बह गई या पता नहीं कि बिहार के जंगल में रहने वाले हाथी हैं वे उस मशीनरी को लुढ़का कर ले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

( १.१० म० प० )

( श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन )

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार जितने काम हाथ में लेगी कॉर्पोरेशन के जरिये उसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं है। इतना ही नहीं, उस कॉर्पोरेशन का खर्चा बढ़ता जाता है। इस कॉर्पोरेशन में पहले दस डाइरेक्टर थे। अब कॉर्पोरेशन ने फैसला किया है पिछली मीटिंग में कि दस की जगह बारह डाइरेक्टर रहने चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि उन्होंने जानकारी करने की कोशिश की है, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि जो बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर में मौजूद है, उससे पूछा है कि दस डाइरेक्टर्स की जगह १२ डाइरेक्टर्स की क्यों आवश्यकता है ? क्या दस से काम नहीं चल सकता है ? क्या यह आवश्यक है कि दस की जगह बारह डाइरेक्टर करें? क्या आवश्यकता है कि एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बढ़ायें ? क्या नेशनल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान के अन्दर कोई कन्स्ट्रक्शन का काम हाथ में लिया है। कौनसा निर्माण का काम आपके हाथ में और कौनसा फायदा आपने किया है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार कॉमर्शियल बेसिस पर या व्यापारिक दृष्टि से चलाना चाहती है तो उसको किसी प्रकार से नेशनल कामों में, राष्ट्रीय योजनाओं में जो है उनको अपने हाथ में लेना चाहिये। सभापति महोदया, चम्बल की योजना को ही लें। हमने चम्बल समिति बनाई। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि० ने इस काम को अपने हाथ में लेने की चेष्टा की और लिया ? अगर वह चेष्टा करती और उसको मिल जाता तो जितने कांग्रेस के मेहरबान लोग थे जो राज्य सरकार में परसेन्टेज अपना रख कर ठेका देकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं उनको इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आज उस काम का ठेका यह कॉर्पोरेशन लेती और उसी कमीशन के आधार पर देती और वही रेट देते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सभापति महोदया, कि चम्बल का काम समय पर पूरा हो गया होता और सरकार के इस कॉर्पोरेशन को फायदा होता उससे सरकार में पैसा भी आता। मगर बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा नहीं किया गया। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को इस प्रकार

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

के कामों में जागरूक होना चाहिये । आप किसी काम में शाबाशी चाहते हैं तो आपको शाबासी इस बात से नहीं मिल सकती कि आप छोटे कर्मचारियों की छंटनी करें और आमदनी को बढ़ाना चाहें वह बढ़ नहीं सकती । मैं वित्त मंत्रीजी से उनके फाइनेन्स मिनिस्टर की हैसियत से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको शाबासी चाहिये तो वह इसी बात से मिल सकती है कि राजस्थान के जितने पैसे किसी भी कॉर्पोरेशन में लगे हैं वे सुरक्षित रहें और सरकार को जितना लाभ नेशनल सेविंग बैंक में रुपया जमा होने से मिलता है कम से कम उतना तो मिलता ही रहे । इससे नेशन के हित के कार्य होते हैं । इसमें आपको एक प्रतिशत मुनाफा मिला है जबकि आपने १० लाख रुपये लगाये हैं । १० लाख का उस हिसाब से कितना रुपया होता है अगर वह बैंक में जमा होता ।

बैलेंस शीट नहीं, प्रोफिट और लोस का हिसाब समझ में नहीं आता । इसलिये हमको यह देखना होगा कि रिपोर्ट हमारे सामने क्यों नहीं आई ? ६०-६१ और ६१-६२ की अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत हुई और अगर वह तैयार नहीं हुई तो उसकी देरी का क्या कारण है और अगर तैयार होकर सरकार के पास आ गई तो कब आई और सदन में सरकार ने प्रस्तुत क्यों न की ? अगर वह रिपोर्ट पेश हो जाती तो उस संबन्ध में सारी बातें हम सदन में उस आधार पर रखते ।

अब मैं इस संबन्ध में ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि राजस्थान सरकार और हमारे वित्त मंत्री इस बात को देखें कि जितने कॉर्पोरेशन्स के डाइरेक्टर हैं, उनमें जनरली सरकार के प्रतिनिधि हैं और वे यदि ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो सरकार को चाहिये कि दूसरे लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजे ताकि वे कॉर्पोरेशन्स में रह कर लगी पूंजी की रक्षा कर सकें और १० लाख रुपयों के शेयर का ब्याज यदि ५ प्रतिशत से कम आता है तो इन १० लाख रुपयों के शेयर्स को दूसरी तरफ लगावें और नेशनल सेविंग में या और किसी बैंक में लगा दी । जिससे कम से कम ५ परसेन्ट ब्याज तो आए । बस इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और भाषण को समाप्त करता हूं ।

**श्री संपत्तिलाल बोहरा** ( मावली ) : सभापति महोदया, सदन में यह प्रस्ताव आया । मैंने जांच करने की कोशिश की कि इस रिपोर्ट के साथ मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन होगा । जांच करने से मालूम हुआ कि सदन के पास या किसी भी ऑफिस में मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन नहीं है । जिससे जाना जा सकता है कि इस कार्य में कहां तक सफलता मिली । जहां तक हमने सोचा पहले बहस में कहा गया कि यह कॉर्पोरेशन पहले साल सोने का अन्डा देगी, उसके बाद दूसरे साल में यह सोचा कि यह हीरे का अन्डा देगी । मगर वास्तव में यह हुआ कि सोने और हीरे के अन्डे तो गायब हो गये और केवल अन्डे ही रह गये ।

अब इसमें एक परसेन्ट प्रोफिट दिखाया गया है । मैं यह कहूंगा कि यह जो एक परसेन्ट प्रोफ़िट दिखाया गया है वह

# Page No.49



(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

प्रोफिट नहीं बल्कि लोस है। जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि एक परसेन्ट प्रोफिट है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में प्रोफिट नहीं है, प्रोफिट शो किया गया है। अगर प्रोफिट एन्ड लोस एकाउन्ट्स देखें तो मालूम होगा कि यह कन्सर्न लोस में चल रहा है। इसके तीन वर्ष लोस में गये। आप देखिये :

इस वर्ष केवल लाभ ९८ हजार का था। इसमें से मैं आपको इस वर्ष का नफा नुकसान बताता हूं। इसमें ३० हजार को डिविडेन्ड में यूटिलाइज किया है। इसकी पोजिशन क्या थी :

"Excess provision for obsolescence of spare parts written back. 20,000

Provision for contingencies written back. 25,000

Provision for Sales tax written back. 30,000"

So we have written back whatever provision we have made previous year. लास्ट इयर में जितना मुनाफा किया उसमें हमने कोन्टीजेन्सीज और सेल टैक्स के लिये रखा था उसको हमने रिटर्न किया है। इसमें कम से कम १ प्रतिशत डिविडेन्ड इसलिये डिक्लेअर करते हैं कि लोस न रहें। अगर यह डिक्लेअर नहीं करते तो यह कन्सर्न लोस में जाता। इसमें कई ऐसे भी इनवेस्टमेंट हैं जो लिये नहीं गये हैं। अगर देखा जावे तो बिहार गवर्नमेंट ने ३० लाख डेट का दिया। अगर उसका ब्याज देना होता तो आपको मालूम होता कि उसका ब्याज क्या होता है। अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि इसका ब्याज १ लाख ५० हजार रुपया होता है। जबकि हम मुनाफा करते हैं ९८ हजार का। अगर १ लाख ५० हजार रुपये ब्याज के दे देते हैं तो क्या मुनाफा होता है ?

इसके अलावा इसमें है :

"A royalty contractor in Chamial Palaitha Unit has filed a suit, claiming royalty on stone and sand extracted by the Corporation for use on the works amounting to Rs. 30,000/-. The Corporation has not admitted the liability and is contesting the claim in court. No provision has been made for this claim."

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ३० हजार का क्लेम लगाया है। इसका कोई प्रोविजन बैलेन्स शीट में नहीं है। अगर इसका प्रोविजन किया जाता तो यह प्रोफिट बदल जाता है। इसके अलावा गत वर्ष २५ हजार का प्रोविजन रखा था काम के लिये। मगर यह मानते हुए भी कि यह इस काम के लिये रखा गया है उसको मुनाफा में लेकर वितरित कर लिया।

मैं यह कहूंगा कि ३० हजार की धन-राशि के खर्च को प्रोफिट एन्ड लोस में नहीं दिखाया गया है।

इसके अतिरिक्त इसमें एक सबसे बड़े मेन पोइन्ट आफ व्यू से देखना चाहिये कि वास्तव में जितना शो किया है उतना प्रोफिट हुआ है कि नहीं, इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि इन्ट्रेस्ट आॅन शोर्ट टर्म डिपोजिट्स पर जो मिला है वह २०,३७४) रुपया ब्याज

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

का मिला है। वह प्रोफिट नहीं कहा जा सकता। हमारा रुपया आइडल पड़ा रहा सरप्लस रहा, उसके ब्याज का मिला है। इधर ब्याज कमाया है उधर ब्याज दिया है। तो ब्याज के रुपयों को प्रोफिट में नहीं गिना जा सकता।

इसके अलावा देखा जाय कि ५७-५८, ५८-५९ में वैल्थ टैक्स का प्रोविजन रखना चाहिये था वह कम रखा गया जिससे ७५ थाउजेंड्स का एक्सेस प्रोविजन करना पड़ा। यह तो सौभाग्य समझिये कि कम्पनियों पर से वैल्थ टैक्स उठा दिया, नहीं तो वैल्थ टैक्स देना पड़ता ५९-६० में —

There is no provision for 1959-60

४६ थाउजेन्ड्स का प्रोविजन इसमें नहीं किया है, लाइबिलिटी नहीं है अगर होती तो ४६ थाउजेंड्स हमें देने पड़ते।

इन्कम टैक्स १९६० में १४७ हजार का प्रोविजन किया है —

Arrears for income tax for 1958-59: Rs. 1,28,000

गत वर्ष इन्कम टैक्स का प्रोविजन किया था वह कम किया इसके लिये और करना पड़ा। सिर्फ प्रोफिट ४ लाख का बताया, १८० हजार इन्कम टैक्स बनता है तो १८० हजार में से १४७ हजार कम किये तो ३३ हजार का कम किया है।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें इस साल में प्रोफिट नहीं लोस हुआ है। यह कन्ट्रेक्ट, दो करोड़ का काम किया है, किसी ठेकेदार को देते तो सरकार को और कितना फायदा होता और अब कितना नुकसान हुआ है, इसका अन्दाजा लगाइये और किसी ठेकेदार को देते तो हमें कितना इन्कम टैक्स मिलता। इन्कम टैक्स वाले साढ़े चौदह परसेंट का प्रोफिट गिनते हैं उसी तरह आप पर भी इन्कम टैक्स लगता तो कितना प्रोफिट होता। यदि सरकार इस प्रकार यह रुपया इन्वेस्ट नहीं करके और तरह करती तो फायदा होता।

अब मैं यह बताऊंगा कि ऐसी आर्थिक स्थिति में यह १० लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है, जिस पर दीमक लगना शुरू हो गया है और यह डर है कि कहीं यह रकम नहीं डूब जाय। फिक्स्ड एसेट्स का स्टेटमेंट है उसमें, टेम्पोरेरी कन्स्ट्रक्शन का आइटम है। साइट पर काम करने जाते हैं तो लेबर्स के लिये, ऑफीसर्स के लिये, कन्स्ट्रक्शन्स बनते हैं जिनको साइट पर काम पूरा होते ही राइट ऑफ कर दिया जाता है। इस रिपोर्ट से पता नहीं चलता कि टेम्पोरेरी कितने कन्स्ट्रक्शन बने हुए हैं। ९७० हजार का बैलेंस है, यह टेम्पोरेरी कन्स्ट्रक्शन इसमें लिया गया, समाप्त हो गया पर सारा का सारा रिटर्न आफ नहीं किया गया और यह रकम करीब करीब डूबत खाते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं ५ मिनिट और लूंगा।

इसके अलावा एक्सपेन्डीचर के कुछ ऐसे आइटम्स हैं— Carriage and freight of machinery : Rs. 35,000 — मशीनरी लेने में ३५ हजार रुपया खर्च हुआ,

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

उसे अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया। टैक्सेज निकालने के बाद १.२, १.७ परसेंट डिविडेन्ड हुआ जो सब २,७० हजार के करीब होता है। ७ लाख का एक ही टेम्पोरेरी कन्स्ट्रक्शन का आइटम है उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम घाटे में हैं और १० लाख की रकम को लगाया है उसका वेल्यूएशन क्या है ?

Amount due from the Project authorities: 64,53,000

इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जितना मेजरमेंट किया है, उस सबको प्रोजेक्ट ऑथेरिटी नहीं मानती है। तो इससे जाहिर होता है कि जो रिपोर्ट आई है वह इन्फ्लेटेड है।

Provision for bonus to made labourers last year को लीजिये; यहां हमने ३१ हजार रुपया लेबर वेलफेअर के लिये बोनस मंजूर किया था वह मजदूर कर्मचारियों को न चुका कर रिजर्व में ट्रान्स्फर कर दिया और हड़प कर लिया है।

जिस वक्त हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें देखना चाहिये कि मैनेजमेंट किस तरह का हो। डाइरेक्टर्स की लिस्ट देखें तो एक डाइरेक्टर राजस्थान का है जो साल भर में चार पांच मीटिंग्स होती है उनमें हाजरी दे आता है।

इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि हमारे पास पूरे टेक्निशियन्स नहीं हैं। इसमें सारे इन्जीनियर ही इन्जीनियर हैं। इन्जीनिअर सड़क बना सकता है, बन्ध बनवा सकता है, तालाब बना सकता है पर हिसाब वह नहीं रख पायेगा। तो यह सारा घोटाला हुआ है उसकी वजह यह है कि जो टेक्निकल एक्स्पर्ट्स एकाउन्टेंसी के हैं उनका सहयोग नहीं लिया गया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे एस्टीमेट्स रॉंग थे। वास्तव में टेन्डर्स देने से पहले वहां की कन्डिशन्स को नहीं देखा, साइट्स को नहीं देखा। लो रेट्स थीं, कन्डीशन्स ठीक नहीं थीं, साइट्स ठीक नहीं थीं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि हमारे धन का इस तरह दुरुपयोग क्यों किया गया। यदि किसी व्यापारी के हाथ में १० लाख की रकम दी होती तो उतने धन में इतना रुपया और कमा कर दे सकता था। जब कि हमें केवल एक परसेंट ब्याज मिला।

तो इसके लिये मैं सुझाव दूंगा कि एक तो यहां इन्डस्ट्रियल कॉमर्शियल नाम की संस्था होनी चाहिये जो समय समय पर आपको सुझाव दे सके। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि मैनेजिंग डायरेक्टर एक की बजाय दो होने चाहिये। एक साथ १० लाख रुपया लगाया है तो हमारी सरकार ने कभी यह भी पूछा कि हमारे यहां के लोगों को एम्प्लोयमेंट देंगे क्या, हमारे इस १० लाख के इन्वेस्टमेंट से हमारे यहां के कितने लोगों को एम्प्लोयमेंट मिला ?

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि जितने पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी समय समय पर जानकारी देने के लिये एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये क्योंकि रिपोर्ट्स आती हैं तो काफी समय बाद आती हैं। बोर्ड जैसी कोई बॉडी हो तो वह समय पर सब कुछ चैक कर सके और समय पर हम फायदा उठा सकें। इस दिशा में कदम उठायेंगे तो श्रेयस्कर होगा।

Page No.52



(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

इतनी बातें कहने के बाद में यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय हित में, जिस देश में, राष्ट्रीय चरित्र की कमी हो, जिस देश में प्रजातन्त्र हो उस देश में इस प्रकार के कारखाने नहीं चलाये जा सकते। अगर चलाये जायेंगे तो सदा असफल ही होंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर पूरी तरह से विचार करें।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद): सभापति महोदय, यह जो नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है और तीन साल के आंकड़े सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं उनके सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि जहां ५७-५८,५८-५९और ५९-६० के प्रोफिट्स के बारे में यहां जिक्र किया गया है कि ५७-५८ में १ परसेन्ट, ५८-५९ में १ परसेन्ट और ५९-६० में १.९ परसेन्ट प्रोफिट इस कॉर्पोरेशन में हुआ है, इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन किया गया है कि इस कॉर्पोरेशन के बनने की वजह से राजस्थान और दूसरी स्टेट ने इनवेस्टमेन्ट किया है उनको जितना डिविडेन्ड या प्रोफिट मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जो लोग इस प्रकार की बातें करके कोई गवर्नमेंट या संस्था इस प्रकार का काम करती है उसकी आलोचना करते हैं जिससे कि मझले लोगों को, मिडिल मेन को ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट मिले, वे लोग ठेकेदारों की हिमायत करे और किसी काम में २०-२५ परसेन्ट ठेकेदार हड़प कर ले जाते हैं सरकार के पैसे का और काम का दुरुपयोग होता है और वह काम अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है उसके मुकाबले में जो कि सरकार या कोई संस्था करना चाहती है। इसलिए ऐसे काम की हिमायत की जाय, गवर्नमेंट ने या किसी संस्था ने काम किया है और किसी एक ठेकेदार से काम नहीं कराया गया है ठेकेदार नहीं रखा गया है जिससे वह ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट कमाये तो यह गलत तरीके की वकालत है जो सदन के समक्ष की जा रही है। मेरा यह निवेदन है कि जहां ठेकेदार लोग रहते हैं वहां पर मजदूरों का शोषण होता है। ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट कमाने के लिए वे मजदूरों का शोषण करते हैं. काम को बिगाड़ते हैं। इसीलिए उस ठेकेदारी संस्था को मिटाने के लिए ही यह संस्था स्थापित की गई है। जगह जगह जाकर देखते हैं कि ठेकेदारों ने क्या हालत कर रखी है। आज एक बिल्डिंग बनती है तो दूसरे साल तो वह चूने लग जाती है उन खराबियों को मिटाने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन हमारे यहां बना है। हां, यह बात हो सकती है कि कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो, कोई डिफेक्ट्स हों अकाउन्टेन्ट्स न मिले हों और ठीक प्रकार से अकाउन्ट्स नहीं रखे गये हों और ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट न किया जा सकता हो तो उनकी पूर्ति करके उन डिफेक्ट्स को मिटा सकते हैं। लेकिन एक ठेकेदार मजदूरों से काम लेता है और ठेकेदार सरकार से काम लेता है, मजदूरों का शोषण करता है और अधिक से अधिक प्रोफिट करता है और उनके कामों में जो डिफेक्ट्स रह जाते हैं उनको कैसे मिटाया जा सकता है। ठेकेदार की हिमायत करके उनको जो लोग प्रोत्साहन देते हैं, जो ठेकेदार हजारों लाखों मजदूरों का

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

शोषण करते हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, समाजवाद का तरीका अपनाना चाहते हैं....

**एक माननीय सदस्य:** सभापति महोदय, इसमें जो नये ठेकेदार पनप रहे हैं और ठेकेदारी करते हैं उनके लिए माननीय सदस्य क्या कहते हैं ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास:** यह तो आपको मालूम हो गया होगा कि किसने ठेकेदारों की वकालत की है। मैं स्वयं ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हूं। तो इस प्रथा को मिटाने के लिए इस प्रकार की संस्था बनाई गई है। इसको अगर क्रिटिसाइज किया जाय तो मैं कहूंगा कि ठेकेदारी प्रथा के हिमायती और उसको प्रोत्साहन देने के लिये सदन में भी वकालत की जाती है। हमारे देश में जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उनमें खराबी न रहे और लूपोल्स न रहे इसलिए इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया गया है। परसों एक प्रश्न आया था कि एक बांध टूट गया जबकि पानी नहीं आया। यह है नमूना ठेकेदारों के काम का। इस प्रकार की ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है वह अच्छी व्यवस्था है।

यह बात मानी जा सकती है कि उसमें प्रोफिट कम हुआ है। इतना प्रोफिट नहीं हुआ जितना कि एक ठेकेदार या केपेटिलिस्ट को होता है। हमें शोषण नहीं करना है बल्कि अधिक से अधिक काम उन लोगों को देना है जो दिन रात खून पसीना एक करके हमारी स्टेट को बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसी चीजों में ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए न कि हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, योजना की पूर्ति में इस प्रकार की संस्थायें योग दे सकती हैं। उनको हमें कामयाब बनाने के लिए कार्य करना चाहिए।

एक बात यह उठवाई गई कि चम्बल समिति को न देकर इसको क्यों दिया गया। सहकारी समितियां जो काम करना चाहती हैं उनको उसी रेट्स पर जो कि सरकार और पी० डब्ल्यू० डी० की रेट्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। जो कार्य करना चाहती हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस के आदमी हैं उनको पालन पोषण के लिए ठेका दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके दिमाग में जो इस प्रकार का भ्रम है वह बिल्कुल गलत है। चम्बल में एक को-ओपरेटिव सोसायटी थी। भारत सेवक समाज के अन्तर्गत काम था उनको यह काम दिया गया है। तो इस प्रकार से एक पार्टी पर इस प्रकार के आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। उनको जानकारी नहीं थी तो कर सकते थे। भारत सेवक समाज किसी पार्टी विशेष से सम्बन्ध नहीं रखता है यह संस्था देश के जो लोक कार्यों को बढोतरी देने के लिए काम करना चाहते हैं उनको उसमें शामिल करके उनकी एडवाइज से कार्य करना चाहती है और कार्य किया जाता है। इस प्रकार की बात कहना कि एक पार्टी को प्रोत्साहन देने के लिए यह दिया गया है और कॉर्पोरेशन को नहीं दिया गया है यह

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

गलत है और इस प्रकार की बातों से हमारे यहां सदन में जो भ्रम फैलाया गया है वह असत्य है। इस प्रकार बातें यहां कही गई कि यह जो नेशनल प्रोजेक्ट कोर्पोरेशन है उसमें दस लाख रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया है राजस्थान सरकार ने अगर उन रुपयों को किसी नेशनल सेविंग में जमा करा दिया जाता तो अधिक प्रोफिट कमाया जा सकता था। इसका उद्देश्य प्रोफिट कमाने का नहीं है। इसके साथ साथ हमारे देश में निर्माण के कार्य अच्छे और मजबूत हों। जो मजदूर काम करते हैं उनको अधिक पैसा मिले और उनका शोषण न हो इसलिए कॉर्पोरेशन बनाया गया है। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय। इस प्रथा ने सबसे ज्यादा गड़बड़ी पैदा की है। उन ठेकेदारों ने सरकार और दूसरों के साथ जो व्यवहार किया है जो आज आप देख रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जगह जगह शिकायतें मिलती हैं। पी० डब्ल्यू० डी० की बिल्डिंग के ठेके हों, चाहे बांधों के ठेके हों, उनमें खराबियां हैं जिनका कारण यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट ठेकेदार लोग कमाने की कोशिश करते हैं। इस चीज को समाप्त करने के लिये ही हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। वे ही लोग इसमें खराबी बता सकते हैं जिनको ठेकेदारी और कैपेटिलिस्टों से अधिक से अधिक हिमायत हो सकती है। इसलिये इस संस्था को बनाने में सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे बहुत सराहनीय हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय जिससे ठेकेदार जो बीच में रह कर अधिक प्रोफिट कमाते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं वह दूर किया जा सकें।

**कई माननीय सदस्य :** सभापति महोदय....

**श्री सभापति :** (श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा। माननीय सदस्य समय का ख्याल रख कर निवेदन करें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर)। सदन में नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की थर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो कि ५९-६० की है और इससे पहले ५७-५८ और ५९ की निकल चुकी है। लेकिन यह प्रथम बार ही इस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट सदन में आई है। यह कॉर्पोरेशन कम्पनीज एक्ट के तहत १९५६ के अन्दर शुरू किया गया था। इस कॉर्पोरेशन में जहां भारत सरकार के उच्च अधिकारी हैं वहां पांच प्रान्तों के चीफ इन्जीनियर, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स भारत सरकार भी इस कॉर्पोरेशन में सम्मिलित किये गये हैं। ऑथोराइज्ड केपीटल २ करोड़ रुपये हैं बीस हजार शेयर्स का डिविडेन्ड है और एक शेयर एक हजार रुपये का रखा गया है। शेयर केपीटल ९३ लाख रुपये की है। राजस्थान सरकार ने भी इसके दस लाख के शेयर्स खरीदे हैं और दूसरी प्रान्तों की सरकारों ने भी इस कॉर्पोरेशन के शेयर्स खरीदे हैं जिसमें केरल सरकार जम्मू एण्ड काश्मीर, बिहार गवर्नमेन्ट इत्यादि हैं।

सभापति महोदय, आसाम और पंजाब ये दो स्टेट्स और इस कॉर्पोरेशन में सम्मिलित

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

हुई हैं। जहां तक इस कॉर्पोरेशन के लक्ष्य का सम्बन्ध है, वह इसकी एन्युअल रिपोर्ट के पेज बीस पर स्पष्ट किया गया है। ऐसे बड़े बड़े कार्यों को कॉर्पोरेशन लेना चाहती है। पांच प्रान्त के चीफ इंजीनियर इसमें हैं और दो और प्रान्तों के चीफ इंजीनियर इस कॉर्पोरेशन में शामिल होने जा रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह कॉर्पोरेशन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ा रहा है, वे अपने को ठीक करलें, दो और प्रान्त इसमें शामिल हुए हैं। इसलिए दो प्रान्तों के चीफ इंजीनियर बोर्ड में आ रहे हैं। इसलिए इस कॉर्पोरेशन की साख बढ़ रही है।

सभापति महोदय, अगर हमें देश के अन्दर निर्माण कार्य करने हैं देश के अन्दर से शोषण पद्धति को समाप्त करना है तो इस दकियानूसी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट की युगों से चली आ रही ठेकेदारी और कमीशन की प्रथा को हटाना पड़ेगा जिससे बड़े बड़े लोगों के भवन निर्माण होते हैं। इस प्रथा को हटा कर इस प्रकार के कॉर्पोरेशन को जन्म देना पड़ेगा। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार ने यही एक मुख्य कार्य किया है कॉर्पोरेशन के दस लाख शेयर्स खरीद कर। माननीय सदस्यगण इस कॉर्पोरेशन की एन्युअल रिपोर्ट को गहराई से पढ़ते तो इस कॉर्पोरेशन के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार न रखते जिस प्रकार के विचार उन्होंने सदन के अन्दर प्रस्तुत किये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर यह कॉर्पोरेशन किसी सेठ के हाथ में होता तो यह नफे के अन्दर चला जाता। माननीय सदस्य ने ऑडिट रिपोर्ट की ओर ध्यान नहीं दिया। भारतवर्ष के माने हुए चारटर्ड अकाउन्टेन्ट हैं उन्होंने इसकी ऑडिट रिपोर्ट पेश की है जिसको डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल ने एप्रूव किया है। हो सकता है इस कॉर्पोरेशन के आंकड़े में कुछ गलतियां रही हों। हो सकता है इसमें बड़े बड़े घोटाले भी रहे हों। केवल इस दृष्टिकोण से बिना किसी वस्तुस्थिति की जानकारी के आलोचना करना उचित नहीं समझता। लेकिन यह बात ठीक है कि कोर्पोरेशन को घाटा हुआ है उसको काम करने में कुछ कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं जिसके बारे में कॉर्पोरेशन की इस रिपोर्ट में साफ कहा भी गया है वह मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस कॉर्पोरेशन ने विभिन्न प्रांतों में काम हाथ में लिया है जिसमें दो बान्धों का निर्माण किया गया है। मध्यप्रदेश में सात मील तक चम्बल की खुदाई की है। बान्ध का कार्य बिहार में लिया गया। नैपाल में बैरेज बनाया है। कॉर्पोरेशन के तीन साल के आंकड़े इस रिपोर्ट में रखे हैं। इसके अलावा विभिन्न कार्यों के अन्दर कॉर्पोरेशन को क्या क्या कठिनाइयां हुई उनका भी उल्लेख इसमें किया गया है। अभी थोड़े समय पहले बिजली के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था, मीटर प्राप्त नहीं हो सके। इसके अलावा कॉर्पोरेशन ने इस चीज की ओर भी इंगित किया है कई प्रोजेक्ट्स के अन्दर वेरीफिकेशन ऑफ मेटेरियल और इसके अलावा पेमेन्ट्स में भी डिले हुई है। कहीं भी गवर्नमेन्ट ने इस कॉर्पोरेशन के कार्य को इस दृष्टि से नहीं लिया जैसा कि एक कॉर्पोरेशन के कार्य को लिया जाना चाहिए था। जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें जो ठेकेदारी की परम्परा कायम हो चुकी है अगर हमारे

Page No.56



(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

देश के टेक्निशियन्स ईमानदार हों तो देश को ऐसे कार्यों में राहत दिला सकते हैं। ठेकेदारी की युगयुगान्तर से चली आ रही प्रथा ने इस कॉर्पोरेशन के कार्य में भी बाधा उपस्थित की है। मैं उस सम्बन्ध में कुछ मुद्दे पेश करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि वजीराबाद का कार्य इस कॉर्पोरेशन ने बन्द किया और कोसी बैरेज का कार्य अपने कन्धों पर लिया। कोसी बैरेज के कार्य के सम्बन्ध में सीनियर अकाउन्ट्स ऑफिसर के सामने अपना विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि कोसी कार्य में सफलता नहीं हो सकी इस सम्बन्ध में इस कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट रूप में कहा कि हमें वहां पर जनेरेटिंग सेट्स नहीं पहुंचा सके। इस कॉर्पोरेशन को जनेरेटिंग सेट समय पर नहीं पहुंचा सके जो कॉर्पोरेशन छः प्रान्तों के चीफ इंजीनियरों से बनी हुई है उस कॉर्पोरेशन को जेनेरेटिंग सेट नहीं पहुंचा पाते इससे यह बात स्पष्ट है कि खुद सरकार के अन्दर वे लोग हैं जो इस बात पर तुले हुए हैं कि कॉर्पोरेशन फेल हों।

दूसरी बात और मैं पेश करता हूं। चम्बल के अन्दर वर्क ऑफ एक्सकावेशन ऑफ सेवन माइल्स का वर्क किया। लेकिन जो भी एमिनीटिज इनके वर्क्स को चाहिये थी उसके लिये सहयोग मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा नहीं दिया गया। इसके अलावा इस कॉर्पोरेशन को डकैतों से प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। हमारे वर्कर्स बियावान जंगलों में डकैतों से व्यथित थे, उनको किसी प्रकार भी संरक्षण नहीं दिया गया। कॉर्पोरेशन ने तीन साल के रिटर्न का अकाउन्ट पेश किया उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। ५७-५८ के अकाउन्ट्स को लीजिए जो पांच आइटम्स डिवाइडेड हैं और इसके साथ साथ परसेन्टेज इन रिलेशन टू टोटल वैल्यु ऑफ वर्क डन। हर वर्ष का परसेन्टेज निकाला गया है। सन १९५७-५८ में निम्न प्रकार के काम लिए:

| | Year 1957-58 (In Lacs) | Percentage in relation to total value of work done in 1957-58 |
|---|---|---|
| 1. Total value of work done at contract rates | 40·51 | .. |
| 2. Prime Cost | 30·61 | 75·6% |
| 3. Works overheads | 1·26 | 3·1% |
| 4. General overheads | 5·35 | 13·2% |
| 5. Profit | 3·29 | 8·1% |

| | Year 1958-59 (In Lacs) | Percentage in relation to total value of work done in 1958-59 |
|---|---|---|
| 1. Total value of work done at contract rates | 127·98 | ... |
| 2. Prime Cost | 106·48 | 85·9% |
| 3. Works overheads | 4·59 | 3·5% |
| 4. General overheads | 9·37 | 7·6% |
| 5. Profit | 3·74 | 3·0% |

| | Year 1959-60 (In Lacs) | Percentage in relation to total value of work done in 1959-60 |
|---|---|---|
| 1. Total value of work done at contract rates | 218·03 | . |
| 2. Prime Cost | 185·81 | 85·2% |
| 3. Works overheads | 13·64 | 6·2% |
| 4. General overheads | 14·50 | 6·7% |
| 5. Profit | 4·08 | 1·9% |

In terms of the cost structure of the Corporation's contracts for various works, the prime cost, works overheads, general overheads and profits during 1959-60 should have worked out as follows:—

| | Year 1959-60 (In lacs) | Percentage in relation to total value of work done in 1959-60 |
|---|---|---|
| 1. Total value of work done at contract rates | 218·03 | .. |
| 2. Prime cost | 179·44 | 82·3% |
| 3. Works overheads | 11·43 | 5·2% |
| 4. General overheads | 16·74 | 7·7% |
| 5. Profits | 10·42 | 4·8% |

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सभापति महोदय, स्पष्ट है कि नेपाल जैसे विदेशों में, मध्य प्रदेश जैसे बीहड़ जंगलों से भरे प्रदेश में स्ट्रक्चर्स का काम करने वाली कॉर्पोरेशन की समस्याओं को अगर सहानुभूति से देखा जावे तो निश्चित रूप से कोस्ट स्ट्रक्चर के इस प्रश्न को बड़ी संजीदगी से सुलझाया जा सकता है।

मेरे एक माननीय सदस्य ने बड़े कॉमशियल तरीके से बड़े चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के ढंग से अकाउन्ट का पोस्ट मार्टम किया है। पर एक बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसकी पेड अप केपिटल ५९-६० में ९३ लाख थी। लेकिन इस कॉर्पोरेशन के अन्दर प्लान्ट मशीनरी, वर्क्स इक्विपमेंन्ट्स, ऑफिस टूल्स फर्नीचर आदि पर ३६.६९ लाख रुपया खर्च हो गया। जो कॉर्पोरेशन विभिन्न प्रान्तों में और नेपाल जैसे देश में कार्य कर रहा है उसने अगर ३६.६९ लाख के टूल्स खरीद लिये तो कौनसा फालतू सामान खरीद लिया यह समझ में नहीं आता। इसके साथ ही टेम्पोरेरी कन्स्ट्रक्शन में ९.७१ लाख लग गया। तो सारे भारत में काम करने वाले कॉर्पोरेशन के लिये जो जगह जगह काम करती है क्या अधिक है। हो सकता है मान लेते हैं कि अधिक है। पर ४६.४० लाख रुपया इस मद में कॉर्पोरेशन के असेट्स के रूप में लगे हुए हैं। कॉर्पोरेशन का ४३ लाख रुपया था पूंजी के रुप में जिसमें से अगर ४६ लाख फिक्स्ड असेट में आ जाता है तो क्या बुरा है। इसके अतिरिक्त स्टोर्स एट साइट ऑफ वर्क्स में १६.२४ लाख रुपया रखा है, रिजर्व स्टॉक में २०.५४ लाख रखा है, यह कुल मिला कर ३६.७८ लाख का माल होता है। इस सबको जोड़ें तो ८३.१८ लाख कॉर्पोरेशन के इन्वेस्टमेंट में है। इसकी ९३ लाख रुपया पेड अप केपिटल है। इसमें से इसकी वर्किंग कैपिटल निकाले तो सिर्फ ९ लाख का वर्किंग कैपिटल बचता है जिससे कि यह कॉर्पोरेशन अपना काम कर रहा है। यह तो बिहार सरकार ने ३० लाख दे दिया और पांच लाख उसे बैंकों से प्राप्त हो गया तो कॉर्पोरेशन अपनी साख बचा सकी और अपना काम ठिकाने लगा लिया। तो इस हालत में भी कॉर्पोरेशन ने इन कठिनाइयों में रह कर काम किया है।

सभापति महोदय, नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन की यह अपनी रिपोर्ट है। लेकिन अगर हमें देश में धन्धों का राष्ट्रीयकरण करना है, अगर हमें देश के अन्दर पब्लिक सैक्टर का उत्थान करना है, अगर हमें देश के अन्दर २५ पर्सेन्ट जैसा कि हर देश का प्राणी जानता है कि आज देश में जितने निर्माण के काम पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ के हाथों होते हैं इरीगेशन विभाग के हाथों होते हैं उनमें २५ पर्सेन्ट रकम तो एक प्रकार से यह मान लिया जाता है कि उन कामों में नहीं लगती, इन बड़े बड़े भ्रष्टाचारी अफसरों और ठेकेदारों की जेबों में उनकी तोंद में समा जाती है। राजस्थान केनाल का निर्माण हो रहा है, हजारों मजदूर अपने सिर कन्धों पर टोकरियां उठाकर सर्दी के मौसम की पौष माघ की कड़-कड़ाती सर्दी को झेलते हुए गर्मी के दिनों की कड़कड़ाती धूप को झेलते हुए उस राजस्थान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

केनाल की दीवारों को बुलन्द कर रहे हैं और इस तरह से उस प्रदेश की भूखी प्यासी धरती में सिंचाई के साधन जुटाने में ये मजदूर भागीरथ काम कर रहे हैं, पर जब उनके वर्क्स का मेजरमेंट होता है तो जहां हजार क्यूबिक फीट काम होता है तो उसको दो हजार दिखाने वाले मेरे इंजीनियर भाई भी इस धरती पर इस देश में मौजूद हैं और इस तरह से देश की इन निर्माण कार्यों में लगने वाली पूंजी का लगभग २५ प्रतिशत हिस्सा ये हड़प जाते हैं ऊपर का ऊपर ही। अगर हमें इन योजनाओं को बनाना है, देश की पूंजी का सही उपयोग करना है, तो ये करप्ट प्रेक्टिस करने वाले अधिकारी और ठेकेदार जो हमारी इन विकास योजनाओं के घुन बनकर जो अन्दर ही अन्दर इनको खोखला करते जा रहे हैं, वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमें इनको पूरी शक्ति से समाप्त करना होगा और इसके लिए इस नशनल कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन सरीखी संस्थाओं को उत्साहित करना होगा।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : सभापतिजी, नेशनल प्रोजेक्ट्स कस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं इस सम्बन्ध में दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। देश में जब प्लानिंग के बड़े बड़े कन्स्ट्रक्शन्स का सवाल शुरू शुरू में चल रहा था तो उस समय बड़े कस्ट्रक्शन्स के लिये कोई बड़ी पार्टी नहीं थी जो इन कामों को एफीशियेन्टली और वल मैकेनाइज्ड और साइन्टिफिक तरीकों से कर सके। इस मूलभूत उद्देश्य को लेकर इसका निर्माण हुआ। ऐसे और भी हैं कई प्रान्तों में और बहुत बड़ा काम वे स्टेटें इससे भी कराती है।

इसमें एक और भी उद्देश्य सामने था कि मान लीजिये इस तरह के काम किसी पार्टी को, प्राइवेट पार्टी को या ठेकेदार को दिया जाय तो वह देश का प्लानिंग का और उसमें काम करने वाले मजदूरों और अन्य कर्मचारियों का ख्याल उतना न रखे जितना अपने स्वार्थ का, अपने मुनाफे को अधिक से अधिक कमाने का। चूंकि सरकार का दृष्टिकोण समाजवादी था इसलिए इस कॉर्पोरेशन के निर्माण के पीछे यह भी दृष्टिकोण सरकार का रहा कि इसका लाभ देश को, मजदूर को, प्लानिंग को और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को मिले, किसी एक की जेब में न जावे और इसी लिये विभिन्न स्टेटों ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया। इस विचार से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार ने भी इसके शेयर खरीदे। मैं यह मानता हूं कि कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत दूसरे कन्स्ट्रक्शन करने वाले लोग जो हैं उनका दृष्टिकोण और ढंग का होता है और इसका और होना चाहिये। जिस तरह से दूसरी कम्पनियों के डाइरेक्टर, इन्जीनियर टेक्निशियन्स अधिक से अधिक भत्ता, पैसा, अलाउन्स आदि लेकर काम करते हैं अगर यह कॉर्पोरेशन भी उसी तरीके से लेता है तो मैं मानूंगा कि इसके दृष्टिकोण में वह फरक नहीं आया जो आना चाहिये और जिसकी कल्पना करके और जिसको मान कर इसकी स्थापना की गई है। अगर इनके इस भत्ते अलाउन्सेज वगैरह में लाखों रुपया चला

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाता है तो मैं समझता हूं कि दूसरी कम्पनियों में जिनका लाभ डाइरेक्टर वगैरह खा जाते है, मजदूरों के कुछ पल्ले नहीं पड़ता, उनसे इसमें क्या अन्तर आया । इसमें भी अगर लाभ मजदूरों को नहीं मिला तो आपका उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि नेशनल पोइन्ट ऑफ व्यू से भी इस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिये और इस प्रवृत्ति में फर्क आना चाहिये ।

एक बात कहूं जिस प्रकार से चम्बल का काम इस कॉर्पोरेशन ने लिया, दूसरों ने भी लिया । वे भी रेंजिग का काम करते थे और दूसरे भी । अब सरकार चूंकि यह काम जल्दी करवाना चाहती थी तो उसने बोनस देने का लालच दिया । जल्दी करने वाले ठेकेदारों को बोनस दिया और इसी प्रकार जल्दी करने पर इस कॉर्पोरेशन को भी बोनस मिला । इसने भी मांगा इस आधार पर और इसको भी बोनस वह मिला।

अब वह बोनस जोकि ठेकेदार को मिला उसने अपने मजदूरों को नहीं दिया और यह बोनस आज इसको मिला । इसका कर्त्तव्य था क्योंकि यह सारे देश के लोगों का मिला हुआ धन है और उसमें हमारी सरकार भी शेयर होल्डर है तो उनका एक बुनियादी कर्त्तव्य था, एक पुनीत कर्त्तव्य था कि जो पैसा बोनस के नाम से मिला और उस नहर को खोदने में मजदूरों ने अपना खून और पसीना बहाया उन मजदूरों को तो पैसा मिलना चाहिए था, बोनस मिलना चाहिए था लेकिन उनको नहीं मिला । आज लोग कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा को दूर करना चाहिए और इस प्रकार से बनाये हुए कॉर्पोरेशन्स को सहयोग देना चाहिए लेकिन पवित्रता के नाम पर मजदूरों के खून और पसीने का पैसा अपनी जेबों में रख लिया और बोनस नहीं दिया । तो मैं कहता हूं कि पवित्रता के नाम पर काला धब्बा लगाया हुआ है । ऐसा संगठन चाहे कुछ भी हो सरकार की नीति बननी चाहिए कि जहां अपना मेम्बर वहां बैठा है उसका पुनीत कर्त्तव्य होना चाहिए कि यह पैसा उसी को मिलना चाहिए जो कि उसके अन्दर काम करने वाले हैं । आज देश में यह हो रहा है कि ठेकेदारों के आदमी हमेशा इधर उधर भटकते हैं । पर इसके साथ ही साथ इस प्रकार की भी एक बॉडी हो जो कि हमेशा प्लानिंग के अन्तर्गत काम करने वाली हो– चाहे नहर का काम करने वाले हों, चाहे दूसरे प्लानिंग का काम करने वाले हों । ऐसे मजदूरों के भी नाम दर्ज हैं और उन लोगों को भी यह महसूस हो कि हम जो देश के निर्माण का काम कर रहे हैं इससे हमको भी लाभ मिल रहा है । लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारे मजदूर तो इधर उधर भटक रहे हैं । उसने जो कुछ कन्स्ट्रक्शन का काम करके सीखा है उसका लाभ भी आगे के निर्माण के कामों में नहीं ले सकते । इसलिए यह दृष्टिकोण सामने रखकर ही कॉर्पोरेशन बनाना चाहिए और हमारे मेम्बर जो उस कॉर्पोरेशन में काम करें वह इसके प्रति बहुत जागरुक होने चाहिए ।

इसके अलावा जितनी भी बातें इसके हिसाब किताब की बताई गई, हो सकता है उसके लिए किसी में मतभेद हों । किसी ने

(श्री मुरलीधर व्यास)

कहा कि एक पर्सेन्ट भी मुनाफा हो तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि यह एक पवित्र कॉर्पोरेशन है, संस्था है। जो इसके नियमित रूप से काम करने वाले लोग हैं उनको अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, मकान, बिजली, पानी आदि सब तरह की सुविधायें मिलती हैं और उसके बावजूद इतने बड़े बड़े काम देश के, राष्ट्र के उनको मिले और मिलने में मजदूरों का मुनाफा और बोनस तक अपनी अपनी जेबों में रखा और उसके बावजूद भी घाटे की दुकानदारी चलाये और कहें कि यह तो एक कन्स्ट्रक्शन वर्क है, कॉर्पोरेशन है। मैं इस माने में कम से कम उस दृष्टिकोण का नहीं हूं। लोगों का शोषण करने के बावजूद भी घाटे की दुकानदारी बतायें तो उसको कोई अच्छा नहीं कहेगा। कन्स्ट्रक्शन करने वाली संस्था को काम देना चाहिए और इसी आधार पर उसको काम दें, सुविधायें दें और उसके बावजूद भी घाटे में चलें तो यह दृष्टिकोण यदि अपना लिया गया तो यह ठीक नहीं है। कम से कम आर्थिक पहलू के ऊपर हमेशा ख्याल रखना चाहिए। चाहे वह पूंजी किसी की भी हो, अभी कहा कि २ करोड़ की पूंजी के हिसाब से अभी ९३ लाख के ऐसे शेयर हैं जिन्होंने नहीं लिया तो अधिक से अधिक पूंजी बढ़ानी है और इसमें लोगों को आकर्षित करना है तो वह तभी हो सकती है जबकि यह ज्यादा से ज्यादा डिविडेन्ड दे या मुनाफा बताये। अगर यही हालत रही तो लोग इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार का कॉर्पोरेशन सही वर्क नहीं कर सकेगा। ज्यादा से ज्यादा यह कोशिश करें कि कम से कम आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी इसके शेयर्स हैं ब्याज के रूप में तो कम से कम उसको तो रकम मिल जाये। पूंजी लगाने वाला कोई पागल तो होता

( समय समाप्ति-सूचक घंटी )

नहीं। इसलिए यह दृष्टिकोण इसमें रहना चाहिए। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि यदि लोग हट जायेंगे तो वह चाहे कॉर्पोरेशन को लाख बचाने की कोशिश करें लोग अपनी अपनी पूंजी को खींच लेंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसा दृष्टिकोण कॉर्पोरेशन को बराबर ख्याल में रहेगा।

**श्री सभापति** ( श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ) : माननीय मंत्री महोदय अपना उत्तर दें।

**श्री भीखाभाई** (सिंचाई मंत्री) : पहले इसके कि माननीय मंत्री कुछ उत्तर दें मैं ५ मिनिट बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदया, जो प्रस्ताव हमारे सामने है उस पर अभी हमारे कुछ उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने विचार किया और उन्होंने बहुत सी बातें बताई उससे मालूम पड़ा कि कुछ माननीय सदस्यों का ख्याल है कि जो कन्स्ट्रक्शन के लिए कॉर्पोरेशन है वह कोई प्राइवेट बॉडी है और हर आदमी उसका सदस्य बन सकता है या कोई ठेकेदार या उद्योगपति बना सकते हैं। जो भावनाएं यहां व्यक्त की गयीं उनसे जाहिर हुआ और बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि जैसे कोई एक व्यक्ति की बात है। लेकिन जो गंगानगर से माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने जो बात बताई उससे यह प्रकट होता है और जिस कन्टेक्स्ट में उन्होंने बात बताई वह बात सही

(श्री भीखाभाई)

है। हमारे देश के अन्दर पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमें यह महसूस होने लगा कि हमें इस देश के अन्दर इस प्रकार के महान् कार्य करने के हैं और उन महान् कार्यों के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि उनको शीघ्रातिशीघ्र पूरे किये जायें। काम अच्छे भी हों, पुख्ता भी हों और उसके साथ २ यह भावना भी रहे। हमारे समाजवादी व्यवस्था में जो विश्वास रखने वाले हैं और कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा बन्द होनी चाहिए और ठेकेदारों के बजाय सरकार के द्वारा काम होना चाहिए या ऐसी कॉर्पोरेशन के द्वारा काम होना चाहिए। यह कॉर्पोरेशन जो भारत सरकार ने बनाया है और जिसमें कई राज्य भागीदार हैं और जो कॉर्पोरेशन एक ज्वाइन्ट वेन्चर है जिसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट, उसके बाद में गवर्नमेन्ट ग्रॉफ इन्डिया की इरींगेशन मिनिस्ट्री, मध्यभारत की गवर्नमेन्ट के १० लाख के शेयर्स, बिहार की गवर्नमेंट के १० लाख के शेयर्स, राजस्थान सरकार के १० लाख के शेयर्स, और जम्मू कश्मीर सरकार के ६ लाख के शेयर्स हैं। शेयर्स रखने के पहले सब लोगों को मालूम था कि इस देश के अन्दर जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं चाहे सिंचाई की योजना हो चाहे पॉवर की हो उनको पूर्ण करना है। हमें यह देखना है कि जो मुनाफा ठेकेदार के पास जाता है वह उसके पास न जाकर सरकार के पास जाये और जो कहते हैं कि हमें स्टेट ट्रेडिंग करना चाहिए। आपने देखा कि जो कॉर्पोरेशन बन रही है वह इसी दृष्टि को लेकर बन रही है। मैं निवेदन करूंगा कि यहां कुछ आंकड़े दिये गये और जो सदस्य गंगानगर से आये हैं उन्होंने साबित करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट १० लाख का हुआ है उसमें हमको कितना किस प्रकार से प्रोफिट मिलता है? जो भी आंकड़े यहां बताये गये, वे गलत हैं। वह तो हमारे सम्बन्धित मंत्री महोदय जो कि फाइनेन्स मिनिस्टर हैं वे इस सम्बन्ध में जवाब देंगे। मैं तो उसी आस्पेक्ट को बताना चाहता था कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बड़े बड़े आदमी हैं। कहा गया कि यहां तो सिर्फ चीफ इन्जीनियर है।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार का जो कॉर्पोरेशन है उसमें राज्य सरकार दो और इन्जीनियर रखने वाली है और यह भी कहा गया कि वहां जो मेम्बर हैं हमारे वे हमारे इन्टरेस्ट को नहीं देखते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। मैं यह कहूं कि जैसा कि इसकी वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या ५ पर यह बताया गया कि किस प्रकार की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। जहां मध्यप्रदेश के अन्दर शामपुर यूनिट की बात चली, चम्बल की बात चली, इतने बड़े-बड़े कन्स्ट्रक्शन के काम लिए वह इसलिए नहीं लिए कि वहां के लेबर्स को डिसलोकेट कर दिया जाये बल्कि इन कामों को इसलिए लिया कि कान्ट्रेक्टर्स का मुकाबिला किया जाये और उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसको कम्पीटीटिव रेट्स के सामने उठना पड़ा। कालीसिंध और परमल का काम जो ८० लाख का काम था........

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (ग्रासीन्द): यहां प्रस्तावकर्त्ता तो है ही नहीं।

**श्री भीखाभाई :** तो उसमें ३१ पर्सेन्ट पर टेन्डर निकाले गये। कालिसिन्ध ग्रौर परवल के काम में जिसमें मध्यप्रदेश, राजस्थान सरकारें हैं जिनमें चम्बल बोर्ड के ग्रन्तर्गत काम चलता है तो ठेकेदारों ने परवल के ग्रन्दर जो एस्टीमेटेड कास्ट होती है उसके ऊपर ३१ पर्सेन्ट पर दिया ग्रौर उसके बाद में जब हमारे सामने नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि० ने उसका कान्ट्रेक्ट लिया वह १७ पर्सेन्ट का लिया। तो यह एक कान्ट्रेक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए एक एजेन्सी है ग्रौर वह गवर्नमेंट की ऐजेन्सी है ग्रौर गवर्नमेंट की ऐजेन्सी होने के कारण जो प्रोफिट कान्ट्रेक्टर्स को मिल सकता है वह गवर्नमेंट को जाता है। जो दूसरे को प्रोफिट मिल सकता है वह गवर्नमेंट को ग्राता है इसलिए इसमें नुकसान का प्रश्न नहीं उठता।

उसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बात ग्रौर बताई गई कि ५७-५८ में जो टोटल कॉस्ट ग्रॉफ दी वर्क डन, ४० लाख का जो काम किया है तो उस पर प्रोफिट ३, २९,०००) रु० का है। जो पर्सेन्टेज वर्क ग्राउट करते हैं तो वह ८ पर्सेन्ट ग्राती है। ५८-५९ के ग्रन्दर १,२७,९८०)रु०का काम किया गया है उसमें ३ पर्सेन्ट का प्रोफिट किया है। ५९-६० के ग्रन्दर जिसकी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है उसमें जैसा कि बताया गया है कि २१,८०,०००)रु० का काम हुग्रा उसमें चार लाख का प्रोफिट हुग्रा उसमें पर्सेन्टेज वर्क ग्राउट किया है तो १.९ पर्सेन्ट ग्राया है उस बात को ध्यान में रखें जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जो एक प्वाइन्ट है, जो एक नुक्ता है कि कालिसिन्ध के ग्रन्दर ग्रौर इसके साथ परवल में जो ३१ पर्सेन्ट का प्रोफिट ठेकेदारों को मिलने वाला था यदि वह ठेकेदारों को स्वीकृत हो जाता तो। ग्रौर कालिसिन्ध ग्रौर परवल दोनों की बात है जो कि ८० लाख का काम था उसका मार्जिन जो इन लोगों को नहीं हुआ वह गवर्नमेंट को हुग्रा। वह राजस्थान सरकार ग्रौर मध्यप्रदेश की सरकारों उन ठेकेदारों के मुकाबले में हुग्रा, यह बात ध्यान में रखने की है।

जो केपिटल इन्वेस्ट की है उसके बारे में जो पेड ग्रप केपिटल है वह एक करोड़ का समझेंगे तो यह प्रोफिट की पर्सेन्टेज के ऊपर कोई फर्क नहीं है। ग्रगर ग्राप इस हिसाब से निकालेंगे कि पहले वर्ष में ८ पर्सेन्ट, दूसरे में ३ पर्सेन्ट ग्रौर तीसरे में १ पर्सेन्ट। इस तरह से कुल मिलाकर १२ पर्सेन्ट है ग्रौर उसका एवरेज निकालें तो ४ पर्सेन्ट हो जाता है

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : उसका ग्रोसत निकाला जाय।

**श्री भीखाभाई :** सब मिलाकर बताता हूं। ग्राप सुने तो सही। मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारा ९३ लाख का जो इन्वेस्टमेंट हुग्रा उस पर कितना प्रोफिट हुग्रा वह हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी बतायेंगे।

**श्री मुरलीधर व्यास :** कुल मिलाकर १२ पर्सेन्ट हो गया तो उसकी पर्सेन्टेज नहीं निकालेंगे क्या ?

Page No.64



**श्री भीखाभाई :** बट आई फील कि रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट में किसी तरह का घाटा नहीं है। उसके बारे में जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इसका ध्यान रहे कि वित्त मंत्रीजी जवाब देने वाले हैं; लेकिन यह बात साफ है कि उससे नेशनल मनी का सेविंग हुआ है।

**श्री मुरलीधर व्यास :** आप वित्त मंत्री नहीं हैं, लेकिन लेबर मिनिस्टर हैं उस ताल्लुक से दे दें।

**श्री भीखाभाई :** मैं आपको यहां इरिगेशन मिनिस्टर की हैसियत से जवाब दे रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि कन्स्ट्रक्शन की बात बताई गई है उसके लिए मैं निवेदन कर रहा था कि पुनर्गठन के बारे में कहा गया कि उसमें केवल इजीनियर्स हैं रिटायर्ड तो उसमें आई० सी० एस० ऑफिसर, इरिगेशन सेक्रेटरी, उसके चेयरमैन होते हैं। उसके साथ साथ कई तरह के लोग हैं। उसके साथ साथ एकाउन्ट्स के भी ऑफिसर हैं और बहुत से ऑफिसर्स हैं, ऑडिटर्स हैं इस तरह से सभी लोग हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो माननीय सदस्य जिन्होंने भाषण दिया है वे स्वतन्त्र पार्टी के है और उन्होंने इस बात की वकालत की है कि यह नेशनल प्रोजेक्ट्स एन्ड कन्स्ट्रक्शन्स कॉर्पोरेशन इस तरह की बॉडी है, वे इस बात को समझ लें ताकि जो उत्तर आने वाला है उससे साफ हो जायगा।

मैं समझता हूं कि यह हर्गिज बड़ी रेट नहीं है। वह इस प्रकार की संस्था है जैसा कि हमारे माननीय सदस्य जो गंगानगर से आये है उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अन्य राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि हमारे देश के अन्दर जो बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाएं है उनको पूर्ण किया जा सकता है समय समय पर।

( २.१५ म.प. )

**(राव श्रीनारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

और जो एक बात कही जाती है कि डिपार्टमेंटली क्यों नहीं किया जाता है तो वास्तव के अन्दर एक स्थिति पैदा हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां डिपार्टमेंटली बात करते हैं तो सरकार के द्वारा बनाई हुई एक कॉर्पोरेशन है जिसमें दूसरी सरकार का भी हिस्सा है और इसमें नुकसान नहीं हो रहा है उस आस्पेक्ट से देखना चाहिए। थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट कम है तो भी मैं निवेदन करता हूं कि उसमें राष्ट्रीय फायदा होता है। ३२ पर्सेन्ट बचता है। जो मैंने उदाहरण दिया है उसको देखकर समझ लें कि यह नेशनल प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन जो बनाया है वह वाजिब है। और इस प्रकार की जो बातें हुई है वे अनर्गल गलत हैं, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) :** मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इस डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट के अधिकारी काम कर रहे हैं उनको डेपुटेशन एलाउन्स दिया जाता है ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : (आसींद) Point of order, Sir, ये जो प्रस्तावक महोदय हैं जिन्होंने प्रस्ताव रखा है व स्वयं ही उपस्थित नहीं हैं तो वैसी हालत में आगे नहीं चल सकते हैं ।

**श्री बालकृष्ण कौल** ( वित्तमंत्री ) : अब यह हाउस का प्रस्ताव है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह हाउस का प्रस्ताव है । वे समय पर उपस्थित हो जायेंगे ।

**श्री मोतीलाल चौधरी** : जो गवर्नमेंट स्टाफ है वह जो कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है उसको क्या डेपुटेशन एलाउन्स मिलता है ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : उपाध्यक्ष सर, माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी भावनाओं के लिहाज से तकरीर की । उन तकरीरों का एनेलेसिस किया जाय तो मालूम होगा कि कौन से माननीय सदस्य ने कौन से सिद्धान्त रखे हैं । प्रस्ताव के प्रस्तावक या माननीय सदस्य यह जानना चाहें कि उनका जो मूल विचार इस प्रस्ताव को रखने का था वह क्या है ? माननीय सदस्य जो कि कम्यूनिस्ट पार्टी के हैं उन्होंने उस प्रस्ताव का जो एनेलेसिस रखा इस सदन के आगे, मैं समझता हूं कि वह काफी महत्व का था और प्रस्तावक एक प्रतिनिधि है जनसंघ के । उनके कुछ सिद्धान्त हैं । उस सिद्धान्त की रोशनी में उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा और इसी तरह से कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे । इस सदन के माननीय सदस्य बखूबी हर सदस्य को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि कौन सदस्य किस पार्टी का है, किस सिद्धान्त को लेकर आया है । मैं अब इस पर अपने विचार रख देना चाहता हूं ताकि जो सरकार के विचार हैं वे भी सदन के सामने आ जायें ।

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यह सरकार समाजवाद के आधार पर समाज स्थापित करना चाहती है और जो भी कोई कदम सरकार उठाती है उसका लक्ष्य सीधा या टेढ़ा, ऐसा समाज ही बनाता है । इसलिये वे लोग जो हमेशा एक्सप्लोयट करते हैं, शोषण करते हैं लेबरर्स का, गरीबों का उनमें ये कांट्रेक्टर्स भी शामिल हैं । आप जानते हैं महानुभाव, कि जमींदारी अबोलिशन हुआ । क्यों हुआ ? इसलिए कि जो किसान थे उनका शोषण होता था । तो जो मिडिल मेन है वह हमेशा, यदि जिन्दा रहता रहा तो किसी न किसी का शोषण करेगा । तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह मुनासिब समझा कि यह जो जमात है कांट्रेक्टर्स की यह भी एक मिडिल मेन है और इस मिडिल मेन को आसानी से इस वक्त इलिमिनेट कर दिया जाय ताकि जो सरकार का रुपया लगता है किसी चीज में वह कम से कम खर्चे पर तैयार हो और साथ ही साथ जो मजदूर तबका है, जो इसमें काम करने वाले होते हैं उनका शोषण कम हो । उनके और सरकार के बीच सीधा सम्बन्ध हो इसलिए उन्होंने यह नेशनल प्रोजेक्ट बनाया है और इसके जितने शेयर होल्डर्स हैं वे गवर्नमेंट ऑफ डिफरेन्ट स्टेट्स हैं न कि कोई प्राइवेट ठेकेदार या कोई पूंजीपति । तो इसलिए जो माननीय सदस्य श्री गंगानगर की तरफ से आये हैं उन्होंने इस सिलसिले पर काफी तब्बसुर किया और सदन के सामने जीती जागती मिसाल इस शोषण वर्ग की जो हुआ करती है वह रखी ।

(श्री बालकृष्ण कौल)

प्रस्तावक महोदय जिस वक्त यह प्रस्ताव रख रहे थे कुछ इस खयाल से बहक से गये जैसे कि कोई राजस्थान गवर्नमेंट कोई अपना कॉर्पोरेशन चला रही हो उन्होंने जितना कंडेम्नेशन कहिये, या कमेन्ट्स कहिये वह राजस्थान गवर्नमेंट को सामने रख कर किया है, अपने लक्ष्य में, उनका सारा यह कंडेम्नेशन था। मुझे अफसोस यह है कि एक माननीय सदस्य ने, उन माननीय सदस्य ने जो वाकिफ हैं कि इस कॉर्पोरेशन में राजस्थान गवर्नमेंट सिर्फ एक शेयर होल्डर की हैसियत से है और एक शेयर होल्डर की कितनी दखल होती है, किसी कॉर्पोरेशन में यह भी उनको बखूबी जानना चाहिये। इसके माने यह है नहीं कि हम अपने इन्ट्रेस्ट को, अपने रुपये, अपनी पूंजी लगाई गई है उसकी देखभाल न करें। लेकिन हम एक बुनियादी बात को समझ लें। यह किस लिये कॉर्पोरेशन बनाई थी वे समझ जायेंगे तो क्या डिविडेन्ड मिला, क्या रेट्स हैं, अच्छा मिला या बुरा मिला, यह एक मामूली चीज है बमुकाबले इसके कि जो इन कॉर्पोरेशन्स ने कांट्रैक्ट लिये स्टेट्स के वे किन रेट्स पर मिले। जहां कांट्रैक्टर्स की रेट्स ज्यादा होती है वहां इस कॉर्पोरेशन की रेट्स बहुत लो होती है। क्योंकि इससे फायदा अल्टीमेटली स्टेट्स को होता है जो शेयरहोल्डर्स हैं और दूसरी बात माननीय सदस्यों को और बता देना चाहता हूं कि यदि उन्होंने बैलेंसशीट को देखा है तो इस कॉर्पोरेशन ने सन् ५९-६० में ४ लाख से ऊपर मुनाफा किया और इस ४ लाख को यदि देखा जाय तो इसमें से सबसे ज्यादा रुपया गया तो कहां गया। आप यह न भूलिये कि यह एक स्टेट कॉर्पोरेशन है, यह नेशनल कॉर्पोरेशन है, जिसके आंकड़े, जिसका हिसाब, कायदे से रखा जाता है, जिसके हिसाब में कोई गोल-माल नहीं हो सकता। यदि आप देखें तो करीब ३५,००० रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेज के दिये और वे रुपये यदि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेज के दिये तो उसका हिस्सा आपको दूसरे तरीके से, आपकी स्टेट के पास इसका हिस्सा काफी आया।........

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाज़ार जयपुर): कोई भी पार्टी प्रोफिट करती तो देती ही गवर्नमेंट को आपने इसमें क्या किया ?

**श्री बालकृष्ण कौल**: क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट्स के हिसाब रखने का तरीका और होता है और कॉन्ट्रैक्टर्स का तरीका और होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा गवर्नमेंट को बावजूद इसके कि ४ लाख का मुनाफा हुआ उसमें ३५,००० किसे देने पड़े, मैं यह कह रहा था कि किसी न किसी रूप में यदि आपको डिविडेन्ड कम मालूम हुआ, लेकिन दूसरे रूप में हमें पैसे से फायदा हुआ। लेकिन यह भी गलत है कि जो माननीय सदस्य ने रखा कि हमको कोई फायदा नहीं हुआ, १ पर्सेन्ट हुआ या १।। पर्सेन्ट हुआ डिविडेन्ड देखिये। यदि आप इन्ट्रेस्ट के रूप में लेंगे जो रुपया लगा है पूंजी पर, मैं निवेदन करूंगा ५७-५८ में ५९ लाख की केपिटल थी उसमें प्रोफिट हुआ ४·०२ लाख का उसको वर्क आउट करेंगे तो ७ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट होता है। इसी तरह ५८-५९ में ८९ लाख की केपिटल होती है उस पर प्रोफिट हुआ ७.७ लाख और उस पर इन्ट्रेस्ट होता ४.२ पर्सेन्ट इसी तरह से ५९-६० में ९३ लाख की

(श्री बालकृष्ण कौल)

केपिटल होती है उस पर प्रोफिट होता है ४.०८ इसको वर्क आउट करते हैं तो ४.४ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट होता है। ६१-६२ जिसकी रिपोर्ट इस समय सदन के सामने नहीं है उसमें १ करोड़ २३ लाख पेड अप केपिटल उसमें प्रोफिट हुआ है १७.१ लाख, जिसको वर्क आउट करने से १४ पर्सेन्ट रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट होता है। यह तो नेशनेलाइज्ड प्रोजेक्ट का वर्किंग है उसका ब्योरा आपके सामने आ रहा है।

जैसा कि मैं अभी अर्ज कर रहा था हमारी दिक्कत यह है और हर नेशनल प्रोजेक्ट की दिक्कत होगी कि उसको जो भी मुनाफा होगा उस मुनाफे को सबके सामने रखा जायगा और उसमें से आप हमेशा देखेंगे तो करीब ५० पर्सेन्ट जो उसका हिस्सा है वह वेल्थ टैक्स में, कम्पनी टैक्स में और इन्कम टैक्स में चला जायगा। आज मैं माननीय सदस्यों से अर्ज कर दूं कि यह नेशनल प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड कॉर्पोरेशन जो है वह डबल बुक्स नहीं रख सकता ताकि एक बुक्स में एक हिसाव और दूसरी बुक्स में दूसरा हिसाव इसलिए जो भी इसके आंकडे होंगे वे सब शुद्ध होंगे उनमें कोई मिलावट नहीं होगी। इसलिये यह कहना कि इस नेशनल प्रोजेक्ट में सरकार को, राजस्थान सरकार को हिस्सा नहीं लेना चाहिये था, मैं समझता हूं उन माननीय सदस्य की नीति के हिसाब से वे ठीक कह रहे होंगे, लेकिन जो सरकार इस वक्त है और जिस सरकार की नीति से यह कॉर्पोरेशन बना है वह समाजवाद की नीति है।

**श्री मानसिंह महार (आमेर) :** On a point of order, Sir, जेब में हाथ डालकर इस तरह भाषण देना सदन ने अनपार्लियामेन्टरी बताया है। इस पर व्यवस्था दे दी जाय।

**श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) :** उन्होंने भी जेब में हाथ डालकर पूछा इसलिए, यह भी अनपार्लियामेन्टरी है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा) :** This is a nice way of interrupting, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष :** Please continue.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** कोट की जेब में हाथ डालना अलाउड है, पैन्ट की जेब में नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष :** Please Continue.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) :** अपनी जेब में हाथ डालना अलाउ है, दूसरे की में नहीं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** वित्त मंत्री हैं इसलिए दूसरों की जेब में हाथ डालते हैं।

**श्री बालकृष्ण कौल :** श्रीमान्, यह तो खुशी की बात है कि आंकड़ों से माननीय सदस्य कुछ तंग आ गये हैं और अपनी जगह से कुछ हिल गये हैं और उन्होंने एक विनोद की बात सदन के सामने रख दी। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इससे ज्यादा एक सकील बहस अगले प्रस्ताव पर होने वाली है और मैं यह चाहूंगा कि उस प्रस्ताव के लिए......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** एनर्जी बचा कर रखे ।

**श्री बालकृष्ण कौल :** उस प्रस्ताव के लिए मैं इन्तजार करूं ताकि माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं, वे थोड़े से रिलेक्स्ड होकर उस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखें ।

**श्री उपाध्यक्ष :** Mover of the Motion Mr. Agrawal.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** रिप्लाई या सेकिंड मोशन ।

**श्री उपाध्यक्ष :** सेकिंड मोशन ।

(२.३१ म.प.)

## राज्य कर्मचारियों की वेतन श्रंखलाओं सम्बन्धी 'रावत कमेटी' के प्रतिवेदन पर विचार

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं एक बहुत गम्भीर मसले पर विवाद उठाना चाहता हूं । जिस मसले का ताल्लुक राजस्थान के लगभग दो लाख अल्प वैतनिक कर्मचारियों के साथ है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक दूसरा प्रस्ताव जो इस सम्बन्ध में मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं वह इस प्रकार से है, "राज्य कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलाओं के सम्बन्ध में रावत कमेटी की रिपोर्ट पर, जिसकी प्रतिलिपि जून २६, मार्च १९६२ को सदन की मेज पर रखी गई थी, विचार किया जावे ।"

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का एकीकरण जब १९४९ में हुआ और राजस्थान के अन्दर विभिन्न रियासतों में काम करने वाले कर्मचारियों को एक संयुक्त राजस्थान राज्य के अधीन कार्य करने का मौका मिला, उस समय राजस्थान की सरकार ने राज्य कर्मचारियों की वेतन-श्रृंखलाओं के सम्बन्ध में यूनीफाइड पे स्केल्स की व्यवस्था की थी । उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब १९५० में राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसके बाद राज्य के कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलाओं के सम्बन्ध में यूनीफिकेशन ऑफ पे स्केल्स किये गये तो राज्य के अनेक कर्मचारी ऐसे थे जिनमें बड़ा भारी असंतोष व्याप्त हुआ । राज्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार के सामने अपना रिप्रजेन्टेशन किया और उस प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान के कर्मचारी राज्य सरकार से लड़ते रहे कि विभिन्न रियासतों में जो तनख्वाह मिलती थी, उनके आधार पर यूनीफिकेशन किया है वह सही नहीं है। उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, १९५६ में राजस्थान की सरकार ने उन सारे पे स्केल्स का रेशनेलाइजेशन किया । उसके पश्चात् राज्य के कर्मचारियों ने फिर, जो उनकी शिकायतें थीं वे राज्य सरकार के सामने रखीं । उस सारी बहस में मैं सदन को नहीं ले जाना चाहता लेकिन उसके बाद राजस्थान सरकार ने १९५६ में रेशनेलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स किया। उसके बाद भी जैसे हिन्दुस्तान और राजस्थान में परिस्थिति बदलती रही, दामों के भाव बढ़ते रहे, कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा । बढ़ते हुए भाव, बढ़ती हुई मंहगाई और सरकार द्वारा लगाये जाने वाले नित्य नये करों के बीच पिसने वाले जनता के इस वर्ग ने जिसके आधार पर राजस्थान का सारा प्रशासन चलता है, फिर आवाज बुलन्द की और मांग की कि बढ़ती हुई मंहगाई के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जमाने के अन्दर हमारी तनख्वाहें कम हैं और तनख्वाह बढ़नी चाहिये। छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी उन सारे कर्मचारियों ने इस बात की मांग की।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने इस सम्बन्ध में फिर एक कमेटी का निर्माण किया, जिस कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की गई और जिस रिपोर्ट पर विवाद उठाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिस कमेटी का निर्माण किया गया था, उस कमेटी का नाम था-रावत कमेटी। उसकी सिफारिशें थीं, इस सम्बन्ध में उसने जो रिपोर्ट राजस्थान सरकार को दी और जिसके आधार पर राजस्थान के अन्दर रिवीजन ऑफ पे स्केल्स हुए, उसके सम्बन्ध में सदन के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, इस सबके बाद में जब राजस्थान सरकार ने १९६१ में अल्प वैतनिक कर्मचारियों की तनख्वाह में पांच रुपये की वृद्धि की थी और जिस समय मंहगाई भत्ते का आधा तनख्वाह में मिलाया था, उस समय राज्य के मुख्य मंत्री और राजस्थान सरकार ने सारे राजस्थान में ढिंढोरा पीटा था कि राजस्थान के अल्प वैतनिक कर्मचारियों को राहत दी है और तनख्वाह में हेर फेर की है, उनका अन्ततोगत्वा बड़ा भारी फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी किया गया उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिये और तनख्वाह में रद्दोबदल की गई, उनके सम्बन्ध में मैं सदन के सामने आंकड़े पेश करना चाहूंगा, जिनके आधार पर सदन के माननीय सदस्य निर्णय ले सकेंगे कि उपके आधार पर जो राजस्थान सरकार ने किया है, हो सकता है कि उससे बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोगों को लाभ पहुंचे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां तक अल्पवैतनिक कर्मचारियों का सवाल है, रावत कमेटी ने और उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने राजस्थान के दो लाख कर्मचारियों के गले पर छुरी फेर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष उन तथ्यों को लाऊं और उन तथ्यों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूं, उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपकी इजाजत से, आखिर उन अल्पवैतनिक कर्मचारियों ने अपनी मांगें सामने रखीं थीं और बढ़ती हुई मंहगाई और बढ़ते हुए दामों के कारण मांग की थी कि उनकी तनख्वाह कम है वह बढ़नी चाहिए और जिसके लिए कि कमेटी का निर्माण किया गया था, उपाध्यक्ष महोदय, घोर निराशा राज्य कर्मचारियों में इस कारण से आई कि इस कमेटी के जो पर्सनल थे, जिस प्रकार का इसका कान्स्टीट्यूशन था वह बिल्कुल गलत था। उपाध्यक्ष महोदय, गरीब तबके के कर्मचारियों की मांगों के ऊपर वह वर्ग विचार नहीं कर सकता सहानुभूति के साथ, जो ऊंची तनख्वाह पाता है। जिन महानुभावों को इस कमेटी में रखा गया, उनकी योग्यता के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वे आई. ए. एस. केडर के लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार के आदमी उसमें रखे गये, जो उसके पर्सनलस थे, वे गलत थे। मैं समझता हूं, अल्पवैतनिक कर्मचारियों व उनकी मांगों पर सहानुभूति से विचार करने की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती। सदन के माननीय

# Page No.70



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदस्यों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा होगा, जिसको कि पढ़ने का मौका नहीं दिया है, मैं नहीं समझता कि उसका क्या कारण है। माननीय वित्त मंत्रीजी को चाहिए तो यह था कि रावत कमेटी की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन के माननीय सदस्यों को प्राप्त कराते। मुझे अफसोस है कि रावत कमेटी की रिपोर्ट जो ऐसी रिपोर्ट है जो राजस्थान के दो लाख कर्मचारियों के भाग्य का निर्णय करती है। वह रिपोर्ट सदन के माननीय सदस्यों को वितरित नहीं की गई। पता नहीं, प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी डिपार्टमेंट ने उसको पब्लिश नहीं किया या और कोई खास कारण है। मैं नहीं समझता कि माननीय वित्त मंत्रीजी का क्या नजरिया था, जिसके कारण वे ऐसा समझते थे। या वे समझते थे कि अगर माननीय सदस्यों को कापियां वितरित की गई, तो जैसा कि इसके अन्दर घोटाला किया गया है और जिस प्रकार अल्पवैतनिक कर्मचारियों के गले पर छुरी फेरी गई है, उनकी माननीय सदस्यों को जानकारी प्राप्त हो जाने पर वो हावी होने की कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सदन को और उन माननीय सदस्यों को, जिन माननीय सदस्यों को इस रिपोर्ट को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने उसमें एक बात देखी होगी कि इस कमेटी ने किस तरह सारी परिस्थितियों पर विचार किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस कमेटी को निर्णय लेने के पहले चाहिये तो यह था कि यह कमेटी अल्पवैतनिक कर्मचारियों की जितनी संस्थायें हैं, उनके जितने संघ हैं, उनके जितने प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाकर उनसे मेमोरेन्डम लेती और फिर उनकी मांगों पर विचार करती। उनको क्रोस एग्जामिन करती और तथ्यों की जानकारी करती कि किस आधार पर वे मांगें वाजिब हैं। जो शिकायत करने वाले हैं, जो अपनी मांग लेकर सरकार के सामने आये हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करना, उनसे तथ्यों को हासिल न करना, उनके सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन न करना और अपनी जानकारी के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के आधार पर, अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना और राजस्थान के दो लाख कर्मचारियों के भाग्य के बारे में फैसला करना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हमने जो तरीका और ढंग अपनाया और जिस पद्धति के आधार पर रिपोर्ट पेश की है, उससे साबित होता है कि उन्होंने लोगों के प्रतिनिधियों से मुलाकात नहीं की। उन्होंने क्या मांग की उसके बारे में क्या जानकारी करने का प्रयास किया। मैं यह कहूंगा कि उन्होंने अपनी जानकारी और योग्यता के आधार पर जो फैसला देना था दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, फैसला देते समय उन्होंने जो मोटी बात अपनी आंखों के सामने रखी वह यह रखी कि राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। वे राजस्थान की फाइनेंन्स के बारे में ज्यादा जागरूक थे। इसका नतीजा क्या हो सकता है यह आपके सामने है। उनको यह चाहिये था कि अल्पवैतनिक कर्मचारियों को कितनी राहत पहुंचाई जा सकती है इस पर अपना ध्यान देते मगर उन्होंने इसके बजाय राजस्थान की वित्तीय स्थिति की तरफ ध्यान दिया। सारे अधिकारी उसमें थे वे इसके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बारे में ज्यादा जागरूक थे कि राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है। मैं यह कहूंगा कि यदि हम इस बारे में सोचते रहे कि हमारी जेब में कितना पैसा है तो हम दूसरों को देने की बात कभी नहीं सोच सकते हैं, इस बात का मुझे बड़ा खेद है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्यों को लिखना चाहिये था कि हमारे राजस्थान की सही वित्तीय हालत है उसको देखते हुए हम कोई भी इस सम्बन्ध में रिकमेंडेशन नहीं कर सकते मगर यह उन्होंने नहीं लिखा। अन्यथा कर्मचारियों के औचित्य के बारे में मुख्य रूप से निर्णय लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि कमेटी का फैसला एक तरफा और प्रिज्युडिस फैसला था क्योंकि इसमें फाइनेन्स डिपार्टमेंट के आदमी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदि थे। मैं समझता हूं कि वे लोग सही निर्णय पर नहीं पहुंच सके। इसमें निजी स्वार्थ बिल्कुल निहित है इसलिये सही नतीजे पर नहीं पहुंच सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान तीन मुख्य मुद्दों पर दिलाऊंगा जो तीन बातें मुख्य रूप से इसमें तय करनी थीं :—

(१) बात तो यह थी कि सन् १९५६ में रेशनेलाइजेशन ऑफ के स्केल्स से जो अनियमितताएं पैदा हो गई थीं और दिक्कतें सामने आ रही थीं उनको एलिमीनेट करने का टर्म ऑफ रेफरेन्स था।

(२) दूसरा यह था कि जितनी स्पेशल पे लोगों को मिलती है उसके बारे में क्या राय होनी चाहिए।

(३) तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी वह यह है कि राज्य के अल्पवैतनिक कर्मचारी हैं उनके वेतन वृद्धि में क्या किया जाय और उनको क्या राहत दी जानी चाहिये, इस पर विचार करना था।

मगर उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी ने इस पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अल्पवैतनिक कर्मचारियों के बारे में अपनी शिफारिश की है, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि अल्प वैतनिक कर्मचारियों को इस सिफारिश के आधार पर किसी प्रकार की राहत नहीं दी है जब कि उन्होंने रिविजन ऑफ पे किया है। उल्टा उनको धोखे में रखा है। आंकड़ों की अदला बदली की है। यह कहना कि तनख्वाओं में वृद्धि की है तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से वृद्धि की है। फाइनेन्स मिनिस्टर उस रिपोर्ट को खोल कर बैठ जावें मैं एक एक स्टेज पर आपको बताना चाहता हूं कि छोटे कर्मचारियों को भत्ता मिलता था, वेतन मिलते थे उसमें कोई वृद्धि वास्तव में हुई है या नहीं या वास्तव में यह रिविजन ढोंग और ढकोसला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर और माननीय सदस्यों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर नोट करलें और जिस समय जवाब दें उस समय इनका भी उत्तर दें ताकि जो मैं कह रहा हूं उस पर वे यह कह सकें कि वास्तव में अल्प वैतनिक कर्मचारियों को कुछ राहत मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, रावत कमेटी ने कुछ स्केल्स कायम किये हैं। पुराने स्केल्स और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नये स्केल्स हैं उनका मुकाबला करके आपको बताना चाहता हूं। पहला स्केल है उसमें लिखा है ४५-१-७० और १० रु० डी. ए. मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कुल मिला कर मैग्जिमम हुए ८०) रु० उनको मिलेंगे रिटायरिंग एज पर। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से बताना चाहता हूं कि पहले उसको मिलता था ३०-१-४५ प्लस ३५ डी. ए.। ४५ प्लस ३५ कुल मिला कर ८०) रु० हुऐ। इसलिए इसमें कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिली। डी. ए. आपने मिला दिया।

दूसरा स्केल है ६०-१-७०-२-७६ ई.बी. २-८० प्लस १०)रु० डी. ए., कुल मिला कर ९०) रु० हुए।

पहले ५५ का ग्रेड था और ३५ रुपये डी. ए. थे। कुल मिला कर ९०, रुपये पहले थे और अब भी हैं।

तीसरी स्केल ६५-१-७०-२-९० की है। ९० ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह प्लस १०) रु० डी ए.। पहले ४०-१-५०-२-६० था कुल मिला कर १००) मिलते थे। अत: पहले और अब में कोई अन्तर नहीं आया।

चौथा ग्रेड है आपका ६५-२-७५-३-९३ ४-१०५ प्लस १०) रु० डी. ए.। कुल मिला कर हुए ११५) रु०। पहले था ५०-३-८० प्लस ३५ कुल मिलाकर ११५) मैग्जिमम था।

पांचवा ग्रेड ७५-३-१२०-५-१३०। इससे मैग्जिमम हुआ १३० प्लस १०) डी. ए. कुल मिलाकर हुए १४०) रु०। पहले था ६०-४-१००, प्लस ४० (कुल मिलाकर हुए १४०) रु०; कोई अन्तर नहीं हुआ।

छठा ग्रेड ७५-३-९०-४-११०-५-१३० इ. बी. ५-१६० प्लस २०) डी ए. कुल मिला कर १८०) और पहले जो ग्रेड था उसके कुल एमोल्युमेंट्स मिला कर २२५) रु० होते थे। सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले जो मैग्जिमम मिलते थे उससे भी अब कम मिलेगा। इसमें उनको नुकसान हुआ।

इसी तरह ८वां, ९वां, १०वां, १३वां, १४वां, और १५वां में आप देखेंगे। इन सब में इसी प्रकार से हैं जिसमें मैग्जिमम कर्मचारियों को रिटायर होने में मिलेगा वह आज भी उसको वही मिलेगा जो पहले मिलता था। आज इस बात से भी संतोष किया जावे अगर बराबर भी मिलता रहे जो पहले मिलता था। मगर उससे भी आपने कमी की है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपने इस रिविजन ऑफ पे में कोई कर्मचारियों को राहत नहीं दी। कोई तो वहीं रह गये आपने उनको कोई राहत नहीं पहुंचाई। मैं माननीय सदस्यों को तनख्वाह बढ़ाने की बात को आप छोड़िये मगर उसको किसी तरह से आप कम तो मत कीजिये। इस संबन्ध में मैं तथ्य आपके सामने रखूंगा।

स्केल १ में जहां ४५-१-७० का ग्रेड है और डी. ए. मिला कर ८०) होते हैं मैग्जिमम उसमें पहले ३०-१-४५ का ग्रेड था और उसके आगे ५५) तक का ग्रेड था इसी तरह से उसको कुल मिला कर मैग्जिमम मिलते थे ९०) रुपये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दूसरा स्केल है उसमें कुल मिला कर ६०) मिलेंगे। पहले ६०) रु० मैग्जिमम थे और ४५) डी. ए. थे। ज्यादा से ज्यादा १००) रुपये मिलते थे। इसमें १०) का घाटा हुआ।

इसी प्रकार तीसरी स्केल में १०० रु० मिलेंगे। पहले ७५) प्लस ४०) कुल मिला कर ११५) मिलते थे। दूसरा १०० प्लस ४० मिलते उसमें १४० मिलते थे। इसलिये ४० का घाटा।

पहले की स्केल में १-३५ मिलते थे।

सिक्स्थ स्केल में कुल मिला कर २१५ मिलते थे। ८वीं में १६० प्लस २०) कुल मिला कर १८०) हुए।

पहले मिलते थे ८०-५-१२०-८-१६० से २३० तक प्लस एलाउन्स। आप देखिये और अन्दाज लगाइये इसमें भी ८०) का घाटा मिलेगा।

ठीक इसी प्रकार से एक नहीं सारे स्केल्स के बारे में मैंने कम्पेरेटिव टेबल बनाई है और इससे यह साबित होता है कि आज जो कर्मचारियों के पे स्केल का रिविज़न किया गया है, उसके आधार पर कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको लाभ के बजाय घाटा और बड़ा भारी नुकसान इन स्केल्स के कारण मिलेगा।

इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जो अब नये भर्ती होंगे उन कर्मचारियों को कितना नुकसान होगा, यह मैं रखना चाहूंगा। अगर आज कोई स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड में भर्ती होना चाहे तो पहले जहां स्टेनोग्राफर थर्ड ग्रेड को १२० रु० पे, ४५ रु० डी०ए० इस प्रकार १६५) रुपये मिलते थे और सेक्रेटेरिएट में १८५) रु० मिलते थे और अब जो राजस्थान सरकार ने राजस्थान के कर्मचारियों को रिवाइज्ड पे स्केल दिया है उसमें नये भर्ती होने वाले थर्ड ग्रेड स्टेनोग्राफर को १५०) रुपया मिलेगा। कहां १८५), कहां १६५) और कहां १५०)। इसी तरह सेक्रेटेरिएट के और असेम्बली सेक्रेटेरिएट के एल० डी० सी० को ६० रु० पे, ३५ डी० ए० और १५ स्पेशल पे कुल मिलाकर ११०) रु० मिलते थे पर अब इस रिविजन ऑफ पे स्केल्स से १००) रु० ही मिलेगा....

**श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : धोखा ही धोखा है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह तो मैंने कम्पेरेटिव टेबल बनाई है। अगर वित्त मंत्रीजी साहस रखते हों तो कह दें कि गलत हैं। साहस नहीं रखते तो सदन को समझायें कि किस तरह उन्होंने कर्मचारियों को राहत दी है।

राजस्थान के वे कर्मचारी जिनकी तनख्वाह बढ़ी नहीं वे किसी भी तरह संतोष कर सकते हैं पर वित्त मंत्रीजी से मैं पूछना चाहूंगा कि जिनकी तनख्वाहें कम की हैं वे और अब जो राजस्थान में नये भर्ती होंगे उनकी तनख्वाह कम की हैं वे कैसे संतोष करेंगे और ऐसी हालत में आप कैसे कह सकते हैं कि हमने राजस्थान के कर्मचारियों को राहत पहुंचाई है। मैं तो यह कहूंगा कि अल्पवैतनिक कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ने धोखे में डाला है और अखबारों में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ढिंढोरा पीट रखा है कि हमने राजस्थान के अल्पवैतनिक कर्मचारियों को राहत पहुंचाई है, उनका डीअरनेस अलाउन्स पे में मर्ज कर दिया है।

रावत कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि सेंट्रल पे कमीशन बना, द्वितीय पे कमिशन बना उसकी सिफारिश के माफिक भत्ता तनख्वाह में मिला दें यदि किसी को २२५) तनख्वाह मिलती थी और ४५) डी० ए० मिलता था तो उसकी २७०) तनख्वाह कर दी और आप कहते हैं कि हमने तनख्वाह बढ़ा दी, डी० ए० को मर्ज कर दिया तनख्वाह में। पर यह बड़ी गहराई से सोचने का सवाल है। २२५ रु० तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी इन्कम टैक्स नहीं देता था। He was not liable to income-tax assessment पर राजस्थान सरकार ने महंगाई भत्ता मिला कर एक तरफ घोषणा करके तनख्वाह बढ़ा दी, पर उधर उसकी इस तरह महंगाई भत्ते को तनख्वाह में मर्ज करके इन्कम टैक्स पे करने के लिए लाएबल बना दिया है। महंगाई भत्ता पे में मर्ज करने से उसको इन्कम टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे उसका हाउस रेंट कम होगा, २२५) रु० तनख्वाह पाने वाले को १२) रुपया हाउस रेंट मिलता था उसका महंगाई भत्ता मिला कर २६५) तनख्वाह कर दी है तो अब उसको हाउस रेंट १२) रुपये के स्थान पर ९) रुपया ही मिलेगा, टी० ए० रूल्स के अनुसार उसके टी० ए० में कटौती हो गई। इस तरह से सरकार ने इस तरह रिवाइज्ड पे स्केल से उसको नुकसान पहुंचाया है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने और इस कमेटी ने राजस्थान के अल्पवैतनिक कर्मचारियों के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया है, चालाकी की है, उनके गले पर इस तरह से छुरी फेरी है। इनको मारना ही था तो अच्छा होता कि इनका झटका कर देते जिस तरह कि वित्त मंत्रीजी ने एकोनोमिक कमेटी की सिफारिश पर इकोनोमिक कट करके कई लोगों को सरप्लस घोषित करके उनका झटका किया है। आज वे रोज एम्प्लोयमेंट एक्सचेंज कमेटी के ऑफिस में चक्कर लगाते हैं; उसी तरह इन अल्पवैतनिक कर्मचारियों का झटका कर देते तो अच्छा था। पर यहां वित्त मंत्रीजी ने हलाल किया है। जिस धर्म को वे मानने वाले हैं उस धर्म में इसकी व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप हलाल क्यों करते हैं, झटका कर दीजिये।

लो पेड कर्मचारी राहत के लिये गये थे, पर उन गरीब कर्मचारियों को पता नहीं कि एक आदमी एक बकरी को मार रहा था तो वह बकरी डर कर ब्रह्मा के पास गई और शिकायत की कि मुझे यह आदमी मारना चाहता है, ब्रह्मा ने भी बकरी को देखकर कहा कि तुझे ताजा देख कर मेरे मुंह में भी पानी आता है कि मैं तेरा मांस खाऊं। तो उसी तरह राजस्थान सरकार ने इन लोगों की गरीब हालत को देख कर जो तनख्वाह बढ़ाने गये थे, रावत कमेटी ने सिफारिश की है, उस आधार पर सरकार ने कहा कि तुम आ गये अच्छा हुआ, तुम्हारे गले पर हम छुरी चलायेंगे और जो मांस मिलेगा उससे पेट भरेंगे। तो अल्पवैतनिक सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह में कमी करके आर० ए० एस०, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० ऑफिसर्स की तनख्वाह बढ़ा दी...

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद): वैसे हमेशा मांग करते हैं कि खर्चा घटाने की तरकीब की जाय और जब ऐसा करते हैं तो इस तरह से खिलाफत की जाती है. 'चित भी मेरी पुट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का'।

**श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): मंत्री महोदयों की तनख्वाह में कटौती की जाय।

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर): और राजाओं की ?

**एक माननीय सदस्य**: वह भी की जाय।

**श्री कुमारानन्द** (ब्यावर): प्रिवी पर्स में ?

**एक माननीय सदस्य**: वह भी की जाय।

**श्री अध्यक्ष**: Order! Order please!

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस कमेटी ने रिविजन ऑफ पे स्केल्स किया है उसमें अन्त में जाकर जितने आर० ए० एस० ऑफिसर्स हैं, आई० पी० एस० ऑफिसर्स हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके लिये नई नई व्यवस्था की है, उनकी तनख्वाह में १०० पर्सेंट वृद्धि हो गई है। ४०० के ग्रेड में थे तो ६०० कर दिये, ६०० के ग्रेड में थे तो १२०० कर दिये। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बचत का कहा; ठीक है, हम नहीं कहते कि आप बचत न करें, बचत आप करें पर बचत करने का तरीका यह नहीं है। बचत करना चाहते हैं तो क्या जरूरत है आई० ए० एस० के लिये सिलेक्शन ग्रेड की। आई० ए० एस० के लिये आपने सिलेक्शन ग्रेड, सुपरटाइम्स ग्रेड बनाये हैं, १८००) से २२००) रु. तनख्वाह दी। आप कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो क्यों रखते हैं सुपरटाइम्स स्केल ऑफिसर, सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर। आप लिख दीजिये भारत सरकार से कि हमारे पास पैसा नहीं है हम, सेलेक्शन ग्रेड ऑफिसर और सुपरटाइम स्केल ऑफिसर नहीं रख सकते। पर आप कहते हैं इनको ५००) रुपया स्पेशल पे मिलेगी, १८००) से काम नहीं चला तो २२००) कर दिये। किसी का १८००) पर ग्रेड खत्म हो गया तो उनका सुपरटाइम की स्केल कर दिया। लिखिये आप भारत सरकार को कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इनको नहीं रख सकते। अगर मंत्री महोदय को आवश्यकता पड़ेगी तो इधर बैठने वाले आपके साथ दिल्ली भी चलने को तैयार हैं। केन्द्रीय सरकार को लिख दें कि हमारे पास पैसा नहीं है।

(३ म. प.)

लेकिन केन्द्रीय सरकार को लिखने की हिम्मत नहीं, आई. ए. एस. के कोटे में किसी प्रकार कटौती की जाय इसकी हिम्मत नहीं. सुपरटाइम-स्केल और सिलेक्शन ग्रेड के ऑफिसर्स नहीं चाहिये और उनको हटाया जाय इसकी हिम्मत नहीं। सारे प्रशासन पर आई. ए. एस. ऑफिसर्स हावी हैं, इन आई. ए. एस. ऑफिसर्स का एक विलग है, इनकी इन्ट्रीग है और उनसे जो डाउन के कर्मचारी हैं उनको जितना चाहें सप्रेस किया जाय। वे भूखे रहें, नंगे रहें और आगे न बढ़ सकें, उनके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

स्टेन्डर्ड का मुकाबला न कर सकें; नहीं तो उनके स्टेन्डर्ड तक बढ़ जावेंगे और हमारी बराबरी में आ जावेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस कमेटी का आधार क्या है? कमेटी लिखती है कि आखरी फैसला करना पड़ेगा। जहां पिओन्स की बात आती है तो कहते हैं कि आज हम को चपरासी अधिक मात्रा में मिल सकते हैं। चपरासी ज्यादा मात्रा में मिल सकते हैं, चपरासी की कीमत कम है। अधिक मात्रा में मंत्री मिलते हैं उनकी तनख्वाह भी कम कर दीजिये। उधर के बैठने वाले ५००) में ही उधर मंत्रि-मंडल में बैठने के लिए तैयार हैं, सब ही तैयार हो जावेंगे, डिमान्ड और सप्लाई है मुख्य मंत्रीजी को और वित्त मंत्रीजी को चाहिये कि उनको मंत्रि-मंडल में ले लें। एवेलेबिलिटी में चपरासी ज्यादा मिलते हैं, किन्तु यहां तो मंत्री ज्यादा है, कम में आने के लिए तैयार हैं।

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा ख्याल है कि मुझे थोड़ा बहुत वक्त दे दें, समझ आ जाय उनको, मैं उनको, समझा दूं। आप तो मुफ्त में आने के लिए तैयार हो, आपकी क्या बात है।

( शोरगुल )

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने तो यहां तक भी पत्र लिखा है कि २००) रु० और दूंगा कांग्रेस फन्ड में अगर मिनिस्ट्री में ले लें।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मेरे से भी अधिक दे देंगे आप।

**श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): सदन का टाइम इस तरह से क्यों खराब किया जा रहा है ?

**श्री रघुनाथ विश्नोई** ( सांचोर ) : सुनने का सेन्स रखें तो सही, शायद अच्छी बात हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please ! आप प्रारम्भ रखें।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह विश्वास दिला दूं कि उनको किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं रखना चाहिये कि उनका नाम मंत्री-मंडल में वहां आने वाला है, उनको कोई चान्स नहीं मिलने वाला है, वहां तो ऐसे लोग बैठे हैं जिनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आपकी जानकारी के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि यह स्थिति आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। आपकी और मेरी पोजिशन में क्या फर्क है ? मैं आपको किस्सा सुनाऊं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : थोड़ा सा इन्टरप्ट कर ही दिया। वे तो किस्सा नहीं सुना सके हैं और इजाजत हो तो मैं एक किस्सा सुना दूं। एक बार ऐसा हुआ उपाध्यक्ष महोदय, कि कोई एक सज्जन थे...

**श्री निरंजननाथ आचार्य** ( उप-मन्त्री, शिक्षा): ज्वालाप्रसाद जी से सुन चुके हैं और सुना सुनाया किस्सा सुना रहे हैं।

Page No.77



**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं निवेदन कर दूं। एक सज्जन थे। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, और माननीय सदस्यों को इसको सुन कर सब ही गलतफहमी दूर हो जायगी। उनके एक पुत्री थी। वह उनको घर पर बहुत ही परेशान करती थी। जब वह बहुत ही परेशान करती थी तो उन सज्जन को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे कि मैं तुम से प्रेम नहीं करता। तेरी शादी एक गधे के साथ कर दूंगा।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : यह तो सुनाया हुआ किस्सा है।

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order !!

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तो क्या हुआ....

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मन्त्री) : हाउस में कुत्ते और कुत्तियों के अलिफ लैला के किस्से शुरू हो गये हैं। एक बड़ा सीरियस सबजेक्ट हाउस के सामने है उसको इस मजाक में बदलना जरा उपयुक्त न होगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : बदलने का प्रश्न नहीं है। उस किस्से के बाद उससे भी ज्यादा सीरियसनेस पैदा कर दूंगा और आपके ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं उनमें भी कमी नहीं आयेगी।

उन गधों का टोला जा रहा था उस मकान के नीचे से। जब पिता ने यह बात पुत्री से कही थी तो उनमें से एक गधे ने यह बात सुनी ...

( शोरगुल )

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : सुना सुनाया किस्सा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मैं एक कुत्ते का किस्सा सुनाऊंगा......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तो उस मकान के नीचे ही गधा बैठ गया। न तो वह खाना खाये और न ही वह कुछ ले। दो-तीन दिन निकल गये। दूसरे गधे आये, कहने लगे कि खाना नहीं खाया, तुम दुबले हो गये हो, खाना खाओ। वह कहने लगा कि यहां पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं मेरे लिये, उसने सुना था कि वह व्यक्ति उसकी लड़की की शादी गधे के साथ कर देगा। तो वैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उनके लिए वहां मंत्रि-मंडल में आने को नहीं है।

आपके सामने अल्पवैतनिक कर्मचारियों का सवाल है। इस कमेटी ने निर्णय लिये हैं तनख्वाहों के लिये, हाउस रेन्ट के लिए और सिटी अलाउन्स के लिए, असिस्टेन्स, टी० ए० और प्रमोशन्स के लिए सिफारिश करने का सवाल था। इस कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि राज्य में १७० हजार अल्प-वैतनिक कर्मचारी हैं और यदि उनकी तनख्वाहों में ५) रु० की भी वृद्धि करदी जाय तो राज्य के कोष पर १,०२ लाख की वृद्धि हो जायगी। इस कारण इस कमेटी में ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे कि इससे क्या वित्तिय स्थिति हो जायगी यह देखें, फाइनेन्स सेक्रेटरी मौजूद थे, यह निधि अधिक हो जायगी इसलिए अल्पवैतनिक कर्मचारियों को राहत देने का कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिससे राज्य के कोष पर अधिक वृद्धि भी न हो और दुनिया को यह दिखाने के लिए मौका हो जाय कि हमने हमारे अल्पवैतनिक कर्मचारियों को इतनी बड़ी राहत दी है। किस प्रकार अल्पवैतनिक कर्मचारियों को राहत दी है यह मैंने निवेदन किया था। मैं यह जानता हूं कि वित्त मंत्री महोदय राहत देने के लिए यही दलील देंगे कि लोगों को राहत मिलेगी, मैक्सिमम पर पहुंचेंगे। कुछ केसेज में हो सकता है कि कुछ कर्मचारियों को फायदा हुआ हो, लेकिन बहुत कम। बहुत ही कम ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं कि उनको कोई थोड़ी सी राहत मिल गई हो लेकिन अधिकांशतः कुछ भी नहीं मिला बल्कि जो मिलता था उसमें से भी पास से गया है। कमेटी ने ३० स्केल प्रेस्क्राइब की हैं उनमें से मैंने आप के सामने १८ का हिसाब रखा है। दस बारह स्केल ऐसी हो सकती हैं कर्मचारियों के लिए जिनको रिटायरमेन्ट के वक्त पेन्शन के वक्त राहत मिलेगी। माननीय वित्त मंत्री महोदय सदन में खड़े होकर कहेंगे कि रिटायरमेन्ट पर मिलेगी। लेकिन मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आप रिटायरमेन्ट के वक्त लाभ देना चाहते हैं किन्तु आज छोटे २ कर्मचारी आज इस भयंकर मंहगाई से इतने दबे हुए हैं कि वे इस मंहगाई के कारण जिन्दा भी रह सकेंगे या नहीं, उनको रिटायरमेन्ट जल्दी ही आप दे रहे हैं इस मंहगाई के कारण उन कर्मचारियों का रिटायरमेन्ट तो चार वर्ष में ही होने वाला है, रिटायरमेन्ट ही उनका दो चार वर्ष में दुनिया से होने वाला है...

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : ऐसा खतरा तो प्रतीत नहीं होता है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप तो उनके खिलाफ बोलने वालों में हैं। आपको खतरा क्यों होने लगा? खतरा तो उनको है।

इस रावत कमेटी ने मद्रास पे कमीशन और सेन्ट्रल पे कमीशन को आधार मान कर अपनी रिपोर्ट दी है। मद्रास का उदाहरण देखा। रावत कमेटी ने लिखा है। इसके लिए २५ साल स्प्रेड ओवर किया है ग्रेड्स को। २५) साल में इन्क्रीमेन्ट्स करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मद्रास पे कमीशन ने और सेन्ट्रल पे कमीशन ने सारे इन्क्रीमेन्ट्स किये हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने इमिडियेट रिलीफ अपने कर्मचारियों को दिया है। उन्होंने जो इन्क्रीमेन्ट्स की व्यवस्था की है उसके आधार पर उन्होंने रिलीफ दिया है, लेकिन हमने जो यहां उनकी रिपोर्ट्स को अपनाया है रिलीफ देने के बजाय यहां यह किया गया है कि जो ग्रेड्स बने उससे कई कर्मचारियों की ज्यादातर कर्मचारियों की इन्क्रीमेन्ट्स की रेट कम हो जायगी, मिलने के बनिस्बत उनकी तनख्वाहों में और कटेगा। रिटायरमेन्ट और पेन्शन पर क्या होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज की जो स्थिति है वह यह है कि जिस प्रकार हमारे कर्मचारियों की ग्रेड्स का रिवीजन किया गया है उससे राहत मिलने का प्रश्न ही नहीं होता है। यह निश्चित है कि इस रिविजन से कर्मचारियों को हाउस रेन्ट कम मिलेगा, इन्कम टैक्स अधिक कटेगा, रेट ऑफ इन्क्रीमेन्ट्स कम हो गये हैं और इक्यो-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रेन्स और प्रिमियम, राजस्थान स्टेट एम्प्लोइज इंश्योरेन्स के खाते में कटना शुरू हो गया है राज्य के कर्मचारी जितने टोटल इमोल्यूमेन्ट्स अपने घर ले जाते थे उनकी उस मात्रा में कमी हो गई है, जो पे कई साल पहले लिया करते थे वही आज की स्थिति में ले जा रहे हैं और ऊपर से मंहगाई ने उनकी कमर ही तोड़ दी है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो व्यवस्थायें राज्य सरकार ने की हैं वे अल्पवैतनिक कर्मचारियों के हित में नहीं हैं। आपने सुपर टाइम स्केल और सलेक्शन ग्रेड सरीखों की तनख्वाहों में बड़ा फर्क कर दिया है और अल्पवैतनिक कर्मचारियों के बारे में खयाल नहीं किया है। मंहगाई का भूत बढ़ रहा है। केन्द्रीय कर्मचारियों को आज जो राजस्थान में काम करते हैं उनको कितनी तनख्वाह मिलती है और राजस्थान के यू० डी० सी० और एल० डी० सी० को कितनी मिलती है। यही नहीं अजमेर स्टेट के कर्मचारी बहुत अधिक संख्या में ऐसे हैं जिनको राजस्थान के कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलता है। केन्द्रीय कर्मचारी को १२५) रु० से स्टार्ट करते हैं और राजस्थान में काम करने वाले को ६०),७०) में। किस साइन्टिफिक बेसिस पर और रेशनेलाइजेशन के आधार पर कमेटी ने अपनी ये मान्यतायें बनायी हैं और सरकार ने उसको किस प्रकार स्वीकार किया है। क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को २२) में गेहूं मिलते हैं और राजस्थान के कर्मचारियों को १४)रु० में मिलते हैं? गेहूं का भाव दोनों के लिए समान, या तो यह कर दीजिये कि सरकारी कर्मचारियों को चीजें सस्ती मिलेंगी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय कर्मचारियों को जो दाम देने पड़ते हैं वे ही राजस्थान के कर्मचारियों को देने पड़ते हैं। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस आधार पर भारत के एकीकरण की बातें कर रहे हैं। जो एकता की बातें करते हैं मैं समझता हूं हमारे राजस्थान का जो प्रशासन है उसमें जो खराबियां हैं वे तब तक दूर नहीं हो सकतीं जब तक हम उनकी तनख्वाह सेन्ट्रल कर्मचारियों के स्तर पर नहीं लायेंगे। स्टेट के कर्मचारियों में जो असन्तोष व्याप्त है वह असन्तोष जब तक दूर नहीं हो जाता तब तक मैं समझता हूं राज्य कर्मचारी कभी भी सही ढंग से काम नहीं कर सकेंगे।

रावत कमेटी ने जहां अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि करने, उनको राहत देने से इन्कार किया वहां जो छुट्टियां कर्मचारियों को ज्यादा मिलती थीं उनमें काफी कमी कर दी गई और अवर्स ऑफ वर्क बढ़ा दिये गये। काम आप ज्यादा लेना चाहते हैं और छुट्टियां कम करना चाहते हैं और उतनी तनख्वाह देना नहीं चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, रावत कमेटी ने जो आधार इस रिपोर्ट का माना है वह सन् १९४९ के बेसिक इन्डेक्स को आधार बनाया है। उसके बाद इन तेरह सालों में कितना भारी अन्तर आया है, कितनी मूल्यों में वृद्धि हुई है वह देखने की बात है। सन् १९४९ में जहां गेहूं का भाव १०) रुपया मन था वहां आज १८) और २०) रुपया मन है। क्या राजस्थान सरकार ने इस आधार पर कभी विचार किया है? रावत कमेटी ने इतनी सारी समस्याओं पर विचार नहीं किया कि हमें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किस आधार पर बढ़ाना चाहिए। उन्होंने न महंगाई को आधार माना है और न इकोनोमी को। आज इन दस वर्षों में हिन्दुस्तान के अन्दर चीजों के भाव बढ़े हैं तीन सौ पर्सेंट चार सौ पर्सेंट। तो उसी के अनुसार आप तनख्वाओं में वृद्धि क्यों नहीं करते। आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, इसके लिये सरकार को चाहिए वह किसी भी प्रकार से व्यवस्था करे। राज्य का प्रशासन जिन कर्मचारियों के आधार पर चलता है उनका आपने पेट पूरा भरा नहीं, उनकी शिकायतें किसी भी प्रकार से दूर होने वाली नहीं। इसी कारण शायद हमारे गृह मन्त्री महोदय को चूरू में यह कहना पड़ा कि पुलिस का कोई कर्मचारी चालीस रुपये की रिश्वत लेता है तो वे उसको बुरा नहीं मानते। क्योंकि तनख्वाह कम है इसलिये उनको इतनी छूट देनी पड़ी।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : इसका कँट्राडिक्शन भी निकल गया है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : माननीय सदस्य सीरियस एलीगेशन लगा रहे हैं इसलिए मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि गृह मन्त्री जब आयें तभी एलीगेशन्स सामने आने चाहियें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : पत्रों में आपने पढ़ा होगा इसका कन्ट्राडिक्शन भी निकल गया है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : जनसंघ के नेता, श्री भैरोंसिंहजी, ने कहा था कि सदन में जब सदस्य जिसके खिलाफ कोई एलीगेशन लगाना हो वह मौजूदा हो तभी एलीगेशन लगाये जाने चाहियें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): उनको बुलवा लिया जाय, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा था उसका मतलब यह नहीं था कि होम मिनिस्टर साहब गैर हाजिर रहें। उनकी ड्यूटी है कि जब तक सदन की कार्यवाही चलती है वे सदन में बैठकर सुनते रहें, उसमें उनके सम्बन्ध में भी जो कहा जाता है उसको भी वे सुनें। अगर मुझे आपके खिलाफ कुछ कहना है, अगर आप उसको सुनना न चाहेंगे तो जान-बूझकर आप उसको अवोइड करना चाहेंगे। हाउस किसी की गैर हाजिरी का इन्तजार नहीं कर सकता। कोई गैर हाजिर रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि मेम्बर अपने राइट्स को एक्सरसाइज ही न करें।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, शिक्षा): The allegations of a defamatory or incriminatory nature against a member of the House can only be made by a previous notice to the Speaker or to the member concerned as provided in rule 273, so that the member may prepare himself and investigate in to the matter to reply on the same ground. Therefore, this point cannot be raised at this stage, Sir.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा था, मैंने तो यह केजुअल रेफरेन्स दिया था। गृह मंत्री महोदय, रिश्वत लेते हैं, यह मैं नहीं कहता; न मेरे पास कोई सबूत है। सैकड़ों लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते होंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो भी वे कहें उसमें रूल २७३ का ध्यान रखेंगे और ऐसी बात नहीं कहेंगे जिसको सिद्ध करना पड़े। भाषण के दौरान में सरसरी तौर पर रेफरेन्स दे सकते हैं लेकिन किसी पर पोइन्टेड लान्छन न लगाया जाय।

**श्री जयकिशन** (थानागाजी): जो बातें माननीय सदस्य ने गृह मंत्री के लिये कहीं वे प्रोसीडिंग्स से निकाल दी जायं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** आज राजस्थान के अन्दर जो कुछ भी शिकायतें करते हैं और सदन के सामने जो भी माननीय सदस्य तथ्य रखते हैं उन तथ्यों की ओर से आंखे मूंदकर नहीं चल सकते। राजस्थान सरकार चाहती है कि हमारे यहां से भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिट जाये, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के कर्मचारियों के वेतन स्तर में और भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतन स्तर में इतना भारी अन्तर है, अगर उसको दूर नहीं किया तो आप यह मानकर चलिये कि यह जो भ्रष्टाचार पनप रहा है यह मानव कमजोरी है कि जब उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाना व्यर्थ है। इसलिये मैं समझता हूं पे स्केल्स के बारे में, वेतन शृंखला के बारे में वृद्धि उचित है। राज्य के अल्प वेतन भोगी कर्मचारी ही वास्तव में राज्य का शासन भार चलाते हैं, वित्त मंत्री नहीं चलाते, मंत्रिमंडल नहीं चलाता। मंत्रिमंडल तो केवल नीति का निर्धारण करता है, लेकिन जहां कागजों को घसीट कर उन पर नोट लिखना, उनके बारे में सजेशन्स देना यह सब छोटे कर्मचारी लोग करते हैं। वे बिचारे कानून देखकर निकालते हैं और राज्य सरकार के सामने अनियमितताओं को ध्यान में लाते हैं।

इसी के सन्दर्भ में, उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। एक फैसला केबीनेट स्तर पर हो जाता है कि अमुक आदमी को इस प्रकार का अलॉटमेन्ट कर दिया जाय। केबीनेट सेक्रेटरी के उस पर दस्तखत हो गये, डिप्टी सेक्रेटरी के दस्तखत हो गये, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के दस्तखत हो गये, लेकिन जब वह कागज क्लर्क के पास आया तो उस क्लर्क ने उस पर लिखा कि इस प्रकार का निर्णय केबीनेट नहीं ले सकती; यह फैसला है वह कानून की धारा के खिलाफ है। जब वह कागज असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के पास गया तो उसने उस पर 'यस' लिख दिया। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया उसने भी 'यस' लिख दिया और जब केबीनेट के सामने गया उसने भी उस पर 'यस' कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जिनको आप दो दो हजार रुपया तनख्वाह देते हैं, जहां केबीनेट सेक्रेटरीज आई० ए० एस० अधिकारी होते हैं वे किस प्रकार से काम करते हैं उसका नमूना मैंने आपको बताया।

मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जितने भी आपने कलेक्टर्स लगाये हैं उनको कौनसी ड्यूटीज दी हैं। आई० ए० एस० ऑफिसर को जहां आप कलेक्टर बनाते हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि क्या इनको इतनी ऊंची तनख्वाहें देना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वाजिब है। हमारे यहां के कलेक्टर्स, दुर्भाग्य से कहिये, केसेज की भी सुनवाई नहीं करते केसेज की सुनवाई एस०डी०एम० करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिये एस. डी. एम. अलग है। कहा यह भी गया कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के आधार पर कलेक्टर्स पर ज्यादा जिम्मेदारी आयी है कि वह डेवलपमेंट के काम को देखता है। क्या राज्य सरकार ने डिप्टी डेवलपमेंट ऑफिसर्स की सब जगह व्यवस्था नहीं की है? मुकदमे सुनने के लिये ए० डी० एम० अलग, प्रशासन के लिये ए० डी० एम० अलग और डेवलपमेंट के काम के लिये डिप्टी डेवलपमेंट ऑफिसर्स अलग। तो ऐसी हालत में मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा फिर कलेक्टर के पास क्या काम रहता है? एस० डी० एम० रिपोर्ट देता है कि अमुक जगह की गोचर भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया है. साहब की सेवा में प्रस्तुत है। उस पर कर दिया 'यस'। कागज गये। अनेक जगह एस० डी० एम० साहब ने रिपोर्ट की कि अमुक जगह आबादी में आ गई है, इसलिये उसे आबादी में परिवर्तित करने की आज्ञा दी जावे। कागज सेवा में श्रीमान् कलेक्टर साहब प्रस्तुत है। कलेक्टर साहब लिखते हैं 'यस'। अब 'यस' करने के सिवाय दूसरा काम जिनके पास नहीं है, आप उनको क्यों तरजीह दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि अब राजस्थान में आज जितने जिला कलेक्टर्स आई० ए० एस० ग्रेड के आपने बनाये हैं और जिनको डेढ़-दो हजार की तनख्वाह आप देते हैं, कौनसी जिम्मेदारी उन पर डाली है आपने? आज राजस्थान का प्रशासन कर्मचारियों के आधार पर चलता है, जिसका सबूत मैंने आपको एक नहीं अनेकों दिये हैं और दे सकता हूं, तो जिन पर कोई जिम्मेदारी नहीं, जो केवल 'यस मैन' हैं, उनको तो आप बढ़ावा देते हैं पर जो वास्तव में आपका शासन चला रहे हैं उनका आपने गला ही घोटा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा.........

**श्री बालकृष्ण कौल** : क्या इससे यह समझा जावे कि सरकार की जिम्मेदारी का काम कलेक्टर पर नहीं है, चपरासी पर है?

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : वह तो जैसा सरकार का और सरकारी मिनिस्टरों का दिमाग काम करता है, वह चपरासी की तरह करता है। अगर चपरासी के साथ जैसी सहानुभूति होनी चाहिए वह नहीं तो।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस रावत कमेटी की रिपोर्ट में जो बड़ी भारी दलील दी है कि बाजार में मजदूर की क्या आमदनी है और इसके आधार पर फैसला किया है कि जब बाहर काम करने वाले मजदूर को ४५) रु० मिलता है तो सरकारी चपरासी को इससे कुछ थोड़ा सा अधिक दे दें। मैं कहूँगा कि राजस्थान सरकार के अनेकों कर्मचारी ऐसे हैं जो अगर प्राइवेट इन्टरप्राइज में जाएं या जाते तो बड़ी भारी तनख्वाहें मिलती या मिल सकती है। इसलिये बाहर के आधार पर फैसला करना गलत है।

पहले तो यह है कि बाहर की तनख्वाहें अगर सरकार देखने जाए तो ज्यादा है। राजस्थान सरकार को चाहिए तो यह था

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

कि वह आदर्श एम्प्लोयर के रूप में सामने आती और उदाहरण प्रस्तुत करती कि हमारे यहां सर्विस करने वालों की तनखाहें बहुत एट्रैक्टिव हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इस कमेटी ने पूरे मुद्दों पर विचार नहीं किया । आज सस्पेन्शन में जाने वाले की क्या तनख्वाह हो यह तै नहीं किया । क्या कमेटी ने यह विचार किया जो मुअत्तिल है, काम नहीं करता, पर घर में बाल बच्चों को तो उसे बराबर खिलाना है, उसकी तनख्वाह में कितनी वृद्धि होनी चाहिये । सस्पेन्शन पीरियड में है उनको सबस्टैन्शियल अलाउन्स मिलता है। तनख्वाह नहीं मिलती । अब सस्पेन्शन में जाने वालों की भी संख्या कम नहीं है । बड़े बड़े अफसरों की क्लिक और इन्ट्रीग होती है जिसके आधार पर छोटे छोटे कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया जाता है । चपरासी, सेक्रेटेरियट का आमीन, कान्स्टेबल कई मुअत्तिल पड़े हैं । बड़े बड़े अफसर मुअत्तिल इनकी तरह नहीं होते । पहले तो होते नहीं, होते भी हैं यदा कदा तो बहुत कम, नगण्य से । सरकार ने कानून बनाया है कि इनका फैसला छः महीने में होना चाहिये । पर चार चार और छः छः साल में भी नहीं होते। किन्हीं केसेज में तो आठ आठ साल हो गये पर फैसला नहीं होता । और उनकी तनख्वाह अगर ६०) रुपया है तो सब्स्टेन्शियल पे क्या मिलती है? १५) रु० क्या सरकार यह चाहती है कि वह और उसका परिवार इस १५) रु० में गुजारा करें । मैं पूछना चाहूंगा । हाई कोर्ट का फैसला हुआ पुलिस के कर्मचारियों के बारे में । किस आधार पर आपने मुअत्तिल किया था नान–गजेटेड कर्मचारियों को यूनियन के आधार पर । पुलिस अधिकारियों ने जिन्होंने खुद ने अपना संघ और संस्था बना रखी है । एसोसियेशन बना रखी है । आई० पी० एस० की बना रखी है । ये बना सकते हैं पर छोटे कर्मचारीगण नहीं बना सकते । इस आधार पर मुअत्तिल कर देती है और इसके बाद कहती है कि आपको १।४ अलाउन्स मिलेगा । अब बताइये कोई भी अवैतनिक कर्मचारी जिसको ६०) तनख्वाह मिलती है मुअत्तिली के १।४ अलाउन्स में किस तरह गुजारा कर सकता है और उस हालत में और भी दिक्कत है जब कि वह मुअत्तिली उसकी सालों चलती है । उस कमेटी को विचार करना चाहिये था इस पर । अगर वह जीत जाता है और उसे रिइन्स्टेट किया जाता है तो उस सारे पीरियड की तनख्वाह उसको पूरी मिलनी चाहिए, पर इसमें भी आज डिस्क्रेशन है सरकार को कि वह दे या न दे । तो इस सस्पेन्शन के बारे में इस कमेटी को विचार करके कोई न्याय संगत व्यवस्था करनी चाहिए थी वह नहीं की इसमें ।

एरियर्स के बारे में भी इसने विचार नहीं किया । शिक्षा के उप-मन्त्री भी बैठे हैं। उनकी जानकारी में है आज राजस्थान के छोटे छोटे शिक्षक जिनको साठ सत्तर रुपये तनख्वाह के मिलते हैं आज हजारों की संख्या में हैं कि जिनको काफी अरसे से तनख्वाह नहीं मिली है जिनमें कुल मिलाकर लगभग २२ लाख रुपया सरकार में बकाया है । ६ लाख जयपुर जिले में बकाया है और चार चार छः छः साल से बकाया है । इस पर कमेटी ने विचार नहीं किया ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डॉक्टरों का सवाल आया। उनको भी तनख्वाह नहीं मिलती। एक तरफ डॉक्टरों की कमी बताती है सरकार। दूसरी तरफ जितने मिलते हैं उनको समय पर तनख्वाह नहीं देती, आठ आठ महीनों तक तनख्वाह नहीं देती।

अजमेर का इन्टीग्रेशन हुआ। सर्विसेज के मामले को लेकर अजमेर में भूख हड़ताल की थी। उनमें छोटे छोटे कर्मचारी लोग थे। हमारे माननीय वित्त मन्त्रीजी कर्मचारियों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते हैं। वे भूख हड़ताल तक कर बैठते हैं। जब वे इन मामलों पर भूख हड़ताल तक कर सकते हैं तो थोड़ी क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर इन मामलों में भी वे सामने आते और क्या वे इन मामलों पर भूख हड़ताल आज नहीं कर सकते? पर इसके पीछे राज कुछ और था। उन्होंने उस समय भूख हड़ताल इसलिये की थी कि वे शायद इससे अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। उनकी सहानुभूति प्राप्त करके शायद वे आने वाले ६२ के इलेक्शन जीतना चाहते थे। आज वही अजमेर के कर्मचारियों के लिये, छोटों के लिये भूख हड़ताल करने वाले मन्त्री महोदय इस कुर्सी तक पहुंच कर उन्हीं कर्मचारियों पर, उन्हीं छोटे छोटे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों पर छुरी फेर रहे हैं। उन्होंने इनका ही गला काटा है। मैं कहूंगा तुमसे, विचार करो उनकी समस्याओं पर। इस तरह हंसने से काम नहीं चलेगा। इससे बड़ा अपयश होगा। आज राजस्थान में अवैतनिक कर्मचारियों की हालत खराब है। उनको सुविधाएं नहीं हैं और रावत कमेटी के आधार पर जो फैसला लिया गया है वह गलत है इसलिये कि इस कमेटी में जितने भी अधिकारी मेम्बर थे वे सब आई०ए०एस० कैडर के थे। उनके सामने तो केवल अपना स्वार्थ प्रमुख था। अपने लिये और आर०ए०एस० के लिये तो जो उन्होंने व्यवस्थाएं कीं वे ज्यादा लाभकारी हैं। उनको इन्क्रीमेंट भी ज्यादा मिला है, सुविधाएं भी ज्यादा मिली हैं, बजाय छोटों के।

अन्त में मेरी मांग है, मैं मांग करूंगा इस सरकार से कि राजस्थान के अवैतनिक कर्मचारियों में आपके सन् ६१ के नये वेतन स्तरों के तहत घोर असंतोष व्याप्त है। इसके लिये शायद वे आन्दोलन कर सकेंगे या नहीं इसके लिये मैं सलाह नहीं देना चाहूंगा। पर मैं कहूंगा कि आज राजस्थान का बहुमत यहां मौजूद है शासन करने वालों का, प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूद हैं। उनको राजस्थान का शासन चलाना है और शासन कर्मचारियों के आधार पर चलाना है। असंतोष अगर उनमें रहेगा तो कोई योजनाएं आपकी सफल नहीं होंगी। आप चाहे पंचवर्षीय योजना बनावें या चतुर्थवर्षीय योजना बनावें। इसलिये आवश्यक यह है कि इन अल्पवैतनिक कर्मचारियों की हालत पर विचार करें और इसके लिये पुरजोर शब्दों में मैं मांग करूंगा कि उनकी मांगों के औचित्य के बारे में विचार करने के लिये एक पे कमीशन का निर्माण किया जावे और उसमें न आर० ए० एस० के अधिकारी रखे जावें, न आई० ए० एस० वाले रखे जावें। इन दोनों को इसमें बिलकुल कतई नहीं रखा जावें। इसमें जुडीशियरी के या

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हाई कोर्ट के पर्सोनल्स रखे जावें या और कोई उच्च पर्सोनल्स रखे जावें जो राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं करे, बल्कि राइजिंग प्राइसेज पर विचार करें और उनको देखते हुए अवैतनिक कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकताओं पर विचार करे, एक व्यक्ति को मिनिमम कितना मिलना चाहिये इस पर विचार करे।

हमने देश का संविधान स्वीकार किया है। लोकतन्त्रीय विधान स्वीकार किया है तो हमें देश के हर व्यक्ति को, देश के इन राज कर्मचारियों को उनकी मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी देनी होगी, आइडियल एम्पलोयमेंट देने की नीति अपनानी पड़ेगी। इन सारी बातों पर विचार करने के लिए आप एक पे कमीशन बिठावें जो आगे आने वाले एक साल के अन्दर अन्दर सारे अवैतनिक कर्मचारियों की मांगों पर विचार करे सहानुभूतिपूर्वक। उनको सुने, उनके रिप्रैजेन्टेशन को सुने और साथ ही यह भी मैं मांग करूंगा कि जब तक रिपोर्ट वह प्रस्तुत करें तब तक के लिये जो वेतन उनको मिलता है उसका २५ परसेन्ट इन्टेरिम सहायता के रूप में सरकार उनको इमीजिएटली दे। राज्य सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। मैंने जो यह मांग रखी है जो प्रश्न उठाया है, मैं आशा करता हूं कि उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी से आने वाले और दूसरी पार्टियों से आने वाले सभी सदस्य करेंगे और सरकार पर वे इसके लिये दबाव डालेंगे कि इन अवैतनिक कर्मचारियों की हालत पर विचार करने के लिये एक पे कमीशन नियुक्त किया जाय। आज इनकी राजस्थान में संख्या करीब दो सवा दो लाख है जिन पर निर्भर रहने वालों की संख्या परिवार के हिसाब से लगभग दस बारह लाख होती है। उन गरीब अल्पवैतनिक कर्मचारियों के साथ सहानुभूति रखते हुए पे कमीशन नियुक्त करने का और एक साल में अपनी रिपोर्ट देने का और इस पीरियड में उनको २५ परसेन्ट इन्टरिम रिलीफ के तौर पर देने का मेरे प्रस्ताव का पूरा समर्थन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिये उपस्थित करता हूं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपका (श्री भैरोंसिह का) प्रस्ताव है।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री मानिकचन्द सुराणा**: जब वे नहीं बोल रहे हैं तो हमको ही आप बोलने दें।

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: The Hon'ble Member, who has placed the resolution, could assert his right it the very outset.

**श्री उपाध्यक्ष**: We can assert his right now. Later on he will discuss it as any other member.

**श्री मानसिंह महार** (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष...

**श्री मानिकचन्द सुराणा**: माननीय उपाध्यक्ष, कोई टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाय, ताकि सभी पार्टी के लोगों को बोलने का अवसर मिल जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** क्या भैरोंसिंहजी इस पर बोलेंगे अथवा आपको······

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : मैं तो यह चाहता था कि और बोल लें। हम दोनों एक ही पार्टी के साथ साथ बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी व्यवस्था वैसी हो कि बाद में चान्स नहीं दें तो मैं बोल लूंगा।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, शिक्षा) : बाद में चान्स पैदा नहीं होता है। माननीय सदस्य ने इसको मूव किया है।

**श्री भैरोंसिंह** : इस कन्डीशन पर मैं अपना चान्स वेव करने को तैयार हूं कि इस समय दूसरे बोल लें। उसके बाद में मुझे चांस दे दें। उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं समझता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यदि आप बोल लें अभी तो ठीक रहेगा।

**श्री भैरोंसिंह :** जैसी आपकी आज्ञा हो।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाय ताकि सभी लोगों को मौका मिले।

**श्री उपाध्यक्ष** : There should be no time-limit for the movers. Later on every hon. member will just take 15 minutes.

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : इस प्रकार की व्यवस्था दे दी जाय कि दुबारा उन्हीं चीजों का रिपीटिशन नहीं हो।

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने रावत कमेटी के विषय में जो प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया है···

**श्री मुरलीधर व्यास :** जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य नहीं कहिए। जौहरी बाजार क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य कहा जाय तो ठीक रहेगा।

**श्री भैरोंसिंह :** उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले इस कमेटी के प्रावधान पर इस लाइट में विचार करना पड़ेगा कि सरकार ने जिन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स को देकर इस कमेटी की नियुक्ति की है उसके आधार पर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया या नहीं।

( दो माइक खराब हो जाते हैं )

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** Third mike, Sir,

**श्री भैरोंसिंह :** मैं इसको रख लेता हूं। ऐसी हालत में मुझे यह निवेदन करना है कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता, माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं उनसे ऐसा लगता है, इस कमेटी की नियुक्ति हमारी राज्य सरकार ने केवल इसलिए की थी कि विधान सभा के पिछले अधिवेशन में कोस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ा है उसके बारे में जब चर्चा की गई है तो हमारी सरकार ने सब चीज़ों को व्हाइट वाश करने के लिए इस प्रकार की एक कमेटी नियुक्त कर दी जिसकी आड़ में सरकारी कर्मचारियों के असन्तोष को दबाया जा सके। यह बात सही है कि हमारी सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को अपना हथियार बनाया

(श्री भैरोंसिंह)

ग्रौर हथियार बनाकर कर्मचारियों के जिस वर्ग ने भी अपनी अल्पवेतन की शिकायत सरकार से की तो उसको रावत कमेटी की सिफारिश का नाम लेकर दबाने की हमारी सरकार ने चेष्टा की है ।

यदि इस कमेटी की रिपोर्ट को दो भागों में बांट कर देखा जाय तो एक बड़े अधिकारी, वह चाहे आई० ए०एस० या आर० ए० एस० ऑफिसर्स हों वे ग्रौर दूसरे वे छोटे अधिकारी जो सबोर्डिनेट सर्विसेज् के हैं, चाहे मिनिस्टीरियल स्टाफ के हैं । यदि इन दो भागों को बांटकर इसको देखा जाय तो इस कमेटी का सीधा असर नजर आता है कि इस कमेटी में जिन अधिकारियों का आधिपत्य था कमेटी ने उस तबके के लोगों की जिनको कोई उसमें रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं था उन लोगों की अवहेलना करके उनकी कोस्ट के ऊपर बड़े अधिकारियों को प्रोटेक्शन देने की चेष्टा की है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान के सारे कर्मचारियों का मसला हो ग्रौर उस मसले के ऊपर कमेटी केवल सरकार का ही रिप्रेज़ेन्टेशन सुने ग्रौर सरकार के ही आंकड़े के आधार पर अपना निर्णय दे या सरकार जो बात कहे उसको ही एनेलाइज़ करके अपनी रिपोर्ट में उसका समावेश करे । आज तक हिन्दुस्तान भर में इस प्रकार की कमेटी बनी है । भारत सरकार ने भी कई बार पे-कमीशन नियुक्त किये हैं अथवा अन्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्य के लिए पे-कमीशन नियुक्त किये हैं, हमारी सरकार ने इस कमेटी का नाम पे कमीशन नहीं दिया, लेकिन इस कमेटी के आधार पर सारे इस प्रकार के मौकों को दबाने की चेष्टा की है, मैं राजस्थान सरकार के फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहूंगा कि पे स्केल के नेशनेलाइज़ेशन के लिए जिस कमेटी को नियुक्त किया गया है उस कमेटी ने किसी कर्मचारी वर्ग का कोई रिप्रेज़ेन्टेशन सुना नहीं ग्रौर उन्होंने जो वर्ग दबा हुआ है, जो वर्ग अपनी आवाज को सरकार तक नहीं ले जा सकता था, जिनके रिप्रेज़ेन्टेशन का सरकार के पास में कोई उत्तर नहीं था उन लोगों की आवाज को दबा दिया गया । जो लोग किसी प्रकार से कमेटी को इन्फ्लुएन्स कर सकते थे उनके वे सारे के सारे मामले इस कमेटी में समाविष्ट किये गये । इस सारी कमेटी की रिपोर्ट को देखें, चाहे टीचर्स के मामलों को देखें, चाहे पुलिस के सिपाहियों के मामलों को देखें, मैं इनमें हरेक पर नहीं जाकर केवल एक विषय को पॉइन्टेडली माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में टीचर्स के पे स्केल के चेप्टर्स को निकाल कर देख लें ग्रौर उस चेप्टर में यह देखें कि जिन कर्मचारियों को जयपुर स्टेट में जो तनख्वाह मिलती थी, वर्नाक्यूलर फाइनल टीचर्स जो हैं उनके बारे में आपने क्या निर्णय लिया ? बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन कर्मचारियों को जयपुर स्टेट के समय से जो तनख्वाह मिलती थी उस तनख्वाह के अनुसार उनका जो इन्क्रीमेंट हो सकता था उसके आधार पर उनकी तनख्वाह का रेशनेलाइज़ेशन नहीं किया गया है; तो क्या मैं यह समझूं कि आपने यह केवल निर्णय सारे, जो कुछ आपके सामने झगड़े थे उन झगड़ों को दबाने की गरज से लिया । ऐसा नहीं लिया गया तो टोटल इम्प्लोयमेंट्स का हिसाब लगाकर बता दें कि रावत कमेटी की रिपोर्ट के बाद टोटल इमोल्यूमेंट्स ग्रौर टोटल इन्क्रीमेंट्स का जो

(श्री भैरोंसिंह)

एडजस्टमेंट आपने किया है उसके बेसिस पर अल्पवैतनिक कर्मचारियों को सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ता है या बड़े बड़े ऑफिसर्स को अब तक के इन्क्रीमेंट के आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ा। यह इसका डिफेक्ट है। इसको आप देखेंगे तो छोटे कर्मचारियों को इससे फ़ायदा नहीं हुआ। इससे छोटे-मोटे कर्मचारियों का फायदा नहीं हुआ और आपने जिस प्रकार की व्यवस्था करनी चाही उस प्रकार की व्यवस्था कर ली।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता था कि रावत कमेटी की इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा, लेकिन हमारी सरकार ने वैसा नहीं किया और सरकार यह चाहती थी कि एक वर्ष तक कम से कम इस रावत कमेटी के नाम पर चलाया जाय। अब वह चले गये, और बदकिस्मती से जब आपने रावत कमेटी का सारा हवाला दिया है तो उसमें लोगों की इकोनोमिक कन्डीशन्स क्या हैं, इस ओर मैं कहूं कि कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इसमें केवल इस बात का जिक्र किया गया है कि आज इनको यह तनख्वाह मिलती है और अब यह मिलेगी। उसका आधार क्या है? जिन आदमियों को स्पेशल एलाउन्स की सिफारिश की है, जिनके ग्रेड्स को उन्होंने बढ़ाया है, मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इस कमेटी के एक एक पेज को पढ़ लें उनमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हमने इकॉनोमिक कन्डीशन्स के आधार पर उनकी पे को बढ़ाने का या घटाने का निर्णय लिया है। इस आधार पर जाते हैं तो यह गलती रावत कमेटी ने की। वह एक सुपरफ्लुअस कमेटी थी और सरकार की सारी मन्शाएं लोगों को दबाने की थीं। उसने इसी प्रकार की स्कीम सरकार के सामने रख दी जिससे कोई भी आदमी किसी प्रकार की आवाज नहीं उठा सके। आपने अपनी कमेटी के लिये जो पर्सोनल तय किये मैं उनकी इन्टिग्रिटी के बारे में कुछ नहीं कहता, कौन कैसा था यह कहने का मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब कहने का यह है कि उस कमेटी ने कोई बेसिस नहीं बनाया, उसने किसी इन्डेक्स नंबर को बेसिस नहीं बनाया, उसने बढ़ते हुए भावों को आधार नहीं बनाया, किस कर्मचारी की आवश्यकता कैसी होती है उसको आधार नहीं बनाया। आधार बनाने के लिये सरकार ने आंकड़े दे दिये और कह दिया कि इनको एडजस्ट कर दिया जाय। किसी के लिये सरकार ने कह दिया कि हमने सिलेक्शन ग्रेड बना दिया, पर्सेन्टेज फिक्स कर दिया कि हम इतने पर्सेन्टेज को सिलेक्शन ग्रेड देंगे। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो ग्रेड इन्क्रीमेंट की लास्ट स्टेज पर लास्ट आइटम तक पहुंच चुके हैं उनका क्या कर रहे हैं? उनके लिये प्रमोशन की व्यवस्था नहीं, इन्क्रीमेंट की व्यवस्था नहीं और रावत कमेटी कहती है कि सिलेक्शन ग्रेड मिलेगा, लेकिन बाकी लोग जो सीनियर स्टेज पर पहुंच गये हैं उनको इससे राहत नहीं मिलती।

मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आज-कल आपने सारे मंत्रियों को परेशान कर रखा है। परेशान करने का मतलब यह नहीं कि सारे मंत्रियों को परेशान कर रहे हैं जिससे राजस्थान का अहित होता हो।

(श्री भैरोंसिंह)

इस बात के लिये मैं इन वित्त मंत्रीजी की तारीफ करूंगा कि आज तक राजस्थान में केवल आप ही पहले वित्त मंत्री आये हैं जो कि सब पर सख्त हाथ रख करके परेशान कर रहे हैं। लेकिन जिनको सख्ती करने की आदत है वे यह विचार नहीं करते हैं कि सख्ती करते समय किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। आपके जो उप-शिक्षा मंत्रीजी हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान के टीचर्स को बकाया दिलाने के लिये कहा कि ऐफर्ट्स कर रहे हैं। उन्होंने शायद गलती से यह बता दिया कि टीचर्स की बकाया २२ लाख की है, मैं बताना चाहता हूं कि यह बकाया २२ लाख की नहीं बल्कि ३२ लाख की है। हमारे उप-शिक्षा मंत्रीजी ने इन टीचर्स को यह बकाया दिलाने के लिए एफर्ट्स किये, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारे वित्त मंत्रीजी बेरहमी से उनके एफर्ट्स को कत्ल करने वाले हैं और उन्होंने कत्ल कर दिया। उप-शिक्षा मंत्रीजी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन जब फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं कि प्रपोजल इर्रेगुलर है और जब तक रेगुलर नहीं होगा तब तक मैं एक पैसा नहीं दूंगा। इस आपस के झगड़े में टीचर्स को कत्ल कर रहे हैं। टीचर्स के लिये तो आपने यह कर दिया और दूसरे लोग जिनका कन्फर्मेशन नहीं हुआ था और इस कारण जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी उन्होंने परफोरमा भर कर दे दिया और ट्रेजरी से पास करा दिया। बिना पी.एस.सी. की एप्रूवल के भी उनको तनख्वाह चाहिये और उनका एरियर बरसों से चढ़ रहा है, उनके लिये कोई परफोरमा भर कर दिलाने की व्यवस्था नहीं। मैं उप-शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे हिम्मत से काम लें, सदन की भावना आपके साथ में है मैं वित्त मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी बेरहमी का हाथ टीचर्स पर से हटा लें। आपने पहली हत्या इन टीचर्स की इस तरह करदी कि प्राइमरी स्कूल्स को पंचायतों के सुपुर्द कर दिया, एक हत्या यह करदी। दूसरी हत्या यह कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह जो बाकी है वह कहीं उनको न मिल जाय, टीचर्स की बकाया एक या दो दिन की नहीं है, राजस्थान बना है तब से उनकी बकाया है, लेकिन हमारी सरकार उनको बकाया देने के लिये मौन रहती है। मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि वित्त मंत्रीजी शिक्षा विभाग द्वारा जो थोड़ी सी इर्रेगुलेरिटीज़ हुई हैं टीचर्स के बारे में उनको इस लाइट में नहीं देखें। इर्रेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स की बात करते हैं, लेकिन इर्रेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स कुछ कर ली होंगी, लेकिन उनको आपने तनख्वाह दी है, लेकिन यह टीचर्स के लिये क्यों उचित नहीं है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप रावत कमेटी के भरोसे नहीं बैठें और जितने कर्मचारी हैं उनकी केटेगरीज़ बनायें। आई. ए. एस., आर. ए. एस को आपने केटेगराइज़ कर दिया, लेकिन जितने सबोर्डिनेट कर्मचारी हैं उनका केटेगराइज़ेशन नहीं किया। आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन रूल्स बना रखे हैं, लेकिन वे गलत हैं। आपने चपरासी, पुलिस के सिपाही जो नीचे ग्रेड के हैं उनको एक ग्रेड में रख दिया। आपने चपरासी, पुलिस के सिपाही, टीचर्स को क्या तनख्वाह मिले उसका निर्णय ले लिया, एक निर्णय ले लिया

(श्री भैरोंसिंह)

कि जिस आदमी को मिनिस्टोरियल कह सकते हैं, उनको अलग कर दिया, टीचर्स को अलग कर दिया लेकिन किसी को ६०) मिलते हैं, किसी को ६५) मिलते हैं, तो किसी को ५२) मिलते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। राजस्थान में चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कॉन्स्टेबल हो, चाहे टीचर हो उनको यदि योग्यता के आधार पर करना चाहते हैं तो योग्यता के आधार पर करें। यदि वे चाहें तो एक स्केल बना कर चल सकते हैं। लेकिन आज की इकोनोमी में जो अल्पवैतनिक हैं; चाहे टीचर हों, चाहे कॉन्स्टेबल्स हों, चाहे चपरासी हों सबकी आर्थिक स्थिति एक सी है और एक ही तरह की स्थिति वालों की पे स्केल्स एक सी करनी पड़ेगी। योग्यता का सवाल आता है तो मिनिस्टर से सेक्रेटरीज को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। यहां तक कि मिनिस्टर एम०ए० हो या नॉन मैट्रिक हो सबको एकसी तनख्वाह मिलती है। इसी तरह से सबोर्डिनेट्स के लिये एक कैटेगरी तैयार कर सकते हैं, जिस में टीचर्स, पुलिस के सिपाही, चपरासी आदि जितने अल्प वेतन वाले हैं वे एक समान तनख्वाह पाने के हकदार हैं; लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। इसलिये कि इस तरह का रेशनेलाइजेशन करे तो खजाने में कमी पड़ेगी। वित्त मंत्रीजी खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं। खूब भरें। कहीं किसी का ट्रेवलिंग अलाउन्स बंद करने का प्रयत्न करते हैं तो कभी और प्रयत्न करते हैं। जैसे आपको नयी मोटर की आवश्यकता हुई तो एक चपरासी को नयी साइकल लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने बंगले के लिये १३ हजार रुपये का फर्नीचर लेने की आवश्यकता होती है तो उसी तरह से चपरासी को भी अपने क्वार्टर में लाइट लगाने के लिये एक लट्टू की आवश्यकता हो सकती है, यह मान कर चलें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप काम कराने में खर्चा कर सकते हैं लेकिन सवाल यह आता है कि आप अपने लिये खर्चा कर सकते हैं तो आपको दूसरों के लिये भी खर्चा करना चाहिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो खर्चा आप अपने लिये कर सकते हैं उसी प्रकार जो बाकी के कर्मचारी हैं उनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उनका एक स्टेन्डर्ड हो जाय। जितना लो. इन्कम ग्रुप है; पहले २५०) रु० पाने वाले तक को लो इन्कम ग्रुप में मानते थे, अब ३२०) तक पाने वालों को इस ग्रुप में कर दिया। इसी प्रकार एक ग्रुप एक प्रकार का काम करने वालों की अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है उनको हटा दें और अभी जो आप योग्यता को आधार लेते हैं उसके साथ इस प्रकार का आधार लें कि किस आदमी को कितनी फिजिकल लेबर करनी पड़ती है, इसको माध्यम बनावें और उसके आधार पर निर्णय लें। ऊपर यह कर सकते हैं कि किस आदमी की कितनी योग्यता है, एम.ए. है या क्या है; यह दिमाग के काम से ताल्लुक रखता है, लेकिन नीचे दिमाग के काम से ताल्लुक नहीं होता है। नीचे तो फिजिकल लेबर ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूट करनी पड़ती है। इसलिये जब तक इसको बेसिस नहीं बनायेंगे तब तक ठीक तरह से कैटेगरीज नहीं बना सकते। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पे कमीशन नियुक्त करने का जो सुझाव

(श्री भैरोंसिंह)

रखा है वह इस प्रकार का है जिसे सरकार को स्वीकार करना चाहिये क्योंकि जो इर्रेगुलेरिटीज़ हो रही है उनको दूर करने के लिये जो फिजीकल कांट्रिब्यूशन कर्मचारी देते हैं वे कितनी फिजीकल लेबर कांट्रिब्यूट करते हैं, इस बेसिस पर पे स्केल्स निर्धारित करने के लिये राजस्थान की स्थिति को देखकर और यह देखकर कि बाकी स्टेट्स में कहां, कितनी कितनी तनख्वाह मिलती है, इन सब को देखकर पे स्केल्स प्रेसक्राइब करने के लिये पे कमीशन की नियुक्ति करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार पे कमीशन नियुक्त करेगी तो सरकार के सामने भी जो बाधाएं उपस्थित होती हैं वे रिमूव हो सकेंगी। और यदि सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है इसको लेकर बाधक बनें तो मैं यह कह सकता हूं कि यह सरकार जब तक राजस्थान में है तब तक अपनी वित्तीय स्थिति को कभी ठीक नहीं कर पायेगी, चाहे कितने ही टेक्स लगावें। जितने टेक्स लगावेंगे उनसे ज्यादा खर्चा पैदा कर लेंगे। लेकिन आपने जितना सख्त कदम लिया है मैं उसकी तारीफ करता हूं।

साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अपने मंत्रित्वकाल में अजमेर की ग्राड़ में कुछ करना चाहते हैं। तो अजमेर को लाभ पहुंचाने की जितनी आपकी भावना है उसके नाम पर भी कुछ कर्मचारियों का भला हो जाय तो कर दें। यदि आप नहीं करना चाहते तो भारत सरकार तैयार बैठी है इस बात के लिये कि राजस्थान सरकार सिफारिश करे जयपुर को 'बी' क्लास सिटी घोषित करने के लिए तो निर्णय लिया जाय। आप इसको भी मूव करिये। आपने इसको अभी तक मूव नहीं किया है। भारत सरकार सूचना चाहती है वह सूचना भी आपने अभी तक नहीं भेजी है। दूसरी स्टेट्स तो जिन सिटीज़ की आबादी ५ लाख की नहीं है उनको भी 'बी' श्रेणी की घोषित करवाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि इस संबंध में पूरे डेटाज़ भी भारत सरकार के पास नहीं भेजते। आपने जो मेमोरेन्डम फाइनेन्स कमीशन के सामने पेश किया है उसमें आपने जिक्र किया है कि राजस्थान के कर्मचारियों की तनख्वाह कम है। यू० पी० सरकार ने तो अल्टीमेटम दिया है। उस अन्तर को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रान्ट इन एड दी जाय। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसी प्रकार आप भारत सरकार को इसके लिए फोर्स कीजिये कि भारत सरकार के कर्मचारी और राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के वेतन में जो अन्तर है उसको मिटाने के लिए भारत सरकार से सहायता मिले और कुछ अपने कन्सोलिडेटेड फंड से निकाल कर कर्मचारियों की दिक्कत को दूर कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि रावत कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिये गये हैं वे कर्मचारियों के हित में नहीं है, वे उनके हित के विपरीत पड़ते हैं। ऐसी हालत में सरकार इस प्रश्न को दुबारा कन्सीडर करे कि एक दूसरे कमीशन की नियुक्ति करें।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री मानिकचन्द सुराणा।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जौहरी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बाजार क्षेत्र और जयपुर के दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्यों ने हाउस के सामने इस प्रस्ताव पर अपनी राय जाहिर की है और इस प्रस्ताव पर जो तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किये हैं उनके अलावा कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सब से बड़ी बात यह है कि इस रावत कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या थीं, यह बात आज तक राजस्थान की जनता के समक्ष राज्य सरकार ने नहीं रखी है। यहां तक कि आज जब इस रिपोर्ट पर बहस हो रही है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट की एक एक प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को प्रस्तुत नहीं की है और रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल बनाये हुए हैं। सदन की मेज पर उस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि आई, उसको सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने देखा, एक घंटे देखा, कुछ ने दो घंटे देखा, कुछ ने चार घंटे देखा। उस रिपोर्ट को अच्छी तरह से पेरूज करने की आजादी माननीय सदस्यों को सरकार नहीं देना चाहती। मैं सरकार से सबसे पहले मांग करना चाहूंगा कि वह रिपोर्ट की एक एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करें और उस कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या थीं, उसको प्रस्तुत करें। उसके साथ ही यह भी बतायें कि उस रिपोर्ट के किन अंशों को स्वीकार किया है, किस अंश को गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया है और कौन से अंश विचाराधीन हैं, इस कमेटी को अपोइन्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इस कमेटी ने किस प्रिन्सिपल पर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, यह उसे देखने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया। हमारी सरकार कहती है कि हम समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं, ग्रेड्स में जो डिफरेन्स है देश के अन्दर, उसको कम करना चाहते हैं और जितना भी अन्तर है ग्रेड्स में उसको कम करके समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। मगर इस रिपोर्ट के आधार पर मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने जब ३२०) रुपये की ऊपर की ग्रेड्स को तो बढ़ा दिया है और ३२०) रुपये के नीचे के कर्मचारी थे, उनकी ग्रेड्स में मैटीरियल डिफरेन्स नहीं आया है। तो किस प्रकार आपका यह दावा है कि आपकी सरकार समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। ३२०) रुपये से नीचे की ग्रेड्स के जितने कर्मचारी हैं उनके प्रश्न पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जितनी ग्रेड्स को मैंने एक्जामिन किया है उनमें मैंने स्पष्ट रूप से इस सिद्धान्त को पाया है कि आधे से कम डियरनेस अलाउन्स को पे में मर्ज कर दिया है, जब कि ३२०) रुपये से ज्यादा की ग्रेड्स हैं, उनकी सब्स्टेटिव पे में डियरनेस अलाउन्स को मर्ज कर दिया है। ३२०) रुपये से ज्यादा पाने वाले कर्मचारियों की सब्स्टेंटिव पे में डियरनेस अलाउन्स मर्ज करने का सिद्धान्त और ३२०) रुपये से नीचे पाने वालों की तनख्वाह में डियरनेस अलाउन्स का आधा मर्ज करने का सिद्धान्त क्यों अपनाया गया है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप यह कहें कि महंगाई भत्ता निचले कर्मचारियों की तनख्वाह में २०) रुपये मर्ज किया है और पांच रुपये

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आज भी दे रहे हैं तो भी मैं पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार महंगाई भत्ते को प्राइस इन्डेक्स से लिंक करती है तो क्या हमारी आज जो महंगाई भत्ता राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को दे रही है, उसको भी प्राइस इन्डेक्स से लिंक करने को तैयार हैं। रावत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया है। निचली तनख्वाह पानेवाले कर्मचारियों को जो डियरनेस अलाउन्स मिल रहा है उसको अगर प्राइस इन्डेक्स से लिंक कर दिया जाय तो जिस प्रकार आज महंगाई बढ़ रही है उसी तरह से महंगाई भत्ते के अन्दर अन्तर किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कि इस तरह की कोई रिकमन्डेशन नहीं है और उंचले कर्मचारियों की तनख्वाह में डियरनेस अलाउन्स को मर्ज कर दिया है तो निचले कर्मचरियों की तनख्वाह में मर्ज न करने का क्या आधार था? जो सुविधा ऊपर के कर्मचारियों को दी है वही निचले कर्मचारियों को भी दी जाती तो उससे उनकी पेंशन, ग्रेचुइटी, ट्रेवलिंग अलाउन्स आदि पर फर्क पड़ता। आज आप राजस्थान में जो चपरासी हैं उनको यह सुविधा नहीं देना चाहते हैं और जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनको सुविधा दी जाय। आप डिप्टी

(४ म० प०)

सेक्रेटरी और चपरासी की ग्रेड में कम्पेरिजन कीजिये। चपरासी की ग्रेड आपने ४५-१-७० रखी है और दूसरी तरफ आपने डिप्टी सेक्रेटरी की ग्रेड ५५०-३०-८२० ई. बी. ३०-८५०-५०-११०० रखी है। आपने डिप्टी सेक्रेटरी को बढ़ाकर ग्यारह सौ तक कर दिया है जब कि चपरासी का जहां सवाल है, निचले स्तर पर उसने डियरनेस अलाउन्स को मर्ज किया है लेकिन फिर भी ७०) रुपया मेग्ज़िमम देते हैं। जब निचले कर्मचारियों की तनख्वाह में आधा डियरनेस अलाउन्स मर्ज किया है और उंचले कर्मचारियों की तनख्वाह में डियरनेस मर्ज किया है तो फिर मेग्ज़िमम बढ़ाने का क्या आधार है, उसकी तनख्वाह में आपने दो सौ, ढाई सौ रुपये बढ़ा दिये ह, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।

मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हालांकि उस समय आप वित्त मंत्री नहीं थे जब रावत कमेटी अपोइन्ट हुई, लेकिन किस प्रकार उंचले कर्मचारियों ने रावत कमेटी में बैठ कर अपनी तनख्वाहें, सरकार की बिना मर्जी के और बिना प्रस्ताव के बढ़ा ली हैं, इसको आप एग्ज़ामिन करें और राज्य के कोष पर इन बढ़ी हुई तनख्वाहों से कितना बोझ पड़ता है, इसकी भी एग्जामिन कीजिये। इस कमेटी के मेम्बर आई०ए०एस० ऑफिसर थे, डिप्टी सेक्रेटरी इनके बहुत नजदीक हैं, क्योंकि सेक्रेटरी के नजदीक डिप्टी सेक्रेटरी हैं इसलिये उनकी भी तनख्वाह बढ़ा दी। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार के मंत्री कमजोर हैं। मुझे माफ करेंगे हां पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य, उनमें हिम्मत नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी से मुकाबला कर सकें और ब्यूरोक्रेसी के इर्रेशनल और अनथोटआउट प्रपोज़ल्स हैं उनको रिजेक्ट

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कर सकें । मैं पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहूंगा, सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि ३२०) से ऊपर वाली जो ग्रेड हैं, इनको समाप्त किया जाय और हमें ग्रेड बढ़ानी है तो पहले ३२०) से कम तनख्वाह पाने वालों की ग्रेड में बढ़ोतरी की जाय । मैं इसकी मांग करना चाहूंगा । इसके साथ ही यह अर्ज करना चाहूंगा कि आपने चपरासी की ग्रेड रखी है, वह ४५-१-७० रखी है । इसका मतलब यह हुआ कि वह २५ साल में ग्रेड के मेग्ज़िमम पर पहुंचेगा लेकिन आपके डिप्टी सेक्रेटरी की ग्रेड है, ५५०-३०-८२०-३० ८५०-५०-११०० । उसके जो ग्रेड इनक्रीमेंट है, उसके हिसाब से वह मेग्जिमम पर १५ साल में पहुंच जायगा । जिन्दगी के पन्द्रह साल में वहां पर पहुंच जायगा जबकि एक चपरासी एक एक रुपया करके ग्रेड के मेग्ज़िमम पर पहुंचेगा; जब कि वह स्टेट की सेवा में तीस साल से ज्यादा नहीं रहता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस फर्क को कम करें । जब डिप्टी सेक्रेटरी १५ साल में मेग्ज़िमम पर पहुंच जाता है तो क्या वजह है कि चपरासी भी पन्द्रह साल में क्यों न पहुंचे, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सिफारिश की हैं, ये सिफारिश उंचले कर्मचारियों के पक्ष में की है और निचले कर्मचारियों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया है । रावत कमेटी को यह आदेश मिला बताया गया है कि नये ग्रड्स में जो तनख्वाह मिले, उनमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिये । डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक जो इमोल्यूमेंट्स मिलें उनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिये । Emoluments in the new scales should not exceed the existing emoluments in the old scales.

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप बढ़ोतरी नहीं करना चाहते हैं, तनख्वाह में कोई फर्क नहीं डालना चाहते है तो इस रावत कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी ? आप राजस्थान के दो लाख २० हजार कर्मचारियों का फिक्सेशन इन नये ग्रेड्स में क्यों करना चाहते हैं, जब एग्जि़स्टिंग ग्रेड और इमोल्यूमेंट्स में फर्क नहीं लाना चाहते । राजस्थान में जो पे स्केल्स, रेशनलाइज्ड पे स्केल्स १९६१ में लागू किये गये हैं, और यह कहा जाता है कि बहुत काबिल लोग थे इस कमेटी के अन्दर, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह जो रिपोर्ट है, इस रावत कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर जो संशोधन एक वर्ष के अन्दर किये गये हैं, जो रावत कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर आये हैं, उनको आप देखेंगे तो मालूम होगा कि एक एक दिन में पे स्केल्स में संशोधन जारी किये गये हैं और एक एक संशोधन के द्वारा दस दस ग्रेड को रिवाइज किया गया है । ये संशोधन किये गये हैं, ये ११३ संशोधन किये गये हैं, जिनकी लिस्ट मेरे पास है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, यह कमेटी जिसकी रिपोर्ट में ११३ संशोधन दस महीने में हुए हैं, इसके लिए किस तरह कह सकते हैं कि जो कमेटी में बैठते थे वे बहुत काबिल थे । उन्होंने किसी विभाग को सुना नहीं, किसी हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट की राय नहीं ली, कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया कि क्या डिफीकल्टीज किस किस कर्मचारी की है । उनको बिना सुने कमेटी ने रिपोर्ट

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

दी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं और उनको कन्सीडर करना पड़ा है। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि पहले ही अच्छा होता कि कमेटी के सदस्य सब की बात को अच्छी तरह से सुनते और उनकी ग्रीवान्सेज को सुनकर अपनी रिपोर्ट देते और बिना सुने एकतरफा रिपोर्ट दी है और इस संबन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एकतरफा रिपोर्ट है, यह वाजिब नहीं है और जो पे कमीशन की माँग की है वह वाजिब है। जितने भी राजस्थान में पे स्केल रूल्स आदि हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, राजस्थान की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की हालत को देखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि पे स्केल कमीशन की नियुक्ति की जाय।

इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है और वह है एपोइन्टमेंट और प्रोमोशन की। हालांकि एपोइन्टमेंट के मिनिस्टर आज यहां मौजूद नहीं है और दूसरे जो मंत्री हैं वे इसका उत्तर उनकी तरफ से देंगे। इस कमेटी ने पूरी तौर से इस बात का फैसला नहीं किया कि प्रमोशन के लिये एज लिमिट क्या हो? राजस्थान में कर्मचारियों को पर्टीकुलर एज पर पहुंचने के बाद प्रमोशन आदि के लिए एग्जामिनेशन्स के लिये कोई बान नहीं रहनी चाहिए। भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। यदि कोई भी केपेबल व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है। इसलिये एज लिमिट नहीं होनी चाहिये। उसके लिये एज रिलेक्स होनी चाहिये।

इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग सिद्धान्त थे। उन सिद्धान्तों को भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। स्पेशल पे के संबंध में मैं निवेदन करूं। ३१ अगस्त को जो कर्मचारी स्पेशल पे पाते थे उनकी स्पेशल पे वेतन के साथ मर्ज कर दी। रिपोर्ट में यह हो गया कि ३१ अगस्त '६१ तक जो स्पेशल पे पाने के अधिकारी थे उनको सुविधा देंगे और बाद में किसी को सहूलियत स्पेशल पे की नहीं दी जावेगी। मैं इस संबंध में फाइनेन्स मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि आज कोई मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी, आर० जे० एस० है उसको ७५) रु० आप स्पेशल पे देते हैं। यदि असिस्टेन्ट सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी बनता है तो आप उसको ७५) रुपये स्पेशल पे नहीं देते हैं। यह उचित नहीं है। चाहे वह आर० जे० एस० ऑफिसर हो या अन्य व्यक्ति हो, उसको ड्युटी तो एक ही प्रकार की देनी होती है। इसलिये आपको इसमें देखना चाहिये। आप कहते हैं कि असिस्टेन्ट सेक्रेटरी को नहीं मिल सकता। मैं यह कहूंगा कि हमारी पार्टी स्पेशल पे के खिलाफ है, लेकिन हमारी पार्टी यह नहीं कहती कि आप ५ व्यक्तियों को स्पेशल पे दें और बाकी को स्पेशल पे से महरूम रक्खें। इसी तरह से एक नहीं सैंकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं। इक्वल पे फोर इक्वल पोस्ट का सिद्धान्त को देखना है। इसमें इसका उल्लंघन किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे इसको दुरुस्त करें। मैं यह भी कहूंगा कि अनजस्टीफाइड सिद्धान्त हैं उनको रद्द करावें।

इसके बाद मैं एक महत्वपूर्ण बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अब तक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

तीन ही पोस्टों के लिये कम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन्स हुआ करते थे। आर० ए० एस० और आर० जे० एस०, राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विसेज़। लेकिन अब आपने ११ प्रकार की सर्विसेज़ के लिये कम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन्स रक्खे हैं। जैसे :

"Assistant Director, Industries, District Industries Officer, Employment Officer, Assistant Registrar, Co-op. Societies, Panchayat Officer, Social Welfare Officer, Public Relations Officer."

ये इस लिस्ट में शामिल हैं कि अब से आगे हम राजस्थान कम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन होल्ड करेंगे। कहा यह जाता है कि आज दूसरी स्टेटों में भी ऐसा होता है। आज दूसरी स्टेटों के लोगों का बहुमत है, इसलिये वे आज कोई रास्ता ढूंढते हैं कि उनके लोग यहां आकर राजस्थान के लोगों पर हावी हो जावें और राजस्थान के लोगों को ऊंची नौकरियें न मिल सकें। रिटन एग्ज़ामिनेशन में जब नम्बर दे दिये जावें तो यह कहा जाता है कि राज्य की सेवाओं में इसको लेना आवश्यक है क्योंकि इसका नम्बर प्रथम आया है। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और शिक्षा में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए आज मद्रास, महाराष्ट्र व बम्बई के लोगों से कम्पीट नहीं कर सकता। इसलिये हमारी स्टेट में ११ तरह की पोस्ट के लिये कम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन होल्ड करते हैं, यह उचित नहीं है। अगर करते हैं तो मैं यह सरकार से निवेदन करूंगा कि आप राजस्थानियों के लिये आगे की प्रगति के द्वार बन्द करना चाहते हैं। यदि आपने इसी सिद्धान्त को जारी रखा तो राजस्थान में एल० डी० सी० और चपरासियों के सिवाय कोई राजस्थानी नजर नहीं आवेगा। यू० डी० सी० आदि भी पोस्टों पर सब जगह आपको बाहर से आने वाले मिलेंगे। इसलिये अगर आप यह चाहते हैं कि राजस्थान के लोग आवें तो आपको ११ तरह की पोस्टों के लिये कम्पीटीटिव टैस्ट की बात है उसको रद्द कर देना चाहिये। मेरा यह चार्ज है कि यहां पर बाहर के लोग ज्यादा हैं और आई० ए० एस० ज्यादा हैं, इसलिये उन्होंने यह एक रास्ता निकाला है।

इसलिये मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप राजस्थान के लोगों को चपरासियों और एल०डी०सी० तक ही सीमित न रखें और उनको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहते हैं तो इस प्रकार के रूल्स में एमेन्डमेंट करें और जो यह पे कमीशन की मांग की गई है उसका समर्थन करता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूं।

**श्री मानसिंह मह्वार** (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष राजस्थान में एक नई पे कमीशन को कायम करने का सुझाव जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन करूंगा। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि जिस समय अजमेर का मर्जर हुआ था उस समय फाइनेन्स मिनिस्टर का रवैया सुन रहे थे कि कर्मचारियों के लिये वे भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब यहां चुन कर आने के बाद वित्त मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ

(श्री मानसिंह महार)

देखा तो यह देखा कि अब तो राजस्थान के नीचे के कर्मचारियों के लिये नया जमाना आयेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह भूख। हड़ताल थी वह पहले की बात थी, वह किसी युग की बात थी। इससे मैं यह समझा कि सरकार के लोग इन कुर्सियों पर नहीं बैठते तभी तक छोटे लोगों के तबके का विचार उनके ध्यान में रहता है लेकिन उन कुर्सियों पर बैठने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मंत्रीजी की बिल्कुल वही हालत हो जाती है जैसी कि जब हम इन्दौर में पढ़ते थे उस समय हमारे साथ पढ़ने वालों की हुआ करती थी।

**एक माननीय सदस्य:** आप पोइन्ट पर ही बोलें।

**श्री मानसिंह महार:** मैं अप टू दी पोइन्ट ही बताता हूं। लड़के जो अपने को बहुत चतुर समझते थे उनको हम ऊंची टोपी ओढ़ाया करते थे और पिलराया करते थे और कहा करते थे कि यह बहुत होशियार है, हमने इनको गधा टोपी पहनाई है। इसी तरह से जब तक कुर्सियों पर नहीं बैठते तब तक छोटे लोगों का ध्यान रहता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो जो रिवाइज्ड पे स्केल में आर.ए.एस., आर. जे. एस., आर. पी. एस. आदि बड़े २ लोगों को तरक्की मिली है; २००) से नीचे तनख्वाह पाने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको कोई फायदा नहीं मिला। मैंने कई पुलिस के सिपाहियों से पूछा, कहो भाई, तुमको नये रिविज़न से क्या तरक्की मिली, क्या फायदा मिला तो उन्होंने कहा कि हमको इस समय तो कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि हमको पेन्शन होगी तब फायदा होगा; पेन्शन में फायदा हो उसको हम क्या करें, हम तो आज भूखों मर रहे हैं, आज कुछ फायदा मिलता तो हमें फायदा होता। इसी प्रकार कई चपरासी आदि हमेशा मिलते हैं और अपने पेट के बारे में बात-चीत करते हैं। वे भी यही कहते हैं। अध्यापकों का नम्बर आया। पुराने अध्यापक बोले कि हमको क्या लाभ है? नयों को १००) मिल जावेंगे। हमको तो ९०) मिलते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, आपको फैक्टस बताऊं कि हमारे नीचे तबके के लोग जो हैं उनको इमिजियेट फायदा चाहिये आप बाहर से कमेटी बुलावें। मगर मैं यह कहता हूं कि अगर आपमें इन्सान का दिल है और आप पब्लिक के आदमी हैं तो सदन में एनाउन्स करना चाहिये कि १५०) से कम वेतन वाले लोगों को आज से १०) माहवार की तरक्की मिलेगी।

अगर इस प्रकार की बात वित्त मंत्रीजी नहीं कर सकते हैं तो वे भी उसी पुराने ढर्रे में ढले हुए आदमी हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, दिन दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इन छोटे कर्मचारियों का एक दो रुपया बढ़ाया है, वह तो यदि बाटा कम्पनी का बूट लेने जायें तो आपने जो सेल्स टैक्स लगा रखा है उस सैल्स टैक्स में ही चला जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इमिजियेट रिलीफ इन छोटे कर्मचारियों को देना है तो १५०) रुपयों से कम पाने वाले कर्मचारियों को १०) रुपया माहवार देने के लिये आज ही ऐलान कर देना चाहिये, अगर उनके दिल में कुछ भी दर्द है तो। अगर वे पत्थर हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

(श्री मानसिंह महार)

मैं जानता हूं वित्त मंत्रीजी की तरफ से इसका जवाब आयेगा कि टैक्स लगाते हैं तो लगाने नहीं देते, आमदनी के जरियों को अमल में लाने नहीं देते और तनख्वाह बढ़ाने की बात बड़े जोरों से कहते हैं। वित्त मंत्रीजी बड़ी शान से जेबों में हाथ डाल कर टेढ़े हो कर जवाब देंगे। पर वित्त मंत्रीजी को आइने में अपना मुंह देखना चाहिये।...

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : जेब में हाथ इसलिये डाले हैं कि निकालना है उनको।

**श्री मानसिंह महार** : निकाल लिया, वह तो अगले जन्म में निकालेंगे।

किसी तरह की वित्त मंत्रीजी को फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज़ हैं तो आइने में अपना मुंह देखें। फाइनेन्स हाथ में आते ही दो आइ० ए० एस० ऑफीसर्स फाइनेन्स में और बढ़ा दिये।

**श्री मुरलीधर व्यास** : काम बढ़ गया है।

**श्री मानसिंह महार** : फाइनेन्स का काम चलाने वाला गंगासहाय एक ही था। उनके समय में बजट में गलतियां सदन में नहीं आई। अयोग्य को काम सौंपेंगे तो गलतियां आयेंगी। दो क्या दस बढ़ा दो तो क्या फर्क आता है? अयोग्य आदमी रखेंगे तो वे गलतियां रिपीट होंगी। एक ही हो, पर योग्य आदमी होना चाहिये।

आज हमें देखना है कि चार वर्षों में आई० ए० एस०, आई० पी० एस० के कितने ऑफीसर्स बढ़े हैं। आप जरा इस ओर ध्यान दीजिये। बजट टॉप हैवी हो रहा है, तो आइ० ए० एस०, आइ० पी० एस० ऑफीसर्स को कम कीजिये। कोई नई पोस्ट क्रियेट मत कीजिये और यह एक नया पोलिसी डिसिज़न लीजिये कि राजस्थान में इतने से अधिक आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० ऑफीसर्स नहीं रखेंगे। यह सब करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको कितना लाभ मिलता है। आप छोटे कर्मचारियों को जो १०) रुपये की राहत देंगे और इससे दो ढाई करोड़ का नुकसान होगा उसको पूरा करने के लिये मेरे साथ बैठ जाइये। मैं एक दिन में ही आपको कटौतियां बता दूंगा कि कहां कहां आइ० ए० एस० बैठे हुए हैं, कोई स्टेटिस्टिक्स में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। दुर्भाग्य की बात है कि यहां राजस्थान में आदमियों के लिये पोस्ट्स क्रियेट की जाती हैं। मंत्रियों के रिश्तेदार, कृपा-पात्र जयपुर में रहना चाहते हैं तो जयपुर में पोस्ट क्रियेट कर दी जाती है। आर० ए० एस० के केडर का होगा तो आर० ए० एस० की क्रियेट की जायगी और आई० ए० एस० के केडर का होगा तो आई० ए० एस० की पोस्ट क्रियेट की जायगी। फिर आप खुद कहते हैं कि आप उप-मंत्री से काम नहीं लेते तो उप मंत्री की क्या जरूरत है? यह भी कम कर दीजिये। दो फाइनेन्स सेक्रेटरीज़ हैं तो एक को आप चाक ऑफ कीजिये दिल्ली, पर योग्य आदमी रखिये। सारा काम हो जायगा। करीब एक लाख की बचत तो आपको एक आदमी को चाक ऑफ करने में ही हो जायगी। डिप्टी मिनिस्टर हैं उनको भी चाक ऑफ कीजिये। आप कहते हैं कि उप-मंत्री की मुझे जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो क्यों रखते हैं? अपने फाइनेन्स का तो

(श्री मानसिंह महार)

आधा काट लीजिये । तो राजस्थान में यह आपको करने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी ।

दूसरी ओर कलेक्टर्स को देखना है । जयपुर में कलेक्टर आई० ए० एस० ऑफिसर है । उसके अन्डर में १७ विधान सभा की सीटें हैं । इसके मुकाबले में दूसरे जो छोटे छोटे जिले हैं उनमें भी आइ० ए० एस० कलेक्टर हैं । मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप उन जिलों को कम कीजिये, पर जो छोटे छोटे जिले हैं उनमें आप आइ० ए० एस० कलेक्टर रखने के बजाय आर० ए० एस० ऑफिसर रखिये । इस पद्धति को अपनाने से जो मैंने १०) रुपये छोटे कर्मचारियों का बढ़ाने का सुझाव दिया है वह सारा खर्चा आप मीट आउट कर सकेंगे । खास कर इस घाटे के नाते बताता हूं, छोटे छोटे जिले हैं, वहां पर आइ०ए०एस० आदमियों को रख रखा है । मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, इस सदन के जरिये आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि कलेक्टर्स, आई० ए० एस० ऑफिसर्स बंगाल से या मद्रास से आये हुए हैं, वे जिलों में मिसफ़िट हैं वे हमारी भाषा को नहीं समझ सकते । इसके लिये जरूरी है कि आर० ए० एस० के आदमियों को इन जिलों में लगाया जाय । इस आई० ए० एस० क्लिक से राजस्थान का और राजस्थान की जनता का पिण्ड छुड़ाना चाहिये । ये लोग किस तरह मिसफ़िट हैं इसकी एक मिसाल मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । जिले में एक गरीब आदमी आइ० ए० एस० ऑफिसर के पास गया और कहा कि मेरी झोटड़ी चोरी गई है । आइ०ए०एस० ऑफिसर उससे पूछता है कि कितने मन चोरी गया । उसने समझा कि गल्ला चोरी गया है । उस गरीब ने कहा कि मन नहीं साहब, मेरी ५ झोटड़ी चोरी गई हैं । उसने कहा पांच गई पर कितने मन गई। पास में वकील साहब बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि झोटड़ी शी बफ़ेलो को कहते हैं, वह ५ चोरी गई हैं । तो यह हालत है आइ० ए० एस० ऑफिसर्स की । सेक्रेटेरियट में भी यही हालत है । ५७ के इलेक्शन में जो ट्रक और गाड़ियों का रिक्विज़ीशन किया गया था उनके पैसों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । जिस सेक्रेटेरियट में भेड़ व बकरियों की तरह आई० ए० एस० ऑफिसर्स भरे हुए हैं, जिनका नम्बर कम नहीं हो रहा है बल्कि दिन ब दिन बढ़ रहा है, वहां पर काम का यह हाल है ।

सर्विसेज़ का इन्टीग्रेशन हुआ था, तो हमने समझा था कि राजस्थान में आइ० ए० एस० ऑफिसर नहीं हैं इसलिये बाहर से आ रहे हैं; पर आज वे आई०ए०एस० ऑफिसर्स हम पर हावी हो गये हैं । वे लोग नीचे तबके के लोगों को नफ़रत की निगाह से देखते हैं, वे उनकी तरक्की को बरदाश्त नहीं कर सकते । यहां सेक्रेटेरियेट में डिप्टी सेक्रेटरीज़ और सेक्शन ऑफिसर्स की बात है कि उनको आई० ए० एस० ऑफिसर्स नफरत की निगाह से देखते हैं । मैं बड़े जोरों से प्रेस करता हूं कि आई० ए० एस० ऑफीसर्स को राजस्थान में कम किया जाय ।

**श्री दलपतसिंह ( आबू ) :** आपको पता है कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० ऑफिसर्स को कितनी एफिशियेन्सी सिखाई जाती है स्कूल में ? तो उपाध्यक्ष

(श्री दलपतसिंह)

महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे राजस्थान के अन्दर हमारे वित्त मंत्रीजी को अगर गरीब लोगों का जरा भी ख्याल है और अगर वे अपने वायदे के पाबन्द हैं और जब कि वे अजमेर से हमारी तरह भी नहीं थे; जैसे मैं भी गत पांच वर्षों में नहीं था उसी तरह वे भी नहीं थे और दरदर भटकते थे। वे उस युग को याद रखें और उस युग के क्लर्कों और चपरासियों को याद रखें और मेरे दिल में अपने दिल को समावेश करें और फिर सदन में एलान करें कि १५०) रुपये से कम पाने वालों को १०) रुपये की तरक्की देते हैं और साथ ही साथ यह भी कहें कि १०) की तरक्की देने से जो खर्चा होगा वह आई०ए०एस० और आई०पी०एस० ऑफिसर्स से कम करके, कटौती करके किया जायेगा क्योंकि यह १०) रुपये की तरक्की सरकार के एक्सचेकर पर कोई एक्स्ट्रा बरडन नहीं होनी चाहिये। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो प्रस्ताव है उसे वह मन्जूर करें।

**श्री मुरलीधर व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब पार्टीज के मेम्बरों का मत होना चाहिए। इस प्रस्ताव के ऊपर ऐसा कन्वेन्शन चला आ रहा है कि जनसंघ के बोल चुके हैं, स्वतंत्र पार्टी के बोल चुके हैं, पी० एस० पी० के बोल चुके हैं; लेकिन कॉम्युनिस्ट पार्टी का एक भी मेम्बर नहीं बोला है।

**एक माननीय सदस्य** : निर्दलीय भी नहीं बोले हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इस विषय में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सहूलियत के लिए जितनी भी पार्टीज हैं उनके व्हिप्स मुझे यदि पहले से ही लिस्ट दे देते तो मैं उसी प्रकार से बराबर नाम बोल सकता अन्यथा बेलेन्स नहीं रह सकता।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रावत कमेटी की रिपोर्ट के विषय में बहुत थोड़े में ही अपनी बात कहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे अन्य साथी भी इस पर कुछ बोल सकें। रावत कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद में और जो भी इसमें ग्रेड्स देखने को मिलते हैं उसको देखने से यह स्पष्ट है कि यदि किसी को इससे विशेष तौर से लाभ मिला है तो वह ऊपर के बड़े कर्मचारियों को ही लाभ मिला है और वह आई० ए० एस० और आर० ए० एस० के ही लोगों को विशेष तौर से लाभ मिला है और उसमें भी जो दृष्टिकोण रखा गया है वह यह है कि इस कमेटी को कॉन्स्टीट्यूट ही इसलिए किया और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में है कि जो लो-पेड कर्मचारी हैं उनको किस प्रकार से लाभ मिले, किस प्रकार से रिलीफ मिले, तो कमेटी के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ही यही सोचने को था। दूसरे कर्मचारियों के बारे में कहीं टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में यह है ही नहीं कि जो हाई पेड ऑफिसर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाये। अब जैसी भी रेशनलाइज्ड पे स्केल्स बनी हैं, जो भी उसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थे उसके खिलाफ इस कमेटी ने काम

(श्री मुरलीधर व्यास)

किया। टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में यह था कि जो भी लो-पेड कर्मचारी हैं और जिनको २५०) तक माना है और उसको आगे जाकर ३२०) कर लिया तो इन्हीं कर्मचारियों के बारे में इस कमेटी को सोचने का अधिकार था कि इनको किस प्रकार से रिलीफ दी जाये और इनको किस प्रकार से लाभ पहुँचे; इसी चीज को लेकर रावत कमेटी बनाई थी। परन्तु रावत कमेटी न होकर यह राव कमेटी हो गई। राव का मतलब है बड़े बड़े। इन लोगों को किस प्रकार से रिलीफ दी जाये इसीलिए इसका नाम राव कमेटी ही रख दिया जाये तो अच्छा है। इसका नाम रावत कमेटी के बजाय राव कमेटी होता तो ठीक था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के खिलाफ काम हुआ है। इसमें जो सबसे बड़े मुद्दे की बात है वह यह है कि जो फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा ७०) रु० तक ले जाकर छोड़ दिया है, मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमारा प्लानिंग यह कहता है और प्लानिंग डिपार्टमेन्ट की यह रिपोर्ट है कि थर्ड फाइव इयर प्लान खत्म हो जायेगा उसके बाद फोर्थ फाइव इयर प्लान और खत्म हो जायेगा उस समय हमारे देश की राष्ट्रीय आय दस साल के अन्दर आगे जाकर दुगुनी हो जायगी। यानी एक फण्डामेन्टल सिद्धान्त की बात है कि जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय दस साल बाद दुगुनी हो जायेगी तो हम आय प्रत्येक व्यक्ति की बढ़ाना चाहते हैं तो इस कमेटी को कम से कम इतना तो सोचना था कि जो फोर्थ क्लास का एक कर्मचारी है जिसको आपने ६०-७० रुपये दिये हैं वह क्या समझेगा कि हमारी आय जो दुगनी होने वाली है, उसको हम पॉलिसी के रूप में जब मान्य करते हैं और वह आय समान स्तर पर हर आदमी के पास जाये तो वह दुगनी हो जाये। आज ३८५) जिसको मिल रहे हैं कम से कम उसकी आय ७००) हो जाये अगर वह प्लान के हिसाब से बढ़ता हुआ चला जाता है। तो वह कर्मचारी जिसको ७०) मिलते हैं उसके बारे में उसके लिये कोई गुंजाइश नहीं है तो मैं समझता हूँ कि यह रावत कमेटी की रिपोर्ट प्लानिंग के बिलकुल विपरीत है। अगर हम प्लानिंग को मानते हैं और उसके दृष्टि-कोण से चलते हैं और सोचते हैं कि प्लानिंग से हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ने वाली है तो उस चपरासी के बारे में भी सोचना चाहिए कि जिसको आज ७०) रु० मिलते हैं, उसके १५०) हो जायेंगे और यदि १५०) नहीं तो कम से कम १००) तो हो ही जायेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट है इससे बिलकुल नहीं मालूम पड़ता है कि हमारी आगे की परिस्थिति किस प्रकार की होगी। जो भी ग्रेड्स इसमें दिए हुए हैं उसमें अभी जैसे फोर्थ क्लास के पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी हैं आपने उनको फिक्स कर दिया, जो आदमी धीरे धीरे इन्क्रीमेन्ट लेकर ५५) तक जाता था उसमें आपने यह किया है उसको ६० पर ही फिक्स कर दिया। यानी आपने ५ रुपये ही बढ़ाये हैं और नये को ६०) रु० दे दिये। तो पुरानी जिनकी सर्विसेज थीं जिसने १५ साल नौकरी की तो उस कर्मचारी को जो वहां तक पहुंच गया था उसको कोई लाभ नहीं। तो यह छोटे से छोटे कर्मचारी के विषय में एक दृष्टिकोण बनना चाहिये और योजना के अनुसार जो काम होना चाहिए वह दृष्टिकोण बिलकुल नहीं रखा गया है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

जैसे कहा गया है यह जो हुआ है यह केवल सेक्रेटेरियट वालों के लिए हीं किया गया है। सेक्रेटेरियट तक ही इस कमेटी को सोचने का रहा है वह आगे पहुँच नहीं पाई है। इसमें लिखा है, "They have functioned as a Secretariat Committee;" सेक्रेटेरियट की हैसियत से इन्होंने फंक्शन किया। इन्होंने यह दृष्टिकोण नहीं रखा कि यह फंक्शन सब के लिए हो, सब की राय लें और जैसा कि इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा भी है इसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे भी हैं और उन्होंने अपनी राय भी दी है लेकिन इसमें लो-पेड स्टाफ का कोई भी कर्मचारी नहीं आया और न उनकी राय किसी प्रकार से इसमें आ सकती है। इसलिए यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत अपूर्ण है और जहां तक ग्रेड्स वगैरह का सवाल है, पे कमीशन का सवाल है इसमें हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के जितने भी अलग अलग राज्य हैं उनकी ग्रेड्स को ध्यान में रखा जाये। इसमें जैसा कि बताया गया है कि पुलिस की ग्रेड्स जो रखी गई हैं वह मद्रास में बहुत ज्यादा हैं, हमारे यहां बहुत कम हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों का तो सवाल जाने दीजिए, हम तो चाहते थे कि हमारे ग्रेड्स भी उन्हीं के अनुसार हों।

इस प्रकार से यू० पी० और मध्यप्रदेश, इन दोनों में एल०डी०सी० और यू०डी०सी० की ग्रेड्स के बारे में फर्क है। पुलिस की ग्रेड का जहाँ तक सवाल है वहां पर अच्छी है। इस विषय में कोई बात सोच कर रिपोर्ट की जाती तो ठीक होता। जैसा अभी पहले आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भेद-भाव नहीं होना चाहिये। जहां तक भेदभाव का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि हर एक स्टेट में हाउस अलाउन्स मिलता है। कोटा, जयपुर, जोधपुर, और उदयपुर को दे दिया; परन्तु बीकानेर वालों को हाउस रेन्ट अलाउन्स नहीं दिया। वह भी राजस्थान का बड़ा शहर है, एक लाख से अधिक की आबादी वाला शहर है। जब हिन्दुस्तान के हर बड़े शहर को आबादी के लिहाज से लाभ मिला है तो यहां ही यह क्यों सवाल पैदा होता है, जयपुर भी बड़ा शहर है, आबादी पांच लाख से ऊपर चली गई है और हर हालत में हर व्यक्ति यहां का रहने वाला यह कहते मिलता है कि जो दूसरे शहरों को सुविधाएं मिलती है वे यहां भी, यहां के निवासियों को मिलनी चाहिये। समझ में नहीं आता है कि उन सुविधाओं से जयपुर शहर को क्यों वंचित रखा जा रहा है? यह कोई नीति का सवाल नहीं है। दूसरे हिन्दुस्तान के शहर 'बी' श्रेणी के घोषित हो चुके हैं और उनको सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन राजस्थान के इतने बड़े शहर को वंचित रखा जाता है तो यह एक अन्याय है और जयपुर के रहने वाले नागरिकों के साथ एक प्रकार से बड़ा भारी अन्याय है। मैं वित्त मन्त्रीजी को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि या तो इसको मानते नहीं और मानते हैं तो यह घोषणा उनको करनी चाहिये कि जयपुर को 'बी' श्रेणी का माना जायगा और जो सुविधाएं अन्य शहरों को मिलती हैं वे ही इसको प्राप्त हो सकेंगी। वित्त मन्त्री महोदय को यह घोषणा करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, रेशनेलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स...

**श्री उपाध्यक्ष** : चूंकि ४॥ बज चुके हैं और पांच बजे सदन का समय समाप्त हो जावेगा, यदि सदन की मन्शा हो तो समय बढ़ाया जाय।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): अवश्य बढ़ाया जाना चाहिये।

**श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): इस रिपोर्ट पर बहस के लिए तीन घंटे रखे गये थे और पांच बजे तक तीन घंटे पूरे नहीं होंगे इसलिए मेरा सुझाव है कि कल के लिए भी घंटा, डेढ़ घंटा इसके लिए रख लिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन का समय आज ही बढ़ाया जा सकता है, कल नहीं।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): आज ५॥ बजे बैठक है और आपका ही नोटिस है इसलिए कल के लिए रख दिया जाय।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): सब में यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है इसलिए कल सदन का समय एक घंटे के लिए इसके लिये रख लिया जाय।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ था कि तीन घंटे का समय इसके लिये दिया जायगा। पांच बजे तक तीन घंटे होते भी नहीं है, इसलिये समय बढ़ाया जाय।

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मन्त्री): इतनी स्पीचेज हो चुकी हैं और मेरे में इतनी एनर्जी नहीं रही है कि मैं एक घंटे तक और बैठूं। माननीय सदस्य अपने विचार देते रहे हैं। आप इजाजत देना चाहें तो दे सकते हैं। वे यह इन्तजार न करें कि मैं उनकी सब बातों का उत्तर दूं। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मैं उनकी बातों पर गौर करूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी का कहना वाजिब है। वास्तव में जो कुछ बातें कही जाती हैं वे सरकार को सुनाई जाती है। यदि वे कुछ न कह सकें तो बात अधूरी रह जाती है। यदि सदन की मंशा हो तो जवाब शुरू हो जाय।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर): हो जाने दीजिये जवाब।

**श्री विजयसिंह झाला** : कइयों को बोलना है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : १५ मिनिट मैं बोल लूं उसके बाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order, please!

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्या तय किया उपाध्यक्ष महोदय ?

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की मंशा यह है कि नहीं कि मंत्री महोदय जवाब शुरू करें ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह मंशा नहीं है।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया है तो फिर उनको बोलने देना चाहिये ।

**श्री बालकृष्ण कौल** : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं माननीय सदस्यों के विचार अच्छी तरह से समझ गया हूं । हो सकता है कि ऐसे सुझाव पेश करना चाहें......

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपने मझे समय दिया है और समय बढ़ाने का प्रश्न उपस्थित हुआ और समय बढ़ाने में फाइनेन्स मिनिस्टर की एनर्जी खत्म हो गई और उसके बाद मुझे बैठा दिया गया, यह नाटक मुझे समझ में नहीं आया ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, शिक्षा) : This 'Natak' must be expunged from the proceedings of the House. It is unparliamentary. It should be withdrawn.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं इस शब्द को वापिस लेता हूं । मेरा तात्पर्य यह है कि मुझे यह ढंग पसन्द नहीं आया जो नाटक सा प्रतीत होता है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं सदन की सूचना के लिये निवेदन कर दूं कि सदन की मंशा जानी गई । उनकी मंशा समय आगे बढ़ाने की नहीं है । यदि माननीय सदस्य ५-१० मिनिट में कुछ कह सकें तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

**अनेक माननीय सदस्य** : आज ही क्यों न बढ़ायें ?

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

( विराम )

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ): On a point of information, Sir, समय बढ़ायें । माननीय सदस्यों को समय दिया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please ! समय बढ़ाने की मंशा नहीं मालूम होती है ।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : आधा घंटा ही बढ़ाइये । ५॥ बजे तक ही कर दीजिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : On this little issue, I don't think the House would like to divide itself. It is a simple matter. If you think that you cannot speak unless the time is extended then you will allow the Hon'ble Minister to speak.

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : आज ही समय बढ़ा दीजिये ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनती करूं कि पहले भी समयानुसार सदन का समय बढ़ाया गया है । इसके लिये पहले ही तीन घंटे अलोटेड थे । समय बढ़ाया जाना चाहिये था । पांच बजे तक यदि वित्त मंत्री बोलेंगे तो ५॥ बजे तक बोल लेंगे, इससे उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद) : यह कोई पोइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है ।

**श्री अमृतलाल यादव** ( भोपालसागर सु०) : No point of order, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : I would ask Shri Yogendra Handa if he wants to continue his speech. He has to conclude within a very little time now.

**श्री हरिराम चौहान** ( तिजारा ) : यह तो हमारे लोगों को किसी को बोलने का टाइम ही नहीं मिला है । आपने उनकी बात ही नहीं सुनी ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Just five minutes please.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : Then other Members from my party will speak within five minutes.

**श्री दलपतसिंह** ( आबू ) : Mr. Deputy Speaker, when you have specifically given time to Mr. Handa only....

**श्री उपाध्यक्ष** : Shri Yogendra Nath or the Hon'ble Minister.

( विराम )

Hon'ble Minister.

**श्री बालकृष्ण कौल** : डिप्टी स्पीकर महोदय, माननीय सदस्यों के सुझावों के सम्बन्ध में ...

**श्री हरिराम** : क्या बात हुई, फिर दुबारा इन्कार कर दिया क्या ?

**श्री रघुनाथ बिशनोई** ( सांचोर ) : आपको समय दिया ही नहीं गया ।

**श्री हरिराम चौहान** ( तिजारा ) : हमारी बात तो सुनिये । इतनी इम्पोर्टेन्ट बहस है जिसमें लाखों कर्मचारियों की जिन्दगी का सवाल है उस पर भी इतनी बड़ी पार्टी जो सारे भारत में दूसरे नम्बर की पार्टी है उसको टाइम नहीं दे रहे हैं ।

**श्री नत्थीसिंह**: उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी दूसरे नम्बर की हो सकती है; किन्तु हम जो निर्दलीय सदस्य वे भी बहुत महत्व रखते हैं, आप निर्दलीय सदस्यों को भी बोलने का समय नहीं दे रहे हैं। हम भी पहले नम्बर की इम्पोर्टेन्स रखते हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order !!

**श्री हरिराम** हमेशा टाइम बढ़ाया गया है । इस महत्वपूर्ण सवाल पर समय बढ़ाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए और माननीय मंत्री महोदय को यह स्वीकार करना चाहिये ।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, आधा घंटे का समय बढ़ा दिया जाय तो कोई एतराज नहीं । हमेशा सदन का समय बढ़ाया गया है ।

**श्री हरिराम चौहान**: आप व्यवस्था तो दीजिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : इसमें कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं । श्री हांडा यदि बोलना चाहें तो उनको दस मिनिट का समय दिया जा सकता है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा**: उपाध्यक्ष महोदय, Now the House is in my possession.

**एक माननीय सदस्य** : वे एक दफा अपना राइट दूसरों को दे चुके ।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने समय समय पर सैशन के समय को बढ़ाया है। अगर हम आज भी आधा घन्टे का समय बढ़ा देते हैं तो इससे कोई कन्वेन्शन टूटेगा नहीं और न कोई इनकन्वीनियंन्स ही होगा।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : हाउस की एक बार सेन्स ली जा चुकी है।

**श्री भैरोंसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष, यह मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मसला है जिसका सम्बन्ध राज्य के सारे कर्मचारियों से है। मैं समझता हूं इस बात का कांग्रेस पार्टी के सदस्य विरोध करें कि उन कर्मचारियों के हित की बात नहीं की जाय तो वे स्वयं इस बारे में विचार करें लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाता है या इसके अलावा इस प्रस्ताव पर एक दिन के लिये और बहस आगे बढ़ा दी जाय तो किसी भी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां सरकार आगे बढ़कर सजेशन्स इन्वाइट कर रही है वैसी स्थिति में हम यदि यहां सजेशन्स देते हैं और उसको नहीं सुना जाता तो मैं समझता हूं यह ठीक नहीं होगा। इस बात का विरोध उप-मंत्री, शिक्षा और वित्त-मंत्री महोदय कर रहे हैं। मैं समझता हूं टीचर्स के मसले के बारे में भी बहुत सी बातें कही जा रही हैं उनको भी इस बारे में सहृदयता रखनी चाहिये।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, शिक्षा) : टीचर्स के मसले पर तो काफी कह दिया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं लेकिन जहां तक मैं सदन की सेन्स समझ पा रहा हूं उससे यही प्रतीत होता है कि अधिकतर माननीय सदस्यों की मन्शा समय बढ़ाने की मालूम नहीं होती।

**श्री भैरोंसिंह** : इसमें तो एक दूसरे को अकॉमोडेट करने का सवाल है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा समय बढ़ाया गया है। लेकिन जहां समय बढ़ाने का सवाल आया उसमें कभी वोट लेने की नौबत नहीं आयी है। इसमें तो आपस में अकॉमोडेट करने का प्रश्न है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिये समय बढ़ाने की मांग है।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक बार फिर मैं सदन की मंशा जानना चाहता हूं। क्या सदन की यह मंशा है कि सदन का समय १५ मिनिट और बढ़ाया जाय ?

("नो-नो" की आवाज)

**श्री भैरोंसिंह** : सदन की सेन्स जानने के लिये डिवीजन करा लें। समय के बढ़ाने का जहां सवाल होता है उसमें वोट लेने का सवाल नहीं होता। जब कभी उधर से समय बढ़ाने की मांग की जाती है, हम अकॉमोडेट करते रहे हैं। अगर उधर वाले माननीय सदस्यों को समय बढ़ाने में आपत्ति है तो डिवीजन करा लें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : हम इस संबंध में डिवीजन कराना चाहते हैं।

**श्री दलपतसिंह ( आबू ):** उपाध्यक्ष महोदय, यों ही इतना टाइम वेस्ट कर दिया। कर्मचारियों के लिये वेल्यूएबल सजेशन्स देने के लिये अपने आपको ही योग्य मानते हैं। अभी तक तो वित्त मंत्री महोदय को बोलने दिया जाता तो कई महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रख देते; यों ही इन्होंने समय वेस्ट किया। इनको पहले पन्द्रह मिनिट दे दिये गये थे, वे इतने में बोल लेते फिजूल ही वाद-विवाद में इतना समय बरबाद कर दिया।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा):** उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट देकर इस बारे में सजेशन्स इन्वाइट किये थे। लेकिन जब हम सदन में इस बारे में सजेशन्स देते हैं तो आप समय देने के लिये तैयार नहीं। आपको तो समय देकर सजेशन्स सुनने चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष:** सदन का समय १५ मिनिट के लिये बढ़ाया जाता है। श्री हांडा अपना भाषण दस मिनिट में ही समाप्त कर दें।

**श्री निरंजननाथ–आचार्य:** Right waived is right lost, that is the procedure. Hon'ble Shri Handa waived his right to speak and passed it on to another Member. So he cannot assert his right at this stage.

**श्री श्योपतसिंह ( हनुमानगढ़ ):** वह उस हालत में दिया गया था जिस समय कि उनको बोलने का कम समय था।

**श्री उपाध्यक्ष :** Order ! Order !! माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे छोटे-छोटे पोइन्ट्स को प्रेस्टिज पोइन्ट न बनायें। श्री हांडा १० मिनिट तक अपना भाषण देंगे, उसके बाद वित्त-मंत्री इस बहस का जवाब देंगे।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १९५० और ५६ के अन्दर जनरल नेशनेलाइजेशन ऑफ सेलरीज हुई, उस समय पांच रुपये का इन्क्रीमेंट दिया गया था। उसके बाद जुलाई, १९६० में रावत कमेटी का निर्माण हुआ। उस कमेटी के अन्दर मुख्य रूप से आई०ए० एस० ऑफिसर्स थे। इन लोगों ने मिनिमम सेलरी ५५) रुपये रखी। १५०) तक से नीचे की सेलेरी वालों को १०) रुपये और उससे ऊपर ३००) तक के लिये २०) रुपये महंगाई को सेलेरी में शामिल किया। इस प्रकार से अल्प वेतन कर्मचारियों की ३२०) तक की लिमिट कायम कर दी। मैं अगर यह कहूं कि ३२०) रु० मिनिमम सेलेरी की ४२०) की रिपोर्ट है तो कोई अनुचित नहीं होगा। इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहा जा सकता है, इस ३२०) रुपये मिनिमम की रिपोर्ट को आप ४२०) की रिपोर्ट कैसे कहते हैं ? इसके बहुत ढोल पीटे गये थे हमारे वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री द्वारा कि इस रिपोर्ट के अनुसार लोगों को अच्छी तनख्वाह मिलने लगी है, सब लोगों को फ़ायदा हुआ है। इस प्रकार की घोषणायें मुख्य मंत्री और विभिन्न मंत्रियों ने कई बार की, लेकिन इस रिपोर्ट के डिटेल्स में जायं तो स्पष्ट प्रतीत होगा। किसी भी प्रकार की राहत यह रिपोर्ट नहीं दे पायी है। एक हजार रुपये से अधिक की जितनी भी सेलेरी थी उनकी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सेलेरी में दो सौ परसेन्ट, चार सौ परसेन्ट और पांच सौ परसेन्ट तक की वृद्धि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बातें कहते हैं, लेकिन एन्टी करप्शन विभाग की एक्टीविटीज पर विचार करते हैं तो कभी भी एन्टी-करप्शन विभाग द्वारा कोई एस०डी०एम०, कलेक्टर या कोई आई०ए०एस० ऑफिसर को पकड़ा गया हो, यह बात नहीं सुनी। यदि किसी को पकड़ते हैं तो चपरासी को या क्लर्क को या पटवारी को। आज जब कि भ्रष्टाचार को मिटाने की बातें करते हैं तो भ्रष्टाचार के मिटाने का मूल सिद्धान्त में उपस्थित करता हूं। यह भ्रष्टाचार ऊपर से पैदा होता है या नीचे से पैदा होता है? सदन के उस ओर बैठने वाले लोग डिप्टी मिनिस्टर्स में, जब वृद्धि होने की घोषणा हुई, जहां एक डिप्टी मिनिस्टर पर सालाना चालीस हजार का खर्च होता है। तीनों डिप्टी मिनिस्टर्स का खर्चा मिलाकर सालाना सवा लाख रुपया से ऊपर खर्चा आता है।

और मैं अर्ज करूं कि कोई भी कांग्रेसी सदस्य आज बड़े फक्र से कह सकता है कि हममें से हरेक पांचवां आदमी राजस्थान का मन्त्री है और इसके लिये अपने बगल में पत्रा दबाये अपने भाग्य का चक्र ज्योतिषियों को दिखाते फिर रहे हैं।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):** उपाध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से सदस्यों के बारे में कह रहे हैं, सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये जरूरी है कि उन्हें इससे रोका जाय। आप पार्टी के बारे में कुछ भी कहें, पर सदन के माननीय सदस्यों के बारे में इस तरह से कहना अलाउ नहीं किया जाना चाहिये।

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द):** माननीय सदस्य भी क्यू में खड़े हैं क्या?

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष:** Order, please! Order!!

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा:** जब राजस्थान के १ लाख १७ हजार छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह में ५) बढ़ाने का प्रश्न आया तो कहा गया कि इससे १ करोड़ दो लाख का बोझा हमारी कमजोर एक्सचेकर पर पड़ेगा। रावत कमेटी ने इस बोझ को बहुत महसूस किया, पर दूसरी तरफ इन आई० ए० एस० और आर० ए० एस० अफसरों की तनख्वाह में अनाप-शनाप वृद्धि से पड़ने वाले बोझे को एक्सचेकर पर बोझ नहीं महसूस किया। इसमें तड़फन उन्होंने नहीं महसूस की जैसी उन अल्प वेतन पाने वालों के बारे में की। एक ओर जिनको ऊंची तनख्वाहें मिलती हैं उनकी कम करने के बजाय बढ़ाई और दूसरी ओर जालसाजी करके नये ग्रेडों के नाम पर छोटे कर्मचारियों के पेट पर लात मारते हैं, उनकी जिन्दगी को जहर बनाते हैं।

हम इससे बच सकते हैं। एक्सचेकर को भी लाभ दे सकते हैं और ईमानदारी से छोटों की तनख्वाह बढ़ा सकते हैं। पर इस बारे में उस रावत कमेटी ने सोचना अपना कर्त्तव्य नहीं समझा। उसने तो स्पष्ट किया कि चूंकि ५५) में एक चपरासी आम तौर पर मिल सकता है, यह चपरासी एक ऐसी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जिन्स है कि जो ५५) में बड़ी आसानी से मार्केट में प्राप्त हो सकती है, ५५) में इन्सान खरीदा जा सकता है, इसलिये अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ४५) को मिनिमय वेजेज़ बोर्ड ने भी माना है इसलिये इनको ५५) देना अधिक ही है, इसमें वे जिन्दगी को कायम रख सकते हैं। पर उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह रावत कमेटी नैनीताल के त्रिदलीय सम्मेलन की बात याद करती जिसमें यह कहा गया था, एक आदमी के लिये जिन्दा रहने के लिये २६०० कलोरीज की नितान्त आवश्यकता है और यह २६०० कैलोरीज़ प्राप्त करने के लिये १२५) मिलना जरूरी है, इससे कम में इतनी कैलोरीज़ प्राप्त नहीं कर सकता। इसको राशनेलाइजेशन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने किया है और ८०), ६०) से कम देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। तो इस पर विचार करने के लिये पे-कमीशन का होना जरूरी है।

इस सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों के लिये बेसिक-पे स्केल स्थिर किये हैं उससे छोटे कर्मचारियों ने कई जगह तो यह महसूस किया है कि जहां सरकार यह कहती है कि उनकी पे स्केल बढ़ गई वहां वास्तविकता तो यह है कि अब तक जो रुपया वे पहली तारीख को लेकर घर जाते थे उसमें कमी हुई है। घर वाली को उसने पहले इत्तला दी थी कि सरकार हमारी बड़ी महरबान हो गई है; माननीय मंत्रीजी का, वित्त मंत्रीजी का भाषण हुआ है, तनख्वाह हमारी बढ़ गई हैं। पर जब तनख्वाह लेकर घर पहुंचता है तो दो-तीन रुपया उसमें कम था क्योंकि जिस प्रकार का एडजस्टमेन्ट स्केल का किया गया है उससे उनका इन्श्योरेन्स कटा और हाउस रेन्ट को मिला कर जो पे घर ले जाता था उसमें दो-तीन रुपये की कमी आई है। घरवालियां यह देख कर वित्त मंत्रीजी को कोस रही हैं।

**श्री गिधारीलाल व्यास** : और आपको आशीर्वाद दे रही है।

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्षजी, जो मुद्दे रावत कमेटी ने रक्खे हैं उनमें कुछ मुद्दे वाकई विचारने सोचने के काबिल हैं और कुछ के बारे में जो कहा गया है उसमें प्रोपेगण्डा के सिवाय कुछ भी नहीं है।

मैं सदन का ध्यान सरकार के उस १६६० के निर्णय की तरफ खींचना चाहता हूं जब सरकार ने निजी तौर पर सेक्रेटेरियेट लैवल पर एक कमेटी बनाई। इसलिये कि वह देखे कि जो यूनिफाइड पे स्केल के दौरान में करीब १३६ पे स्केल्स थीं उनको किस तरह से सिम्पलीफाई किया जावे और अगर हो सके तो कुछ एम्प्लॉईज़ को भी माली इमदाद मिल जावे तो मौजू हो।

यह रिपोर्ट कमेटी ने जब तैयार करना शुरू किया तो उसने मुनासिब समझा, थोड़े दिनों के बाद एक इन्टेरिम रिलीफ की जाय और वह थी ५) की। सरकार ने उनकी इस इन्टेरिम रिलीफ की सिफारिश को मन्जूर किया और करीब उन एम्प्लॉईज को जिनका वेतन ३००) तक था ५) की वृद्धि की गई।

बहस के दौरान में कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा असर डालने की कोशिश की कि जैसे

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कि यह कमेटी सदन के कहने पर या इशारे पर बैठी थी। बहतर तो यह होता कि इस किस्म की रिपोर्ट, जिसका कि कोई ताल्लुक इस सदन से न डाइरेक्टली है न इन्डाइरेक्टली था वह सदन की मेज पर न रखी जाती और वैसे सदन को अख्तियार है कि जब कभी चाहे वह प्रस्ताव के रूप में कमीशन की मांग करना चाहे तो वह करे। पर वह रिपोर्ट जिसका ताल्लुक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से है और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी सहूलियत के लिये एक रिपोर्ट ली उसका इस सदन पर आना मेरे लिहाज से कोई ज्यादा मौजू नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): आपका कहने का यह मतलब है कि जिन्होंने इस रिपोर्ट को सदन के सामने रक्खा उन्होंने गलती की।

**श्री बालकृष्ण कौल**: मैंने अपनी राय दे दी।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): आप अपनी राय नहीं दे सकते। आप सरकार के एक हिस्से हैं। जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है आपकी। आपकी राय गवर्नमेन्ट की राय हो सकती है।

**श्री योगेन्द्रनाथ ढांडा** (रायसिंहनगर): क्या आपकी राय गवर्नमेन्ट की राय से भिन्न है।

**श्री बालकृष्ण कौल**: अगर वे अपनी राय कन्फाइन करते, जिन मुद्दों पर यह रिपोर्ट मुरत्तिब हुई तो ज्यादा मुनासिब होता।

बाज माननीय सदस्य तो इतने आगे बढ़े कि यह भी उन्होंने नहीं देखा कि वे क्या कह रहे हैं। मुझे माफ करियेगा चूंकि पर्सनल रेफरेन्स था इसलिये मेरे लिये इसका जवाब देना लाजिमी है। एक-दो माननीय सदस्यों ने यह कह डाला कि यह वित्त मन्त्री जब अजमेर में था तो उन्होंने भूख हड़ताल कर डाली अजमेर कर्मचारियों के लिये।

**श्री भैरोंसिंह**: नोटिस दिया था, भारत सरकार को लेटर लिखा था।

**श्री बालकृष्ण कौल**: मुझे इतना अर्ज करना है कि वे वाकयात से वाकिफ होते तो इस किस्म की असंगत बात नहीं करते। उनको यह मालूम होना चाहिये कि जिसने भूख हड़ताल की थी उसका क्या उद्देश्य था और क्या कारण थे? कारण यह थे कि गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ने अजमेर गवर्नमेण्ट के साथ जो फैसले किये थे उनको निभाया नहीं गया था। अगर निभा देती तो सवाल भूख हड़ताल का उठता ही नहीं।

(५ म० प०)

तो यह एक इन्जस्टिस था...

**श्री भैरोंसिंह**: राजस्थान गवर्नमेंट का?

**श्री बालकृष्ण कौल**: राजस्थान गवर्नमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह**: किसका इन्जस्टिस था?

**श्री बालकृष्ण कौल**: यह इन्जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था जिन्होंने वायदा किया था, आश्वासन दिया था और उन्होंने पूरा नहीं किया था।

**श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : यह कमेटी पूरा कर रही है क्या ?

**श्री भैरोंसिंह** : वह प्रोटेस्ट आपकी तरफ से अब भी चालू है क्या ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप वही पूछें जो कि इससे मेल रखती हो। वह असंगत है, इसलिए आप अगर कोई जानकारी करना चाहें अजमेर के मामलात में तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं और फिर इस्तेमाल करें तो मुनासिब है।

तो सवाल यह है ···

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : क्या अजमेर के कर्मचारियों के साथ अब भी आपकी उतनी ही सहानुभूति है, या वह प्रोटेस्ट खत्म हो गई है केबिनेट में बैठने के बाद ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : वह इस बात से ताल्लुक नहीं रखता है रावत रिपोर्ट से।

**श्री भैरोंसिंह** : इसलिए नहीं रखती है कि आप मंत्रिमंडल में आ गये ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : मैं इस वक्त यह कह रहा था···

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, वह ताल्लुक रखती है। यहां पर यह प्रश्न उठ चुका है। ताल्लुक नहीं रखता, ऐसा कहने के बजाय आप यह बतलाने की कृपा करें कि इस मामले में आपको संतोष हो गया या नहीं ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : माननीय सदस्य ने एक जानकारी की कि जो रावत कमेटी से ताल्लुक नहीं रखती है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : यह प्रश्न उठ गया है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि मुझे अभी तक संतोष नहीं है और मैं आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अजमेर के कर्मचारियों के संबंध में बातचीत कर रहा हूं।

खैर मेरा कहना यह था कि जिन माननीय सदस्य ने अजमेर के कर्मचारियों के मामले को लेकर यहां रखा है मैं नहीं कह सकता कि उनका क्या मकसद था ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (जौहरी बाजार, जयपुर) सही था।

**श्री बालकृष्ण कौल** : लेकिन उनके जुजबात यह थे कि वे मेरे नाजुक दिल पर हमला करें और मेरी भावनाओं को उत्तेजित करें तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर) : हमको क्या मालूम था कि आपका दिल इतना नाजुक है कि वह टूट जायगा।

**श्री हरिराम चौहान** : ५५) रु० का क्या आधार है, महरबानी करके यह बतादें। लाखों कर्मचारियों की रोटी छीनकर इनको दे रहे हैं और आपके दिल पर असर नहीं हुआ, बड़ा अफसोस है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : कृपा बाद में करूंगा जब अपना भाषण दे लूंगा।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : यह 'कृपा' क्या चीज है, जो आप देंगे बाद में ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : कृपा किस हिसाब से करेंगे ?

**श्री बालकृष्ण कौल :** श्रीमान्, मैं अब कुछ मुद्दों पर आता हूँ। बहुतसा जोर था माननीय सदस्य का एक सर्विस पर। वह सर्विस आई०ए०एस० सर्विस थी। जहां तक आई० ए० एस० सर्विस और स्टेट का ताल्लुक है उसका रिश्ता है कुछ नियमों से। और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि उनकी सर्विस को खाली स्टेट ही कन्ट्रोल नहीं करती है। कोई और पॉवर भी ऐसी है जो इसको कन्ट्रोल करती है······

**श्री मानसिंह महार :** उससे आप नाखुश हैं ?

**श्री बालकृष्ण कौल :** मुझे आप बोलने दें, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है।

**श्री मानसिंह महार :** और बढ़ा देंगे।

**श्री बालकृष्ण कौल :** इसलिए जितना हमला था वह आई०ए०एस० ऑफिसरों पर था और जितना रहम था वह फोर्थ क्लास सर्विस पर। जहां तक क्लास फोर्थ सर्विस का ताल्लुक है मैं माननीय सदस्यों को यह कह दूं कि जितना उनको दर्द है उससे कम हमको भी नहीं है···

**एक माननीय सदस्य :** कर क्या रहे हैं?

**श्री हरीराम चौहान :** बजट बनाकर बता दें आज की महंगाई के जमाने के मुताबिक।

**श्री बालकृष्ण कौल :** इसलिए जहां माननीय सदस्य ने दर्द के लिहाज से इतनी तकरीरें करीं होतीं तो हो सकता था और मैं समझता कि वे तकरीरें वाजिब हैं अगर दूसरी सर्विसेज़ पर हमला नहीं करते। दूसरी सर्विसेज़ पर हमला करें और चौथी श्रेणी की सर्विसेज़ के लिए कहें तो मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं मालूम होता। मैं आपसे अर्ज करूं कि थोड़ा आप आंकड़ों की तरफ जाइये। जिस वक्त राजस्थान सरकार ने ५) इन्टरिम उनको तरक्की दी तो आपको सोचना चाहिए कि उसका स्टेट बजट पर कितना खर्चा होता है। आपसे अर्ज करूं कि ५) के मायने १ करोड़ का खर्चा बढ़ा है।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : वह एक करोड़ भारत सरकार से मिला था।

**श्री बालकृष्ण कौल :** नहीं मिला, कम मिला।

**श्री भैरोंसिंह :** आपने क्या अहसान कर दिया ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार, जयपुर ) : सेन्ट्रल पे कमीशन ने रिकमन्ड किया था।

**श्री बालकृष्ण कौल :** हुजूर सुनें।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** यह क्या पार्लियामेंट्री शब्द है 'हुजूर'। यह अनपार्लियामेंट्री शब्द है इसको निकाल दें आप।

**श्री उपाध्यक्ष :** Order please ?

**श्री बालकृष्ण कौल :** इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि ५) रु० की वृद्धि के मायने १ करोड़ हैं। अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें कि सब आई० ए० एस० ऑफिसर्स की तनख्वाहों को अगर आप···

**श्री भैरोंसिंह :** उनकी···

**श्री बालकृष्ण कौल :** आप सुनें। क्यों घबराहट है आपको ? जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : आप भी बोल लेते। हमने मना थोड़े ही किया था।

**श्री बालकृष्ण कौल :** तो मैं यह कह रहा था कि आई० ए० एस० ऑफिसर्स पर जितना खर्च होता है उनकी तनख्वाहों को बढ़ाते हैं तो १,२५,०००) रु० महीना होता है।

**श्री भैरोंसिंह :** ३२०) रु० के ऊपर के लिए आप बताइये।

**श्री बालकृष्ण कौल :** आई० ए० एस० पर हमला था। उसको जरा सुनें, और देखें कि चौथी श्रेणी के लोगों पर ३७ लाख रुपया महीना खर्च होता है। इसलिए अगर आई० ए० एस० ऑफिसर को जड़-मूल से खत्म करना है तो आप इन सब की जितनी सर्विसेज़ हैं आपको छुट्टी देनी चाहिए तो भी सिर्फ १० आना महीना उनका बढ़ेगा।

**श्री मानसिंह महार :** जड़-मूल से खत्म करने का क्या मतलब है ? क्या उनको कत्ल कर दिया जाय ?

**श्री बालकृष्ण कौल :** जितनी आप में समझने की शक्ति है उस हिसाब से आप समझ लें।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : आप बड़-भाषा में भाषण दे रहे हैं।

**श्री बालकृष्ण कौल :** इसलिए जिन माननीय सदस्य का इस पर हमला है, वे शायद तसव्वुर से खेल रहे थे, न कि हकीकत का मुकाबला कर रहे थे इसलिए मैं माननीय सदस्य से अर्ज कर रहा था कि जो फेक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं उनको समझिये, और अगर आपके पास में आंकड़े नहीं हैं तो आइये मेरे पास। मैं उनको दावत देता हूं कि हर आंकड़ों से उनकी वाकफियत करा दूं।

**श्री मानसिंह महार :** आपने रावत कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं दी ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** दावत क्या दें रावत कमेटी की रिपोर्ट दें।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : सारे लोगों ने आई० ए० एस० ऑफिसर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। इनसे ऊपर के जो कर्मचारी हैं जिनके बारे में कहा था उनके डिटेल आप बता दें।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** तो Was it not your duty to put all the facts before the discussion started ?

**श्री हरिराम चौहान** ( तिजारा ) : मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में कहा गया था उसके बारे में बता दें।

**श्री बालकृष्ण कौल :** इसका तो माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, क्योंकि वित्त मंत्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

**एक माननीय सदस्य :** मंत्रि मंडल के विस्तार का क्या असर पड़ा है ?

**श्री मानसिंह महार :** क्या मंत्रि मंडल के विस्तार के बारे में फाइनेन्स मिनिस्टर से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सलाह ली थी ?

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : कितना फण्ड्स पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में सलाह ले ली थी क्या ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : इसमें फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम की जरूरत नहीं होती है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : फाइनेन्सेज पर क्या असर पड़ेगा मिनिस्ट्री के एक्सटेन्शन से, उसको एलाउ करना चाहिये यह सलाह दी थी क्या ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : आपको मालूम होना चाहिये कि मुख्य मंत्री सब चीजों से वाकिफ हैं और हर मामले को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिये क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं वे यह भी जानते हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : आपसे सलाह नहीं ली थी ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : सलाह ली तो भी बताने की आवश्यकता नहीं।

**श्री हरिराम चौहान** : इस संबंध में सलाह दी थी या नहीं।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : सलाह ली तो क्या आपने यह सलाह दी कि इसका विस्तार करना उचित नहीं है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : Order! Order please!!

**श्री बालकृष्ण कौल** : श्रीमान्, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का ताल्लुक है मैं जरा सा माननीय सदस्यों का ध्यान उस पुराने उनकी तनख्वाहों की तरफ लागू कराना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि उनकी १-४-५० को क्या तनख्वाहें थीं ? यदि आप उसको देखें तो तनख्वाह थी ३७) मिनिमम....

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : महंगाई को भी साथ ही साथ देखिये।

**श्री बालकृष्ण कौल** : उनकी तनख्वाह आज मिनिमम ५५) है और मेग्जिमम ८०) है। यदि आप देखें तो जो सन् ५० में उनकी तनख्वाह थी उससे आज डबल हो गई है।....

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : ओन ए पोइंट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, इसके साथ साथ यह भी बताइये कि सन् ५० में आई०ए०एस० ऑफिसर्स की कितनी तनख्वाह थी और आज कितनी है ?

**श्री हरिराम चौहान** : और महंगाई पहले से कितनी बढ़ गई है, पहले, उनको आवश्यकतानुसार साबुन, तेल, कपड़ा आदि मिलते थे आज उसी मुकाबले में उतना ही उनको मिल रहा है क्या ? हिसाब लगाकर बताइये।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उपमंत्री, शिक्षा) : On a point of order, Sir, It has been a practice and convention in the House that point of information and points of clarification—they can have only on the conclusion of the debate.

**श्री उपाध्यक्ष** : When the Hon'ble Member is in possession of the floor there should be no interruptions. This has been our tradition and that is what the Rules say.

**श्री बालकृष्ण कौल** : इसके माने यह नहीं समझे जायं कि मैंने जो आंकड़े दिये हैं मेरी हमदर्दी छोटी श्रेणी के कर्मचारियों के साथ नहीं है। मैं वाकयात आपके सामने रख

(श्री बालकृष्ण कौल)

रहा हूं । जिस वक्त, वक्त आवे कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये उसकी रोशनी में आपको सोचना चाहिये तब मैं भी आपके साथ हूं ।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि टोटल १०) माहवार की और वृद्धि होनी चाहिये । जैसा कि अभी मैंने कहा ५) बढ़ाने से सिर्फ १ करोड़ रुपयों का खर्चा बढ़ा है और आपको मालूम है सेल्स टैक्स की आमदनी ४ करोड़ है। यदि आप १०) बढ़ाना चाहते हैं तो इसके माने २ करोड़ रुपये हुए । यदि माननीय सदस्य तैयार हों कि २ करोड़ का सेल्स टैक्स बढ़ाया जाय तो मैं भी विचार कर सकता हूं……

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी-बाजार, जयपुर) : ३ करोड़ का टैक्स इवेजिव है इसमें ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बढ़ा दीजिये, हम तैयार हैं ।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please !

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : ११ करोड़ की बकाया है उसको वसूल करने के बाद भी टैक्स बढ़ाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है पोइन्ट ऑफ ओर्डर के जरिये कि भाषण के उपरान्त ये प्रश्नोत्तर हों तो ठीक है, नहीं तो तारतम्य टूट जाता है ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : सवाल यह है कि वे कहते हैं तो हमको भी कहना पड़ता है । वे मजबूर करते हैं यह कह कर कि इतना बढ़ाने को तैयार हो तो इतनी तनख्वाह बढ़ाने तैयार हूं तो मैं कहता हूं कि हम सब तरह से तैयार हैं ।

**श्री बालकृष्ण कौल** : मैंने यह नहीं कहा है । मैंने यह कहा है कि यदि आप २ करोड़ का सेल्स टेक्स बढ़ाना चाहें तो इस पर विचार हो सकता है ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आपने पूछा तब जवाब दिया है, अब पलट रहे हैं आप ।

**श्री भैरोंसिंह** : इनसे पूछ कर मंत्रीजी फिर से विचार कर लें ।

**श्री बालकृष्ण कौल** : मैंने यह कहा था कि इस मसले पर विचार किया जा सकता है ।

एक माननीय सदस्य ने यहां तक कह डाला कि जितनी आपकी सर्विसेज की, आई० ए० एस० वगैरह की, वे सब लोकली रिक्रूट कर लिये जायं ताकि बाहर से कोई आई० ए० एस० इम्पोर्ट नहीं हो सके । मैं माननीय सदस्यों से अर्ज कर देना चाहता हूं कि यदि यह मेरे अख्त्यार में हो और यहां की सरकार के अख्त्यार में हो कि यहीं से सब रखलिये जायं और बाहर से इम्पोर्ट नहीं हों तो करने में गुरेज नहीं हो सकता । लेकिन गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर्स हैं उनके मुताबिक ५० प्रतिशत तो बाहर से आयेंगे । इसलिये इस किस्म की जो बातें माननीय सदस्यों ने हाउस में आगे रखीं, बहतर यह होता कि कुछ इसकी जानकारी होती तो ज्यादा इन्साफ होता………

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, समय १५ मिनिट का खत्म हो गया, और बढ़ाया जाय।

**एक माननीय सदस्य :** खत्म किया जाय, बहुत कहानी सुन ली।

**श्री उपाध्यक्ष :** क्या सदन की मंशा है कि समय और बढ़ाया जाय ?

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : हमारी तरफ से तो १ घंटा और बढ़ाया जाय••••

( शोरगुल )

**श्री उपाध्यक्ष :** Order please!!

सदन का समय माननीय मंत्री जवाब देंगे तब तक बढ़ाया जा रहा है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** सदन कितना लिबरल है ? समय बढ़ा दिया, अब तो आप तनख्वाह चौथाई बढ़ा दें।

**श्री बालकृष्ण कौल :** एक माननीय सदस्य ने थोड़े जजबात के साथ टीचर्स के मामले के ऊपर कुछ कहा। मैं समझता हूं जहां तक उनके कहने का मकसद था, उनके कुछ केसेज ऐसे हैं जो अटके हुए हैं और उनका जल्दी तर्सफिया हो। मैं माननीय सदस्य से इतना निवेदन करना चाहता हूं शायद हाल, मैं तहकीक से नहीं कह सकता, एक आध दिन में यदि आये हों ऐसे केसेज फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो इस किस्म के केसेज आयेंगे, जो कंपलीट होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट्स तो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में वे कम से कम टाइम में डिस्पोज ऑफ कर दिये जायेंगे।

उन्होंने ग्रेड्स के बाबत भी कुछ कहा था। ग्रेड्स पहले जिस किस्म के थे, जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, पहले करीब १३६ ग्रेड्स थे सब सर्विसेज के, उनको सिम्पलीफाई करके अब ३६ कर दिये······

**एक माननीय सदस्य :** अब ३० कर दिये।

**श्री बालकृष्ण कौल :** ३६ कर दिये। अब टीचर्स को तीन श्रेणियों में बांट दिया; एक नोन मेट्रिक, एक मेट्रिक ट्रेंड और एक ट्रेन्ड ग्रेज्युएट••······

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : पंचायत समितियों में कौनसे आते हैं ?

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े होते हैं।)

**श्री उपाध्यक्ष :** The Hon'ble Members will rise on a point of order or on a point of information and not otherwise.

**श्री भैरोंसिंह :** On a point of information, मैं वित्त मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि मैं तहकीक नहीं कह सकता; लेकिन शायद एक भी मामला टीचर्स का आपके पास नहीं आया तो क्या आप यह बतायेंगे कि आपकी ट्रेजरीज फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की पार्ट एंड पार्सल नहीं हैं ? एक और बात बता दीजिये···

**श्री उपाध्यक्ष :** Yes. There is one point of information now.

**श्री बालकृष्ण कौल** : मैं अर्ज कर रहा था, टीचर्स के मुताल्लिक कि अब उनको तीन श्रेणियों में बांट दिया है। यह भी आश्वासन दिया है सदन में कि ज्योंही फाइनेन्स के कंपलीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स होंगे तो देरी नहीं होगी। यदि कंपलीट नहीं होंगे तो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट मजबूर होगा ऐसे केसेज को वापिस करने में। कम्पलीट केसेज के लिये मैं कह सकता हूं कि हम उनको मंजूर कर लेंगे।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : ऑन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, सम्माननीय वित्त-मंत्रीजी ने यह बताया है कि केसेज इन्कंपलीट होंगे तो नहीं दिया जायगा। सवाल यह है, इतने लाख रुपयों के एरियर्स देने बतलाये गये हैं। यदि यह सही है तो उनको तनख्वाएं नहीं मिली हैं तो यह हुकूमत जिसका फाइनेन्स डिपार्टमेंट भी पार्ट है, पेपर्स कंप-लीट करने वालों का या इन्कंपलीट रखने वालों का, तो जिम्मेदारी फाइनेन्स मिनिस्टर और उनसे रहती है या नहीं यह देखने की कि उनको तनख्वाह क्यों नहीं बांटी गई और क्यों उनके रेकॉर्ड्स इन्कम्पलीट रह गये और कितने ऐसे लोगों के लाखों रुपये सरकार पर चढ़े हुए रह गये, उनको बांटने में कामयाबी न होने की जिम्मेदारी कैसे दूर हो जायगी सरकार से?

**श्री बालकृष्ण कौल** : माननीय सदस्य को इतना अर्ज कर दूं कि इसकी जिम्मेदारी फाइनेन्स पर नहीं, इसकी जिम्मेदारी एड-मिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर है और फाइनेन्स डिपार्टमेंट उतनी ही जिम्मेदारी लेता है जितनी कि उसकी कायदे के माफिक जिम्मे-दारी है ........

**श्री भैरोंसिंह** : इसका मतलब यह है कि अब तक जो कुसूर हुआ है, वह शिक्षा मंत्री, हरिभाऊजी, जो अजमेर के हैं, उनका है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक): क्या इसमें...............

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : अजमेर को क्यों टारजेट बनाते हैं? अजमेर का कोई कुसूर नहीं। अजमेर का नाम कैसे लेते हैं?

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होती है, कैबिनेट की है और किसी डिपार्टमेंट से गलती रह भी जाय तो भी यह जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है। उसके दृष्टिकोण से मंत्री महोदय को कहना चाहिये। यह नहीं कहना चाहिये।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उनकी कैबिनेट में जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : मुझे क्या कहना चाहिये या नहीं कहना चाहिये, इसको मैं बखूबी जानता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। अर्ज यह है.........

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : उप-मंत्री, शिक्षा बैठे हुए हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और फिर कुछ कह सकते हैं ताकि हम उन गरीबों को जाकर कुछ कह सकें।

**श्री बालकृष्ण कौल** : माननीय सदस्य कोई प्रश्न रखें तो उसके जवाब में पूरा जवाब मिल जायेगा। इसलिये डिबेट में आप हर डिटेल को यदि जानना चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि आप मायूस हो जायेंगे.....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** मायूस तो पहले ही हैं ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** अच्छा होता कि शिक्षा के उप-मंत्रीजी जवाब देते ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :** मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा होती गई । मायूसी बढ़ रही है ।

**श्री बालकृष्ण कौल :** जितने सवालात किये जा रहे हैं उनसे सिद्ध होता है कि मैं ही नहीं, माननीय सदस्य भी थके हुए हैं और विनोद की तरफ जा रहे हैं । मैंने जो सवाल पेश किये गये, उनका जवाब दे दिया है............

**श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) :** और दीजिये, साहब ।

**श्री बालकृष्ण कौल :** अगर उनके सामने और प्रश्न होते और कभी उनके सामने आयें, तो वे मेरे सामने उपस्थित होंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा । पेश्तर इसके...

**श्री मुरलीधर व्यास :** On a point of information. एक बात रह गई है......

**श्री बालकृष्ण कौल :** पेश्तर इसके कि मैं अपनी जगह बैठूं, मैं माननीय सदस्यों से इतना अर्ज कर देता हूं कि जहां तक हमारे कर्मचारियों का ताल्लुक है, उनकी तनख्वाह में वृद्धि का ताल्लुक है, वह एक ऐसा प्रश्न है कि जिससे हम सब लोग परेशान हैं, दुखित भी हैं, लेकिन हमारी जो स्टेट है, उस स्टेट की माली हालत देखते हुए और जो कमिटमेंट हैं डेवलपमेंट के, उनका लिहाज रखते हुए हमारी मजबूरी होती है कि जितना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं वह नहीं बढ़ा पाते हैं । इसलिये आपसे यह उम्मीद है कि आप सरकार की मदद करेंगे । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, यहां इवेजन है, मैं उनको दावत देता हूं कि वे इवेजन में हमारी मदद करें और उस इवेज़न से जो रुपया आये उससे सरकार की माली......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इवेजन में मदद नहीं दे सकते । हम इवेज़न में मदद नहीं दे सकते ।

**श्री बालकृष्ण कौल :** मैं अर्ज कर रहा हूं कि इवेजन जो होता है, उसको रोकने में जितनी वे मदद दे सकते हैं वह दें......

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** Corrected.

**श्री बालकृष्ण कौल :** कोई बात नहीं है । जुबान है, जुबान फिसल भी जाया करती है ।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अर्ज कर रहा था......

**श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :** On a point of information, Sir, मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पंचायत समिति के जो टीचर्स हैं, उनकी पे स्केल्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है और रावत कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें भी कोई विवरण नहीं आया है । वे बेचारे इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स और पंचायत समिति के टीचर्स हैं, उनकी ग्रेड हैं, उनमें भी बड़ा भेद है । उनका एक दिन का अपोइन्टमेंट है और क्वालिफिकेशन भी एक हैं लेकिन उनकी तनख्वाह में बीस बीस रुपये का फर्क है । मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में स्पष्टीकरण दें ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): टीचर्स के लिए "बेचारा" शब्द इस्तेमाल किया है. वह अनपार्लियामेन्ट्री है। उन्होंने 'बेचारा' शब्द इस्तेमाल किया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या वित्त मंत्रीजी....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह भोलाभाला शब्द है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : एक माननीय सदस्य ने, पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन कहिये, वह ज्यादा मुनासिब है, उठाया उसके सम्बन्ध में मैं इतना अर्ज कर दूं कि उनकी ग्रेड्स में कोई अन्तर नहीं है। उनको भी वही ग्रेड मिल रही है, जो कि दूसरे स्कूलों में मिल रही है।

**श्री नत्थीसिंह** : नहीं मिल रही है। मैं मिसाल पेश कर सकता हूं, पचास मिसालें पेश कर सकता हूं।

**श्री बालकृष्ण कौल** : मेरी बात सुन लीजिये।

**श्री नत्थीसिंह** : मैं आपको सौ मिसालें पेश कर सकता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, प्रतिवाद करने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक सूचना चाही, उसका माननीय मन्त्री ने जवाब दे दिया, अब आप उनको सुनें।

**श्री बालकृष्ण कौल** : मैं कह रहा हूं उनकी ग्रेड्स के बाबत। उनको वह मिल रही है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी फाइनेन्स डिपार्टमेंट की नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बात करिये कि उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। जहां तक पे स्केल्स का ताल्लुक है, मैं आपसे कह रहा था, वह वही है जो तीन श्रेणियां मैंने आपके सामने रखीं। इसलिए अगर आपको....

**श्री नत्थीसिंह** : इसका मतलब है कि उनको इन्क्रीमेंट नहीं मिला। इसलिए जिस ग्रेड में तनख्वाह देते हैं उसमें गड़बड़ी है।

**श्री भैरोंसिंह** : राशनेलाइज़ेशन ऑफ पे स्केल्स के हिसाब से उनका फिक्सेशन नहीं हुआ होगा। रेट्स एक ही है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : इसके बाद मुझे आप इजाजत दें मुझे इस रावत कमेटी के ऊपर, जो अभी मेरे लिये ही एक सिरदर्दी है....

**श्री भैरोंसिंह** : रावत कमेटी ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : रावत कमेटी की रिपोर्ट। गवर्नमेंट ने फैसला किया है, उस पर नहीं, रावत कमेटी की रिपोर्ट के लिये कह रहा है, वह मेरे लिये ही सिरदर्द है। वह हो सकता है कि माननीय सदस्यों के लिये भी हो, लेकिन सिर्फ सिरदर्द होने पर सिर पकड़ने से काम नहीं चल सकता। माननीय सदस्य....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एस्प्रो की टिकिया ले लें।

**श्री बालकृष्ण कौल** : माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि आप इसे पढ़े और जिस जल्दी से इस पर बहस कर डाली वह न करते हुए और समय लेते और इस पर कन्स्ट्रक्टिव बहस होती तो ज्यादा मुनासिब होता.....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** एक तारीख अपोइन्ट कर लें।

**श्री बालकृष्ण कौल :** लेकिन अब बहस हो चुकी। मैं निवेदन करूंगा कि अपनी रियासत की आमदनी की रोशनी में जो सुझाव आयेंगे, मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि उस पर विचार किया जा सकता है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय····

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** क्या वित्त मंत्रीजी····

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** One at a time.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, जिसमें सब माननीय सदस्य रुचि रखते हैं······

**श्री उपाध्यक्ष :** The House is adjourned till 11 O'clock tomorrow.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५.२६ बजे, वृहस्पतिवार, दिनांक १८ अक्टूबर, १९६२ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

# संक्षिप्त–विवरण

( बुधवार, दिनांक, १७ अक्टूबर, १६६२ )

स्कम्भ

**तारांकित प्रश्नों के शीर्षक** १४३५

निम्बाहेड़ा की कॉटन फैक्ट्रीज़ के मजदूर।

सूअरों के विकास की योजना।

पुराने मुस्तकिल आवियानों की और नई पिलाई की दरों की वसूली।

रावतसर-नोहर सड़क।

दिल्ली-जयपुर बस सर्विस का किराया।

अनियमितताओं सम्बन्धी जांच।

कोटा-लश्कर सड़क निर्माण।

अकबरपुर के पास स्थान बारां पर बांध के लिये सर्वेक्षण।

विद्युत्-मंडल द्वारा भरे जाने वाले आय कर नक्शे।

गन्ने की बुवाई।

गंगापुर अस्पताल।

ओवरसियर तथा डिमॉन्स्ट्रेटर व इन्सपेक्टर के वेतन ग्रेड में अन्तर।

नहरों पर पुलिया निर्माण।

स्कम्भ

नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप।

जल-प्रदाय योजना हेतु सर्वे।

चम्बल योजना के केन्द्रीय स्टोर द्वारा सामान का अधिकृत विक्रय।

बिजली देने की योजना।

गंगाशहर नगरपालिका क्षेत्र में रिहायसी जमीन।

कॉज़वे का निर्माण।

दूकानों एवं वाणिज्य संस्थानों का निरीक्षण एवं नियंत्रण-कार्य।

भवनों की खरीद।

वाटर वर्क्स विभाग के बिलों के भुगतान हेतु निर्धारित समय।

मकानों व दूकानों के किराये और बेदखली पर नियंत्रण।

नगरपालिका द्वारा झालावाड़ में निर्माण कार्य।

चाकसू-कोट खावड़ा सड़क।

जयपुर नगर में जमुवा रामगढ़ बांध से पानी।

स्तम्भ

राजस्थान विनियल एन्ड केमिकल इन्डस्ट्री, कोटा

२. याचिका का उपस्थापन १४८९

श्री पोहूमल ईसरदास, सदस्य, विधान सभा, ने ऑफिशियल रिसीवर इन्सोल्वेन्सी कोर्ट अजमेर (Official Receiver Insolvency Court, Ajmer) को दिये जाने वाले कमीशन की दर संबंधी एक याचिका का उपस्थापन किया।

३. विधायी-कार्य

राजस्थान विधिनिरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२ १४९०

श्री रामानन्द अग्रवाल के इस औचित्य प्रश्न पर कि विधेयक द्वारा कई अधिनियमों में संशोधन किया जाना नियमानुकूल नहीं है, उपरोक्त विधेयक के पुरःस्थापन को आस्थगित किया गया।

४. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना १४९१

श्री श्योपतसिंह, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत राजस्थान के भाकड़ा क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को एलॉट की गई भूमि से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्तम्भ

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री, राजस्व विभाग ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

५. आधे घन्टे की चर्चा १५००

गांधीसागर बांध के बिजलीघर की बिजली का उपयोग करने संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या २८ (५१-पी० डब्ल्यू० एम०) के उत्तर से जो दिनांक १० अक्टूबर, १९६२ को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने आधे घन्टे की चर्चा उठाई।

श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत् मंत्री ने बहस का उत्तर दिया।

६. प्रस्तावों पर विचार

(क) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान, सभा, ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:— १५१९

"The Third Annual Report and the statement of accounts from 1-4-1959 to 13-1-1960 of the National Project Construction Corporation Private Ltd. New Delhi laid on the Table of the House on 26-3-1962, be taken into consideration."

इस प्रस्ताव पर किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:-

१. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
२. श्री गिरधारीलाल व्यास

३. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा

४. श्री मुरलीधर व्यास

सरकार की ओर से श्री भीखाभाई, सिचाई मंत्री एवं श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने उत्तर दिया।

(ख) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सदस्य विधान सभा, ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:– १५६६

"राज्य कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलाओं संबंधी "रावत कमेटी" की रिपोर्ट पर, जिसकी प्रति दिनांक २६ मार्च, १९६२ को सदन की मेज पर रखी गई थी विचार किया जाय।"

उपरोक्त प्रस्ताव पर किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:–

१. श्री भरोंसिंह

२. श्री मानिकचन्द सुराणा

३. श्री मानसिंह महार

४. श्री मुरलीधर व्यास

५. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा

सरकार की ओर से श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने उत्तर दिया।

सदन की बैठक ५ बजकर २५ मिनट पर दिनांक १८ अक्टूबर, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

### गुरुवार, दिनांक १८ अक्टूबर, १९६२

### की

### कार्य-सूची

(१) राजस्थान विधि निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापन)

(२) राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२ (विचार-विमर्श एवं पारित)

(३) राजस्थान निधि निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२ (जनमत हेतु प्रसारित)

(४) राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ (प्रवर समिति को)

# शुद्धि-पत्र

( बुधवार, दिनांक १७ अक्टूबर, १९६२ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १४३५ | ११ | चिकित्सा विभाग | चिकित्सा-विभाग |
| १४३७ | १० | २०. श्री मुरलीधर व्यस | २००. श्री मुरलीधर व्यास |
| ,, | २१ | (  ) | ( १ ) |
| ,, | २२ | इक इये | इकाइयें |
| १४३८ | ४ | ( आब ) | ( आबू ) |
| ,, | ५ | ाये | गये |
| ,, | १७ | श्री मुरीधर व्यास | श्री मुरलीधर व्यास |
| १४३९ | शीर्षक | प्रश्नात्तर-१७ अकटवर | प्रश्नोत्तर-१७ अक्टूबर |
| ,, | २१ | जितन बच्चे | जितने बच्चे |
| ,, | अन्तिम से ५ | चवर्षीय यजना | पंचवर्षीय योजना |
| ,, | ,, ३ | स्वोकृत | स्वीकृत |
| ,, | ,, २ | ी यागेन्द्र ाथ | श्री योगेन्द्रनाथ |
| १४४० | २० | क ये पांचों | क ये पांचों |
| ,, | अन्तिम | इसक.................. उा रही | इसके..............उठा रही |
| १४४१ | शीर्षक | प्रश्नात्तर | प्रश्नोतर |
| ,, | अन्तिम से ८ | चुक है। | चूक है। |
| १४४३ | शीर्षक | प्रश्नोतर | प्रश्नोत्तर |
| १४४४ | अन्तिम से ४ | श्री भंरवलला | श्री भैरवलाल |
| १४४५ | १४ | २०९ अकबरपुर | अकबरपुर |
| ,, | १६ | श्रा रामानन्द | २०९. श्री रामानन्द |
| १४४६ | ७ | प्रश संख्या २०१ | प्रश्न संख्या २१० |
| ,, | अन्तिम से ७ | भ र पुर में | भरतपुर में |
| ,, | ,, ,, ३ | सर्वे राया | सर्व कराया |
| १४४७ | १ व १५ | डांी | डांगी |
| ,, | अन्तिम से ६ | विघत | विद्युत |
| ,, | ,, ,, ५ | ाववरण | विवरण |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १४४७ | अन्तिम से ३ | ाजार, जयपुर | बाजार, जयपुर) |
| १४४८ | २ | hav been | have been |
| ,, | १५ | Woul take | would take |
| ,, | १६ | This l ss | this loss |
| ,, | अन्तिम से ३ | R 24, 868 74 | Rs. 24,868.74 |
| ,, | ,, ,, २ | 1 57—58 | 1957-58 |
| १४४९ | २ | टक्स | टैक्स |
| १४५१ | १९ | चसाने की | बसाने की |
| १४६४ | १७ | श्री भीभसेन | श्री भीमसेन |
| १४७१ | अन्तिम से ८ | ( श्री परसरास | (श्री परसराम |
| १४७५ | २१ | cons ruct | Construct |
| १४७८ | १३ | नक्स्ट टर्न | नेक्स्ट टर्न |
| १४७९ | अन्तिम | के पा | के पास |
| १४८० | १३ | श्री सितीशचन्द्र | श्री सतीशचन्द्र |
| १४८१ | ३ | क्वश्चन का | क्वेश्चन का |
| १४८५ | अन्तिम से ८ | हरिश्चन्द्र | श्री हरिश्चन्द्र |
| १४८६ | २१ | One seak | one speak |
| १४९६ | १८ | नहों की गई | नहीं की गई |
| १५०३ | अन्तिम से ७ | यही सीमन्ट | यही सिमेन्ट |
| १५०६ | ७ | जो प्राग्रेस | जो प्रोग्रेस |
| १५१३ | अन्तिम | जानी चाहए | जानी चाहिये |
| १५३१ | २३ | कोन्टीजेन्सीज | कन्टिन्जेन्सीज |
| १५४० | १२ | उनफो | उनको |
| १५५० | शीर्षक | कां | कों |
| ,, | २४ | इरीगेशन | इर्रिगेशन |
| १५५१ | ६ | कार्यो | कार्यों |
| ,, | १७ | करत | करते |
| ,, | २० | नशनल | नेशनल |
| ,, | अन्तिम से २ | वल | वेल |
| १५५२ | ,, ,, | को | को |
| १५५६ | ८ | बचाने कोशिश | बचाने की कोशिश |
| १५५७ | ११-१२ | ठेकेदारों | ठेकेदारों |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १५५७ | २६ | चाहे | चाहे |
| १५५८ | ७ | फाइनन्स | फाइनेन्स |
| १५५९ | ४ | कालिसिन्घ | कालिसिन्घ |
| ,, | ७ | ता | तो |
| १५६१ | १६ | इजीनियर्स | इन्जीनियर्स |
| ,, | १८ | उसक | उसके |
| १५६३ | १६ | तकरीर | तकरीरें |
| १५६५ | २० | मामुली | मामूली |
| १५६७ | ६ | वकिग | वकिंग |
| १५६९ | शीर्षक | 'रावत कमेटी' की रिपोर्ट | नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन |
| १५७० | ,, | पर विवार सम्बन्धी प्रस्ताव | 'रावत कमेटी' के प्रतिवेदन पर विचार |
| १५७२ | २१ | कान्स्टीट्यूशन | कॉन्स्टिट्यूशन |
| १५७७ | शीर्ष | (श्री सतीशचद्र | (श्री सतीशचन्द्र |
| १५८७ | शीर्षक | रिपोट | रिपोर्ट |
| १६०५ | ६ | श्रा | श्री |
| १६०९ | ६ | इसकी | इसको |
| १६१७ | २६ | स्वीकांर | स्वीकार |
| १६२० | १४ | एक्सप्लेनेशन | एक्सप्लेनेशन |
| १६२१ | अन्तिम से ४ | ग्रड्स | ग्रेड्स |
| १६२४ | शीर्षक | ाविचार | विचार |
| १६३१ | २१ | श्राये हुए | आये हुए |
| १६४१ | १० | मझे समय | मुझे समय |
| १६५३ | शीर्ष | (श्री गिरधारीवाल व्यास) | (श्री बालकृष्ण कॉल |
| १६५७ | शीर्षक | की रिटोर्ट | की रिपोर्ट |
| १६६२ | १४ | ग्रोर नंहगाई | और महंगाई |
| १६६४ | ८ | मैंने यह | मैंने यह |
| १६७४ | अन्तिम से ३ | ८१ अक्टूबर | १८ अक्टूबर |
| १६८० | ७ | २८ अक्टूबर | १८ अक्टूबर |
| ,, | १० | १८ अक्टूबर, १९६३ | १८ अक्टूबर, १९६२ |